खण्ड-113, अंक-3
गुरूवार, 13 अग्रहायण, शक संवत् 1874
(4 दिसम्बर, 1952 ई0)

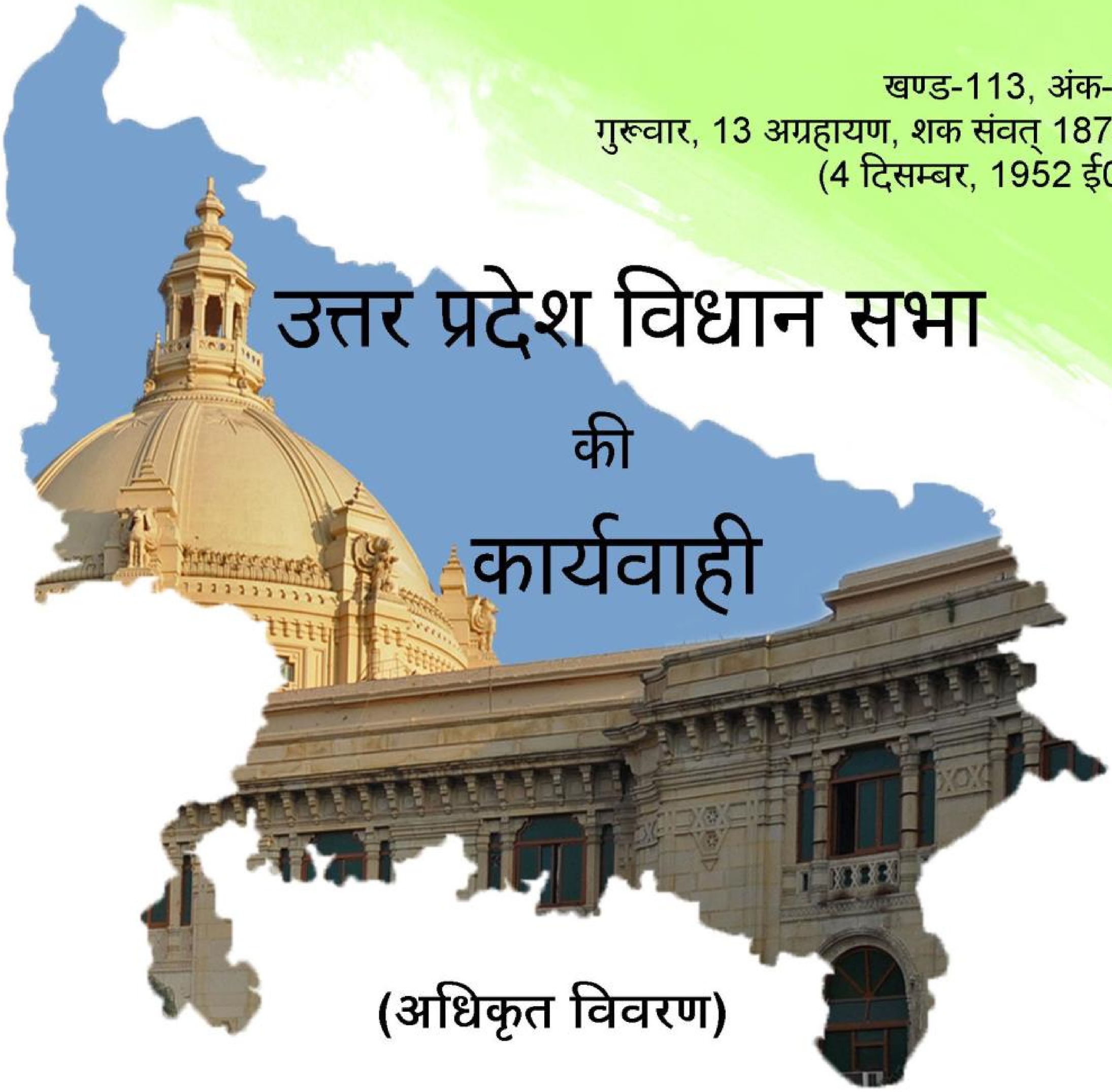

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 113 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
१ अप्रैल १९५४
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ४ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री

बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मक्खीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुन्नू लाल श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी अक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
विष्णुशरण दुब्बिलश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री

हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

रानीबाग (नैनीताल) की डिफारेस्ट भूमि भूमिहीन किसानों को देने के लिये सिफारिश

*१--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार को मालूम है कि ए० डी० एम०, नैनीताल द्वारा २५ अक्तूबर, सन् १९५२ ई० को बुलाई गई कमेटी में एक मत से यह निश्चय किया गया कि रानीबाग़ में डिफ़ारेस्ट की जाने वाली ज़मीन को केवल भूमिहीनों को ही दिया जाय ? अगर हां, तो सरकार उक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वन उपमन्त्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--जी हां, इस कमेटी ने जो इस संबंध में सुझाव किया है वह यह है कि रानीबाग़ में या किसी और जगह वन भूमि लेने के लिये जब भूमिहीन किसान आवेदन-पत्र दें तब उच्च अधिकारियों से उस भूमि को पट्टे पर देने के लिये प्रार्थना की जाय और उस भूमि को उन्हीं भूमिहीन किसानों को दिया जाय जिनको देने का यह कमेटी निश्चय करे। जब इस प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि के विच्छेद करने का प्रस्ताव सरकार के पास आयेगा तो वह नियमानुसार उस पर विचार करेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि रानीबाग़ में जो ज़मीन डिफारेस्ट की जा रही है वह किनको दी जा रही है, भूमिहीनों को दी जा रही है या और लोगों को दी जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस सेंस अर्थात् उस अर्थ में नहीं की जा रही है, जिससे आपका मतलब है, जंगल ज़रूर साफ किये जा रहे हैं और वह ज़मीन लीज़ अर्थात् पट्टे पर दी जा रही है। उससे डिफारेस्ट अर्थात् संबंध विच्छेद नहीं किया जा रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--पट्टे पर जो ज़मीन दी जा रही है वह भूमिहीनों को दी जा रही है या किनको दी जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वह ज़मीन कुमायूं इंडस्ट्रीज़ एक संस्था है उसको दी जा रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इस कमेटी के इस प्रस्ताव के होते हुये भी कुमायूं इंडस्ट्रीज़ नामक संस्था को यह ज़मीन क्यों दी जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह ज़मीन से संबंध विच्छेद नहीं हो रहा है बल्कि कुमायूं इंडस्ट्रीज़ को जो ज़मीन दी जा रही है वह उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने के लिये केवल पट्टे पर दी जा रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--यह ज़मीन उन भूमिहीन किसानों को दी जा रही है, जो कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा खेती करने के काम को निश्चित करें या व्यक्तिगत रूप से हर किसान को देने का इरादा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो दूसरे प्रश्न के संबंध में आयेगा। इस प्रश्न के संबंध में ऐसी कोई मांग नहीं है। इसमें इंडस्ट्रीज के लिय दी गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--जो जमीन डिफारेस्ट की जा रही है वह कौन सी क्लास के जंगल हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तराई भाबर के जंगल जब रेवेन्यू से फारेस्ट में आये तब इनको अलग कर दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--जिन दस गांवों का नाम सूची में दिया है उनमें किन किन गांवों में विस्थापित लोगों को बसाया जायगा और किन किन गांवों में भूमिहीनों को बसाया जायगा?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। संभव हो सकता है कि सबको मिलाकर दिया जाय या गांव अलग अलग दिये जायं, यह बात विचाराधीन है।

कुमायूं के भूमिहीन परिवारों के लिये जमीन

*२--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई भाबर फारेस्ट डिवीजन में कुछ जमीन डिसफारेस्ट की जा रही है? अगर हां, तो कितनी और कहां? क्या सरकार साथ ही यह भी बतायेगी कि इस जमीन में से कुमायूं के भूमिहीन परिवारों को कितनी जमीन दी जायेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--तराई भाबर फारेस्ट डिवीजन में लगभग ८,५८५ एकड़ बन भूमि डिफारेस्ट की जाने वाली है? यह जिन फारेस्ट ब्लाकों में स्थित है उनकी सूची मेज पर रक्खी है। यह भूमि विस्थापित लोगों और कुमायूं के भूमिहीन परिवारों को दी जायगी, किन्तु कितनी किस वर्ग के व्यक्तियों को दी जायगी इसका अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५१ पर)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी अर्जियां अभी तक कुमायूं भाबर के सुपरिंटेंडेंट के पास पहुंच गई हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसकी संख्या तो यहां पर है नहीं, मगर आप नोटिस देंगे तो दी जायगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जो विस्थापित लोग वहां बसाये जायंगे वह पंजाब के होंगे या पूर्वी बंगाल के?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह अभी उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। इसमें शरणार्थी और उखड़े हुए लोग हैं। संभवतः सभी क़िस्म के आ जायं।

प्रदेश से कच्चे चमड़े का निर्यात

*३--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सरकार प्रदेश के बने हुए चमड़े के माल को प्रोत्साहित करने के लिए कच्चे चमड़े को बाहर निर्यात करने पर रोक लगाने का विचार रखती है?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--उत्तर प्रदेश में जितना कच्चा चमड़ा उत्पन्न होता है वह इस प्रदेश की मांग को पूरा करने के उपरान्त भी बच रहता है। अतः इस चमड़े के भारत के अन्य भागों में प्रयोग होने पर इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं। भारत से बाहर निर्यात करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार से संबंध रखता है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कोई आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि इस प्रदेश में कितनी आवश्यकता है और कितना बाहर भेजा जाता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

*४--श्री देवकीनन्दन विभव--[२५ दिसम्बर, १९५२ के लिए स्थगित किया गया।]

*५--७--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--[११ दिसम्बर, १९५२ के लिए स्थगित किये गए।]

---

†जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

*खंड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब जौनसार बाबर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२, पर विचार जारी रहेगा।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ की पहली पंक्ति में शब्द "काश्तकार" के बाद शब्द "इस विधेयक के प्रचलित होने पर" जोड़ दिये जायं।

इन शब्दों के बारे में कहने से पहले मैं यह आवश्यक समझता हूं कि यह बतला दूं कि इन शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई। इस सदन में कल मैं एक प्रस्ताव लाया था जिसमें यह जो इम्प्रूवमेंट हैं वे हानिकर न समझे जायं इसके लिये राजस्व मंत्री जी ने विरोध किया था और यह कहा था कि हानिकर के साथ यह इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। ऐसी हालत में मैं इस सदन का ध्यान यू० पी० टेनन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा १७२ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है --

"A tenant shall be liable to ejectment from his holding on the suit of the landholder—

(*a*) On the ground of any act or omission detrimental to the land in that holding, or inconsistent with the purpose for which it was let ; or . . . . ."

[कोई असामी जमींदार के नालिश करने पर अपनी जोत से बेदखली के क़ाबिल होगा--

(क) किसी ऐसे काम के करने या न करने की वजह से जो उस जोत की आराजी को नुक़सान पहुंचाये या जो उस उद्देश्य के खिलाफ हो जिसके लिए वह आराजी उठायी गयी थी; या.....]

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, कल जो इम्प्रूवमेंट के संशोधन के सिलसिले में मैंने कहा था उसका जवाब देने का अब क्या अवसर है। अब आप सिर्फ यह कहते हैं कि जिस डेट से यह अधिनियम लागू होगा उस रोज से ये शब्द बढ़ने चाहिए इस खंड ४ में। अब आप यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट.....

श्री अध्यक्ष--मैं जांच रहा था कि माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में क्या कहते हैं, उनका भाषण थोड़ा समाप्त हो जाय जिससे कुछ कान्क्लूजन निकालूं, तब बात समझ में आ सकती थी।

श्री कमला सिंह--मैंने पहिले ही शुरू में बतला दिया कि जो संशोधन मैंने पेश किया है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इस चीज को मैं सदन को दिखलाना चाहता हूं, इसलिये यह रिफरेन्स सदन को देना चाहता हूं। तो जो १७२ धारा 'ए' है उसका प्राविजन यह है कि:--

"Provided that the planting of trees in accordance with the provisions of section 80 or the making of an improvement in accordance with the provisions of this Act, or the use of a holding for the purpose of

---

*३ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

†३ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री कमला सिंह]

grazing or raising stock including horses or the construction of enclosures suitable for stock raising shall not constitute ground for ejectment under this section."

[पर यह शर्त है कि दफा ८० के आदेशों के अधीन पेड़ लगाना, या इस ऐक्ट के आदेशों के अनुसार किसी तरक्की का करना, या जोत का इस्तेमाल चराई के काम के लिये या मवेशियों को (जिसमें घोड़े भी शामिल हैं) पालने के लिये करना या मवेशियों के पालने के लिये अहाते बनाना, इस दफा के अधीन बेदखली की वजहें न होंगी।]

यह धारा उस कानून की है जोकि सदन का बनाया हुआ है। उसमें यह दिया हुआ है कि डिटरीमेंटल ऐक्ट अगर है तो वह इस इम्प्रूवमेंट के साथ आ सकता है क्योंकि वह पहला संशोधन मन्जूर नहीं हुआ था। उस चीज को साफ करने के लिये यह अमेंडमेंट लाया गया है। इसके साथ साथ मैं सदन को यह भी बतलाना चाहता हूं कि हाउस ने कल श्री बाबूलाल मित्तल के संशोधन को जो १३ नम्बर पर है मन्जूर किया है। उससे पब्लिक के ऊपर जो असर पड़ता है उसको भी साफ करने की जरूरत है। वह संशोधन नम्बर १३ इस प्रकार है "खंड ३ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (३) रख दिया जाय :—

(३) कि उसने अपने खाते या उसके किसी भाग को इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध शिकमी पर उठा दिया है।

जब यह चीज उठा दी गई तो फिर क्या परिस्थिति हो गई यह देखने की जरूरत है। अब यह जो ऐक्ट बनेगा उसके अनुसार वहां पर एक आदमी दावा करके काश्तकार को बेदखल करेगा या दोनों करेंगे क्योंकि वहां पर जमीन्दारी अबालिशन नहीं हुआ है। वहां पर एक से ज्यादा जमीन्दार हो सकते हैं। इस लिये जहां पर ऐसे जमीन्दार हैं वहां पर एक जमीन्दार दावा करके बेदखल करेगा या जुम्ला जमीन्दारान दावा करके बेदखल करेंगे इसके साथ साथ एक यह भी चीज है कि अगर पहिले का काश्तकार है और उसने बाद को पांच साल के लिये पट्टा उठा दिया है तो पास हुए संशोधन के मुताबिक ए तो बेदखल हो जायेगा लेकिन बाकी क्या परिस्थिति होगी। मैं यह चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री जी इस चीज को स्पष्ट करने की कृपा करें कि वह कैसे बेदखल होगा। इसके साथ यह भी देखना है कि एक आदमी ने तीन साल के लिये पट्टा दिया है और फिर वह पांच साल के लिये पट्टा दे देता है तो उसको आप बेदखल कर देंगे लेकिन ३ साल के बाद अगर ट्रैसपासर का कब्जा है तो उसको बेदखल करने के लिये आप कोई इन्तजाम नहीं कर रहे हैं। अगर १७१ धारा टेनेन्सी ऐक्ट १९३९ को आप देखें तो उसमें यह दिया हुआ है कि—

"171. (1) If a tenant transfers or sub-lets the whole or any portion of his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act, and the transferee or sub-lessee has entered upon possession in pursuance of such transfer or sub-lease both the tenant and any person who may have thus obtained possession of the whole or any part of the holding shall on the suit of the landholder be liable to ejectment from the area so transferred or sub-let at the date of the institution of the suit :"

[१७१ (१) अगर कोई असामी अपनी कुल जोत या उसके किसी हिस्से को इस ऐक्ट के हुक्मों के अतिरिक्त किसी और सूरत से मुन्तकिल करे या शिकमी पट्टे पर दे और अगर उस पर ऐसी मुन्तकिली या शिकमी पट्टे के अनुसार मुन्तकिलइलैह या शिकमी पट्टेदार ने कब्जा हासिल कर लिया हो तो असामी और कोई शख्स जिसने कुल जोत के किसी हिस्से पर ऐसी मुन्तकिली या शिकमी पट्टे के अधीन कब्जा हासिल कर लिया हो जमीन्दार के नालिश करने पर दोनों शख्स नालिश दायर करने की तारीख को इस तरह मुन्तकिल किये हुए या शिकमी पट्टे पर दिये हुए रकबे से बेदखली के काबिल होंगे।]

यह हालत १७१ धारा में काश्तकार और शिकमी दोनों के लिये सुविधा की रखी गयी है। लेकिन इस विधेयक में जो रखा गया है उसके मुताबिक यह गलतफहमी पैदा होगी कि काश्तकार के लिये तो सुविधा की गई है लेकिन जो उस वक्त भूमि पर काबिज है उसको बेदखल करने के लिये कोई भी रास्ता अख्तियार नहीं किया गया है। इसलिये यह गम्भीर परिस्थिति पैदा हो जाती है। जब यह परिस्थिति है तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हम उन काश्तकारों के लिये जो काबिज हैं उसके लिये जो बात इस ऐक्ट से पैदा हो जायेगी उनके लिये कोई ऐसी परिस्थिति रखें जिससे कि उनको यह मालूम हो जाय कि उनके लिये कुछ सुविधा रखी गई है। इसलिये यह जरूरी है कि यह जो धारा ४ है उसके अन्दर यह सुविधा रखें और यह मालूम हो जाय कि जो इल्लीगल ट्रेस्पासर है वह इस धारा से सम्बन्ध रखता है। साथ ही साथ में एक चीज और इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह धारा ४ इस तरह के आदमियों के लिये बनी है जो बेचारे हर तरह से मजबूर हैं जैसे अविवाहिता स्त्री है, अवयस्क जिसका पिता मर गया हो, पागल या जड़ हो, ऐसा व्यक्ति जो अन्धेपन, या अन्य किसी शारीरिक निर्बलता के कारण खेती करने में अक्षम हो, संघ की स्थल सेना, नौसेना, या वायु सेना सम्बन्धी सेवा में व्यक्ति, या .....

अध्यक्ष--यह तो विधेयक में दिया ही हुआ है और वह सब के सामने है उसको फिर बतला कर समय आप न लें।

श्री कमला सिंह--तो धारा ४ इस समय जिस तरह से है उससे तो सरकार के दिल में जिनके लिये स्थान है वह भी खत्म हो जायेंगे और डर है कि इससे ऐसे ही लोगों की बेदखली होगी इसलिये जरूरी है कि यह संशोधन इसमें अवश्य रखा जाय और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल की ओर से कमला सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है और कहा है कि अगर यह संशोधन स्वीकार न किया जायगा तो बड़ी गम्भीर परिस्थिति पैदा हो जायेगी और उन्होंने हवाला दिया कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट की धारा १७१ और १७२ का। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भ्रम उनको है वह उनका गलत भ्रम है। यह धारा बिल्कुल स्पष्ट है उन्हें ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि अगर वह क्लाज नहीं जोड़ी जायेगी तो ऐसी कोई बात हो जायेगी कि पहिले की भी ये बेदखली हो जायेगी और दफा १७१ की सी परिस्थिति हो जायगी। अगर आप दफा १७१ को देखें तो उसमें इस तरह से है कि

"If a tenant transfers or sub-lets the whole or any portion of his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act, and the transferee or sub-lessee has entered upon possession in pursuance of such transfer or sub-lease."

[अगर कोई असामी कुल जोत या उसके किसी हिस्से को इस ऐक्ट के हुक्मों के अतिरिक्त किसी और सूरत से मुन्तकिल करे या शिकमी पट्टे पर दे और अगर उस पर ऐसी मुन्तकिली या शिकमी पट्टे के अनुसार मुन्तकिलइलेह या शिकमी पट्टेदार ने कब्जा हासिल कर लिया हो।)

जिस तरीके से दफा १७१ का जो गलत इन्टरप्रीटेशन हुआ और उससे बहुत सी गलत बेदखलियां हो गईं यह बात यहां नहीं पैदा होती है। यहां यह स्पष्ट है कि कोई भी काश्तकार जमीन को या उसके भाग को नहीं उठायेगा सिर्फ कुछ दशाओं को छोड़कर जो दी हुई हैं और उठायेगा शब्द से ही यह स्पष्ट है कि यह आगे के लिये है। अगर यह जोड़े कि इस विधेयक के प्रचलित होने पर नहीं उठायेगा तो इसका मतलब तो पहले से ही यह है कि आगे से नहीं उठायेगा फिर इसकी क्या आवश्यकता है। मेरे ख्याल से इससे कोई गम्भीर परिस्थिति नहीं पैदा होगी और जो दलीलें श्री कमला सिंह जी ने दीं वह इस पर नहीं लागू होतीं। मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि हाउस इस संशोधन को अस्वीकार करेगा।

श्री कमला सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने शब्दों का इन्टरप्रिटेशन जो किया है उससे जो मतलब इस संशोधन का है वह साफ नहीं होता। मान लीजिए कि दो साल पहले किसी ने ५ साल के लिये पट्टा किया होगा तो आप से ३ साल के अन्दर उसकी क्या परिस्थिति होगी यह खुद माननीय मन्त्री जी समझें मेरे ख्याल में अगर ५ साल के लिये पट्टा किया है और अगर एक साल बीत चुका है तो एक साल के बाद तीन साल माना जायगा। जहां तक मेरा ख्याल है यही चीज होगी और इसी की वजह से एक गलत प्रयोग अदालतों में हो चुका है और जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि जो जमीन बेदखल हो गई थी उसको वापस करना पड़ा और उससे बहुत परेशानी हुई। तो यह चीज इन शब्दों के जोड़ देने से दूर हो जायगी और अगर वह दूर हो सकती है तो वह जरूर दूर होनी चाहिए और साथ ही साथ यह भी है कि जब हम किसी काश्तकार को ऐसा अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वह किसी धारा के अन्तर्गत अपने शिकमी को बेदखल करे तो मैं समझता हूं कि ऐसी धारा का प्रयोग करना न्यायसंगत न होगा। इस लिये जैसी कि धारा दी हुई है वैसी की वैसी ही बिना संशोधन के पास हो जाना ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्व मन्त्री जी इस चीज पर गौर करेंगे और अपने लीगल एडवाइजर साहब से परामर्श करके मुनासिब समझ कर काम करेंगे।

श्री चरण सिंह---मैं समझता हूं कि संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है। जब तक यह न कहा जाय कि फलां विधेयक में फलां काम रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट रखेगा तब तक डेट आफ केमेंसमेंट से वह लागू समझा जाता है। इसलिये आपका जो संशय है वह निराधार है अगर वह ऐक्सेप्ट कर भी लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन वह गैर जरूरी है। इन्टरप्रिटेशन के जो कायदे हैं उनके अनुसार वह उसी डेट से लागू होता है जिस दिन कि उसकी असेंट गवर्नर के यहां से आ जाती है।

श्री कमला सिंह---मैं पूछना चाहता हूं कि जो ५ साल की मिसाल मैंने दी है वैसे काश्तकार की इसके पास हो जाने से क्या पोजीशन होगी ?

श्री चरण सिंह---जो पहले के दिये हुए हैं वह जायज रहेंगे। आगे के लिये मनाही है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ की पहिली पंक्ति में शब्द "काश्तकार" के बाद शब्द "इस विधेयक के प्रचलित होने पर" जोड़े दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१८।
विपक्ष में---१५१।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ४ की पंक्ति २ व ३ से शब्द "तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने के तीन वर्ष के भीतर" निकाल दिये जायं।

श्रीमान्, यह संशोधन उपस्थित करने का मेरा आशय यह है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश जमींन्दारी विनाश अधिनियम में यह रखा गया है कि काश्तकार को उठाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया उसका कारण जहां तक मैंने समझा वह यही था कि जमींन्दारी के कीटाणु किसी तरह से फिर भी उसमें न पड़ें और न पनपें। तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है, जहां तक कि परिस्थिति को भी देखें तो उससे कोई सहायता नहीं मिलती। यदि यह अधिकार किसानों को इस क्षेत्र में दे दिया जाय तो इससे कठिनाइयां ही पैदा हो सकती हैं, इसलिये मैं अपना यह संशोधन उपस्थित करता हूं और मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं माननीय देवकीनन्दन विभव जी के संशोधन का सख्त विरोध करना चाहता हूं। क्योंकि एक ही जो अच्छी बात इस धारा में है उसको भी वे छीने ले रहे हैं। अगर माननीय विभव जी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते तो वे कभी भी इस संशोधन को पेश करने को नहीं सोचते। कम से कम उसे तीन वर्ष से अधिक की अवधि जो थी, अगर तीन वर्ष का बेचारा पुराना शिकमी काश्तकार है और उसको आप पहिले धारा ३ में अधिकार दे चुके हैं और उसे सहूलियत देने की बात मान चुके हैं तो फिर उसको उसमें से निकाल देने की बात सही नहीं मालूम होती। कोलटा और बाजगी जो बेचारे जमाने से ऐसे ही परेशान हैं उनको इस संशोधन से कम से कम और परेशान तो न किया जाय? आप कम से कम उनके लिये ऐसा संशोधन तो लावें जिससे उनको और राहत मिले।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय मुझको यह संशोधन स्वीकार है। माननीय श्री नारायण दत्त जी तिवारी जिस वक्त इस सिलसिले में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो मुझे ताज्जुब था कि आखिर वे क्या कहेंगे। अब आप इसको कहते हैं कि यह प्रतिगामी है किस प्रकार? इसमें केवल यह है कि टेनेंट सब टेनेन्ट को नहीं उठा सकेगा।

श्री कमला सिंह--प्वाइंट आफ आर्डर मेरा यह है कि जो संशोधन है उसमें शिकमी काश्तकार का वर्ड जोड़ा गया है। धारा २ का उपखंड ङ में काश्तकार की डेफनीशन दी हुई है फिर काश्तकार का आना मैं समझता हूं शिकमी के साथ दोनों कंट्रेडिक्टरी हो जायगा। इसलिये शिकमी के साथ काश्तकार शब्द नहीं आना चाहिये।

श्री चरण सिंह--यह जो जयराम वर्मा जी का संशोधन है उसमें कहा जा सकता है; लेकिन जो विभव जी का संशोधन है उसमें यह चीज नहीं आ सकती।

श्री अध्यक्ष--श्री विभव के संशोधन में शब्दों को निकालने के लिये कहा गया है और उसमें जोड़ने के लिये कोई शब्द नहीं है। आपका जो एतराज है वह गलतफहमी पर निर्भर है इसलिये स्वीकार नहीं हो सकता। आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री चरण सिंह--श्री देवकीनन्दन जी विभव के संशोधन का आशय यह है कि वह मौरूसी और गैर मौरूसी को जो सेवा के उपलक्ष में काश्त पाये हुये हैं जिनको काश्तकार इस विधेयक में माना गया है वे लोग आगे को सिवाय कुछ दशाओं को छोड़कर शिकमी पर नहीं उठा सकेंगे। अब तक जैसी इसमें धारा है उसका अर्थ यह है कि तीन साल तक उठा सकता है और यह तीन साल के अन्दर से नहीं उठायेंगे तो तीन साल का अन्तर देकर उठा सकते हैं सिवाय उन लोगों को छोड़कर जिनका जिक्र इसमें किया गया है। अब हम उसको बिलकुल निकाल रहे हैं कि किसी तरह से भी कोई टेनेंट सब-टेनेंट को जमीन नहीं दे सकेंगे सिवाय असमर्थ लोगों के जिनकी तालिका नीचे दी हुई है। तो फिर प्रतिगामिता या प्रतिक्रियावादिता कहां से आ गई। मैं इस संशोधन को केवल इसलिये स्वीकार कर रहा हूं ताकि यह न कहा जाय कि आप जमींदारी अबालिशन करने के लिये जा रहे हैं और फिर तीन साल के लिये आप क्यों सब टेनेंसी कन्टेम्प्लेट करते हैं। वाकया यह है कि हम जमींदारी खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि जो काश्तकार पहले से उठा रहे हैं वह तो उठा रखे हैं, लेकिन आगे से किसी काश्तकार को जमीन उठाने का अधिकार नहीं होगा सिवाय उन चन्द शर्तों के लिये मैंने यह गवर्नमेन्ट की मंशा की घोषणा कल की थी, उसमें किसी तरह से असंगत न हो और उसी दृष्टिकोण पर यह संशोधन आया है इसलिये मैं इसको स्वीकार करता हूं। यह मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि प्रतिगामी यह कैसे है। बहरहाल मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मुझे स्पष्टीकरण की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष--दोबारा बोलने की इजाजत नहीं है।

श्री देवकी नन्दन विभव--माननीय अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी ने मेरे संशोधन को प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी कहा है तो आज तो दृष्टिकोण यह हो गया है कि समाजवादी मित्र जो बात भी कहें वह तो प्रगतिशील है और जो बात हम कहें चाहे वह कहीं आगे वाली बात भी हो तब भी वह प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी हैं। इसलिये जब तिवारी जी ने वह बात कही तो मैंने उसे ढर्रे (रूटिन) की बात समझी जो सदन में आज तक बराबर कही जाती रही है। मैं कोई कारण नहीं समझता कि परिस्थितियां बताई गई हैं जिन परिस्थितियों में वह उठा सकते हैं। और उसके बाद फिर भी यह पंक्ति और ये शब्द रखने का कोई अभिप्राय नहीं था। न तिवारी जी ने यह बताया कि क्यों ये शब्द रखने चाहिये थे, क्यों शिकमी पर उठाने का उनको अधिकार रहना चाहिये। मैं इससे यह समझता हूं कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री चरण सिंह---एक जरा सी चीज रह गयी। वह यह कि इस संशोधन को तो मैंने स्वीकार किया लेकिन इसके कांसिक्वेंस के तौर पर दो शब्द और बढ़ने चाहिये थे वे विभव जी ने रखे नहीं हैं। वह मैं चाहता था कि यहां आ जायं। वह यह कि "शिकमी पर" नहीं उठायेगा या "शिकमी के पास" नहीं उठायेगा यह आ जायं और बाकी सब निकाल दिये जायं।

श्री देवकीनन्दन विभव--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--अब मैं संशोधित संशोधन को पेश किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति २ व ३ से "शब्द तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये, अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने के तीन वर्ष के भीतर" ये शब्द निकाल दिये जायं और इनके स्थान पर "शिकमी पर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं---

खंड ४ की पंक्ति ४ के शब्द "पट्टेदार (lessee)" के स्थान पर शब्द "पट्टा देने वाला (lessor)" रख दिये जायं।

श्रीमन्, जहां तक मैं इस धारा को समझ सका हूं और जो ये दशाएं बतलाई गयी हैं अविवाहिता स्त्री अवयस्क जिसका पिता मर गया हो या पागल या जड़ इत्यादि ये "लेसर" के लिये होनी चाहिये। अगर "लेसी" शब्द के कोई दूसरे मानी हों तो मैं नहीं कह सकता। डिक्शनरी में तो ऐसा है नहीं। "लेसी" के स्थान पर "लेसर" ही आना चाहिये क्योंकि लेसी कैसे पट्टेदार होगा। अविवाहिता स्त्री कैसे हो सकती है या हो सकेगी, यह कोई बात मुझे जंची नहीं। अगर कोई खास मतलब माननीय मंत्री जी ने सोचा हो तो बात दूसरी है। मैं तो समझता हूं लेसर ही होना चाहिये और पुरानी जो परिपाटी है जिसके अनुसार रखा गया है उसके अनुसार भी "लेसर" वर्ड ही आना चाहिये। मुझे फिर रिपोर्ट का हवाला देना पड़ता है। रिपोर्ट के पेज १२७ में रूल ७६ है। उसमें लिखा है--

"No tenant shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding one year, and shall not again sub-let the whole or any portion of his holding within two years from the expiry of any such sub-lease :

Provided that the restriction on sub-letting shall not apply when the lessor is a female, a minor, a lunatic, an idiot, or a person incapable of cultivating by reason of blindness or physical infirmity, or because he is in the Military, Naval or Air Service of the Crown."

[कोई भी असामी अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर नहीं उठायेगा और फिर अपने खाते या उसके किसी भाग को, उस शिकमी पट्टे के समाप्त होने के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर, पट्टे पर नहीं उठा सकेगा।

किन्तु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा यदि पटट्ा देने वाला स्त्री है, अवयस्क, पागल या जड़ या ऐसा व्यक्ति है जो अन्धेपन या अन्य किसी शारीरिक निर्बलता के कारण खेती करने में अक्षम हो या संघ की स्थल सेना, नौ सेना या वायु सेना सम्बन्धी सेवा में हो।]

यह करीब-करीब उसी को हेर फेर कर अनुवाद कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपके भाषण से वह स्पष्ट हो गया अब देखिये माननीय राजस्व मंत्री जी क्या कहते हैं। आप को जवाब देने का अधिकार तो है ही।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने एक माकूल बात कही है और जब भी कोई माकूल बात कही जायगी तो उसको अवश्य स्वीकार किया जायगा। मैं समझता हूं कि उनको इससे काफी संतोष होगा कि यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति ४ के शब्द "पट्टेदार" (lessee) के स्थान पर शब्द "पट्टा देने वाला (lessor)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) में शब्द "अविवाहिता" के बाद शब्द "परित्यक्ता या विधवा" जोड़ दिये जायं।

जहां तक लेसर का सम्बन्ध है यानी पट्टे देने वाले का सम्बन्ध है पट्टेदारी के लिये स्त्रियों के लिये एक खास स्थान दिया गया है क्योंकि वह अपाहिज होती हैं, खुद अपनी खेती-बाड़ी नहीं कर सकती हैं। स्त्रियां तीन प्रकार की होती हैं एक वे हैं जिन के पति जीवित हैं, दूसरी वे हैं जो पति के जीवित रहते डाइवोर्स कर दी गयी हैं और अपने हसबैंड से सप्रेटली रहती हैं, तीसरी वे हैं जो विधवा हैं और उनके पति जीवित नहीं हैं। यह तीन प्रकार की स्त्रियां हैं। जो नाबालिग हैं वे अवयस्क के अन्दर आ जाती हैं। लेकिन जो बालिग हैं और अविवाहिता हैं वे नम्बर एक से कवर हो जाती हैं। जो परित्यक्ता हैं और अपने पति से अलग रहती हैं उनके लिये भी इस बिल में कोई स्थान नहीं है। उनके साथ ही साथ जो विधवा हैं जिनका कोई काम करने वाला नहीं है और जो काम करने की हालत में नहीं हैं उनके लिये इस ऐक्ट के अन्दर कोई स्थान नहीं है। ऐसी हालत में मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ यह भी है कि जो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट है उसकी धारा १५७ की उपधारा (क) में दिया हुआ है कि "अविवाहिता परित्यक्ता या विधवा स्त्री हो" तो जब कि खास तौर पर हमने जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में जो कि इसी विधान सभा के जरिये बनाया गया है स्त्रियों को स्थान दिया है तो जौनसार बावर की स्त्रियों से हम क्यों दुश्मनी मोल लें और वैसा ही स्थान उनको भी क्यों न हम दें। ऐसी दशा में मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं पहले ही इसका विरोध

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

करता लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया । मैं समझता हूं कि इन शब्दों की यहां पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय कमला सिंह जी को शायद वहां की परिस्थिति से अनुभव नहीं है । वहां एक स्त्री के पांच पति होते हैं।

तो वह विधवा तो कभी होती नहीं ।. बहुत दिन लगते हैं उसमें । इसलिए परित्यक्ता का भी सवाल आता नहीं । एक स्त्री के पांच पांच-पति हैं । अगर एक ने छोड़ दिया तो चार बाकी रह जाते हैं । इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है । इसको माननीय राजस्व मंत्री ने बिना वहां की परिस्थिति जाने हुए स्वीकार कर लिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जितने भाषण सुन रहा हूं सब वे लोग भाषण दे रहे हैं जिन्होंने जौनसार बावर न कभी देखा है न पढ़ा है और न जानकारी हासिल की । माननीय शान्ति प्रपन्न जी वहां के सदस्य हैं । उन्होंने इस पर कुछ भी रोशनी नहीं डाली । अगर वह कुछ रोशनी डालते तो उस बारे में ज्यादा मालूम होता।

मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता और इन शब्दों को इसमें नहीं रखा जाना चाहिए।

श्री कमला सिंह—चूंकि माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस को सहर्ष स्वीकार कर लिया है । इसलिए इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं भी अपना विरोध वापस लेता हूं।

श्री चरण सिंह—सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं । यह ठीक है कि वहां पालीएंड्री है। लेकिन ऐसे भी केसेज हैं जहां एक पत्नी के एक ही पति है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—पांचों अगर मर जायं तो विधवा तो हो ही जायगी ।

श्री चरण सिंह—विधवा परित्यक्ता भी हो सकती है जैसा कि बाबू जी ने कहा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) में शब्द "अविवाहिता" के बाद शब्द "परित्यक्ता या विधवा' जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) में जो इस प्रकार है "अवयस्क जिसका पिता मर गया हो, इसमें "जिसका पिता मर गया है" यह निकाल दिया जाय। खाली "अवयस्क (minor)" इतना ही रहे ।

यह संशोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिसका पिता मर गया हो यह एक वचन इस्तेमाल किया गया है । अभी उपाध्याय जी ने ध्यान आकर्षित किया कि वहां पर बहुपति प्रथा है और माननीय मंत्री जी ने भी माना है कि वहां बहुपति प्रथा है । तो इसके रहते हुए यह पता लगाना मुश्किल है कि उसका पिता मर गया या जिन्दा ही है । मान लिया जाय कि चार-पांच लड़के हैं या तीन लड़के और एक लड़की है और चार पति हैं । मानलें कि चार में एक मर गया और तीन जीवित हैं तो ऐसी हालत में माइनर ज्यादा उपयुक्त होगा कमेटी ने भी इसीलिये माइनर शब्द इस्तेमाल किया था । वहां कैसी प्रथा इस जमीन के बटवारे के सिलसिले में है इस संबंध में मैं आपकी आज्ञा से उदाहरणार्थ पढ़ देना चाहता हूं जिससे यह मालूम हो जाय कि माइनर ही ज्यादा उपयुक्त है ।

"If, according to custom, four brothers have two or perhaps one wife between them, and four or five daughters are born, and one of the brothers marries again, the children are not shared between them, but remain with the woman; and the woman cannot go to the younger brothers, but must live with the elder; but the children are entitled to equal shares from the four brothers, which are paid to the elder. If they separate, the elder brother bears expenses of the marriages."

[अगर प्रथानुसार चार भाइयों की दो पत्नियां हैं या सम्भवतः एक ही पत्नी है और चार या पांच पुत्रियां पैदा होती हैं और एक भाई दुबारा शादी कर लेता है तो बच्चे उनमें नहीं बांटे जाते पर वे औरत के साथ रहते हैं और औरत छोटे भाइयों के पास नहीं जा सकती, वह बड़े भाई के पास ही रहती है, परन्तु बच्चे चारों भाइयों की सम्पत्ति के बराबर हिस्सेदार हैं, जोकि सबसे बड़े को दिये जाते हैं। अगर वे अलग हो जायं, तो बड़ा भाई शादियों के हर खर्च को बरदाश्त करता है।]

एक तो प्रथा यह है कि बच्चों का शेयर होता है। तो इस प्रकार पिता की कोई गुंजाइश नहीं है। वह औरत के साथ चला जाता है।

तो कौन पिता किस का जीवित है, किसका मर गया है यह बड़ा मुश्किल हो जायगा।

फिर इसका रूल ४ पृष्ठ ९१ पर देखिये।

"If any man has three wives, and they have children in unequal numbers, viz one has two, another three at the time of sharing, the children all receive equal shares, except that the son with whom the first mother is to live will receive a little more."

[अगर किसी आदमी की तीन पत्नियां हैं और उनके बच्चे बराबर संख्या में नहीं हैं जैसे एक के दो, दूसरे के तीन हैं जबकि बंटवारा होता है, तो सब बच्चे बराबर २ हिस्सा पाते हैं केवल वह लड़का, जिसके साथ पहली माँ रहती है, कुछ ज्यादा पाता है]

तो इस प्रकार के वहां पर बेतुके रिवाज हैं। इसी प्रकार तीसरा है कि--

"If two brothers have one wife and have two children at the death of wife and both brothers marry again, and after the marriage the elder brother dies, leaving four sons at the time of sharings after deducting half the whole property for the children by the first marriage, the remainder is divided into six equal shares: from those six shares two more, besides the half previously deducted, are given to the children by the first Marriage."

[अगर दो भाइयों की एक पत्नी है और पत्नी की मृत्यु के समय उनके दो बच्चे हैं और दोनों भाई दुबारा शादी करते हैं और शादी के बाद चार बच्चों को छोड़कर बड़ा भाई मर जाता है, तो बंटवारे के समय सारी सम्पत्ति का आधा भाग पहली स्त्री के बच्चों के लिये होगा और शेष सम्पत्ति के छः बराबर भाग होंगे, उन छः भागों में से दो भाग आधी सम्पत्ति के अतिरिक्त पहली स्त्री के बच्चों को मिलेंगे।]

इस प्रकार इन तीन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जिसका पिता मर गया हो इसकी परिभाषा करना असम्भव है कि कौन पिता था, कौन मरा और कौन जीवित है। इसलिये खाली माइनर रख दिया जायगा तो ठीक होगा और जो सरकार चाहती है वह मंशा भी पूरी हो जायगी।

श्री चरण सिंह--मुझे अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जिसका पिता मर गया हो इसलिय यह शब्द रखे हैं ताकि लीज के खिलाफ जो प्राविजन्स हैं उसमें काश्तकार अपन लड़के के नाम कर दे और फिर उससे लीज करा दे। इसलिये यह शब्द रखे गये हैं कि जिसका बाप जिन्दा हो वह माइनर नहीं कर सकता ह। जिनका बाप मर गया हो वह बेशक कर सकता है। तो जो यह शब्द रखे गये, बिल्कुल उचित हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं एक सूचना जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन पिता मर गया है और कौन पिता जीवित है यह कैसे मालूम होगा क्या जब किसी माइनर के चारों पिता मर जायेंगे जब वह माइनर माना जायगा।

श्री चरण सिंह--चारों भी मर सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं समझता था कि मंत्री जी वहां की प्रथा को जानते होंगे। अगर यह शब्द रखे जायंगे तो एक दिक्कत यह पड़ेगी कि एक औरत के पांच पति हैं और एक बच्चा है जब तक पांचों पति नहीं मर जाते ह तब तक कोई न कोई उस माइनर की देखभाल करने वाला होगा। इसलिये यह रखा जाय कि जिसके सारे पिता मर गये हों तब तो ठीक है। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है। यह हमारे सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात है कि वहां के लोग अपने को पांडवों की संतान कहते हैं। हम तो हंसते हैं लेकिन वह लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम पांडवों की संतान हैं। यह उनके यहां रिवाज चला आता है। ऐसे लोग भी वहां पर हैं जिनकी एक स्त्री के एक ही पति होता है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां एक स्त्री के पांच पति होते हैं अगर एक पिता मर गया और बच्चा माइनर है तो दिक्कत पड़ेगी। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है। माइनर शब्द काफी है। इसलिये मैं इसका समथन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री नारायण दत्त जी ने जौनसार-बावर की परिस्थितियों को देखते हुये रखा है वह बहद मुनासिब है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत जल्दी की जो अपना फैसला इसके संबंध में सुना दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मर्दुम-शुमारी के कागजात को देखकर वह अपने मत को बदलने की बात पर बिचार करें जौनसार-बावर की बात दुनिया से निराली है। एक पुत्र के ५ पिता होन का यदि रिवाज वहां है तो सामान्य बुद्धि कहती है कि नारायण दत्त तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह हल हो जाय यदि पिता की परिभाषा, इस अधिनियम में कर दी जाय और या यह मान लिया जाय कि इस अधिनियम के अन्तगत "पिता" के मरने का अर्थ वही होगा जबकि उन पांचों में से जो एक पत्नी के पति हैं कोई एक या एक से अधिक मर जाय। जब तक ऐसा न होगा तब तक यह उपखण्ड जौनसार-बावर की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए असंगत और अव्यवहारिक ही नहीं, बेकार भी हो जायेगा या फिर जो बेकार क्लाज इसमें है वह निकाल दिया जाय तो यह भी मुनासिब ही बात होगी। इसलिये मैं माननीय राजस्व से निवेदन करूंगा कि एक बेकार क्लाज इसमें से या तो निकाल दिया जाय या इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का जो माननीय नारायण दत्त जी ने उपस्थित किया है समर्थन कर रहा हूं उसे स्वीकार किया जाय।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जौनसार-बावर के अन्दर

चकरौता में ऐसे भी किसान हैं जिनमें यह प्रथा नहीं है जो जौनसार-बावर के अन्य भागों में विद्यमान हैं, वहां पर एक स्त्री के एक ही पति होता है तो यह जो क्लाज आया है वह वहां पर भी लागू हो जायगा। अगर यह हटा दिया जायगा तो ऐसे जो किसान हैं उनके लिये नुकसान होगा इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो क्लाज है वही रहना चाहिये और यह संशोधन ठीक नहीं बैठता।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। सत्य तो यह है कि एक प्रकार से मैं समझ भी नहीं पाया। यह स्थिति तो तभी पैदा होती है जब कि कोई काश्तकार किसी शिकमी को भूमि उठाये। यह स्थिति तो उस दशा में उपस्थित होती है जब या तो कोई काश्तकार मर जाय या उसके पश्चात् उसका अवयस्क लड़के का नाम खाते में दर्ज हो लेकिन जिस पुत्र के ५ पिता हैं यदि उनमें से एक पिता मर जाय तो मेरी दृष्टि में तो उस माइनर का नाम खाते में दर्ज होगा नहीं और यदि खाते में नाम दर्ज नहीं होगा तो शिकमी उठाने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसी दशा में अगर नारायण दत्त जी का सुझाव कि वह पांचों पिता मरें और उसके बाद में माइनर को अधिकार दें तो उसके दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि पांचों पिता के रहते हुए यह अनिश्चित है कि किस पिता की कौन कौन सन्तान है। ऐसी अवस्था में वहां माइनर को कभी अधिकार नहीं मिलेगा। मैं इसको भी छोड़ता हूं अगर इस तरह से स्वीकार कर लिया जाय तो अन्त में हमको यह विचारना पड़ेगा कि ५ पिताओं का एक पुत्र है। उनमें से एक मर जाता है तो वह पुत्र ऐसा होगा जिसकी देखभाल के लिये दूसरे लोग मौजूद हैं। मैं तो यह समझता हूं कि जिस पत्नी के ५ पति हैं उनके अलग-अलग कुटुम्ब नहीं होंगे। मैं ठीक तो नहीं जानता लेकिन ऐसा समझता हूं कि वे पांचों पति अलग अलग न रह कर उसी एक पत्नी के घर पर रहते होंगे। उनसे कोई सन्तान उत्पन्न हुई तो वह सन्तान पाँचों पतियों की है और उसको पांचों का संरक्षण प्राप्त है। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

यह जो धारा ४ है यह कुछ संरक्षण दिये जाने की धारा है यानी कुछ विशेष अधिकार की धारा है और यह अधिकार माइनर को दिये जाने का इसमें जिक्र है जिसके द्वारा कुछ अधिकार माइनर को दिये जायंगे उस स्थिति को ध्यान में रखते हुये जब तक माइनर का कोई संरक्षक या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसकी भूमि का देखभाल कर सके तो ऐसी परिस्थिति में न्याय भी ऐसा है और इस विधेयक में भी ऐसा है कि उस कानून के द्वारा उसको कुछ अधिकार प्राप्त हो कि वह अपनी भूमि को शिकमी पर उठा सके। तो मैं स्पष्ट रूप से प्रार्थना यह करूंगा कि मेरे मित्र नारायण दत्त तिवारी ने जो सुझाव रखा है वह तो इस विधेयक में सैद्धान्तिक रूप से धारा ४ में निहित है। सिद्धान्त के आधार पर यह संरक्षण केवल उन माइनर को मिलना चाहिये जिनका कोई संरक्षक नहीं है और उसकी भूमि की देखभाल नहीं हो पाती उसके देखभाल के लिये किसी व्यक्ति की जरूरत है। उसके दूसरे पिता के द्वारा तो उनको संरक्षण प्राप्त होना ही चाहिये। मेरे मित्र इसका उत्तर यह देंगे कि यह धारा ही इसमें से निकाल दी जाय। तो इसका उत्तर मैं उनको यही दूंगा जो राजस्व मंत्री जी ने दिया है कि हमारे यहां जो यह बहुविवाह प्रथा है इसके अलावा कुछ ऐसे कुटुम्ब भी हैं जिनके एक पत्नी या एक पिता ही होता है और उनके एक पुत्र भी होता है। एक पुत्र होता है जब उसका पिता मर गया तो उसके बाद खाते में नाम उस लड़के का चढ़ेगा और उसको वह संरक्षण प्राप्त होना चाहिये, अन्यथा जिसके कोई पिता नहीं है उसको संरक्षण कैसे प्राप्त होगा? मेरी दृष्टि से मेरे मित्र नारायण दत्त जी मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे और अपने प्रस्ताव को सदन के सामने नहीं रखेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस बात को हाउस अच्छी तरह से जानता है कि जौनसार-बावर में एक स्त्री के कई पति होते हैं लेकिन जो संशोधन पेश किया गया है और इसके संबंध में जो बात कही गयी और नारायणदत्त जी ने जिस बात को कहा कि अगर एक स्त्री के कई पति हैं उसमें किसको उसका पति समझा जाय और कौन जिन्दा है और कौन मर गया है। यह एक बिल्कुल सीधी सी बात है। चार पिता हैं, एक स्त्री है, और एक लड़का है। अगर चारों पिताओं के संबंध में भ्रम है कि उस लड़के का कौन पिता है तो जब वह सब मर जायेंगे तभी वह पितृहीन समझा जायगा लेकिन जब तक वे चारों पिता जिन्दा हैं तब तक वह पितृहीन नहीं माना जायगा। अगर उनका यह कहना है कि चार पिता हैं तो उनकी मौजूदगी में तो कैसे उसको हक प्राप्त होगा तो राजस्व मंत्री जी ने यह बात बतलाई कि जब माइनर के नाम पर जमीन चढ़ गई तो फिर उसका कोई पिता उस जमीन को शिकमी पर चढ़ा दे तो इस बात को रोकने के लिये यह क्लाज रखी गयी है।

अध्यक्ष--अगर माननीय मंत्री जी इसको पितृहीन कर दें तो संभवतः यह झगड़ा खत्म हो जाय। जिसका पिता मर गया वह पितृहीन हो गया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में तो पितृहीन माइनर लिखा हुआ है और ऐसे लिखने से यह झगड़ा खत्म हो सकता है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन जो वहां पर प्रथा है वह यह है कि बड़ा भाई शादी करता है वही स्त्री जितने भाई होते हैं उनकी स्त्री समझी जाती है। लेकिन ऐसी भी है और मैंने इसको जौनसार बावर में सुना है कि अगर कोई भाई अपने परिवार से अलग हो जाय तो वह शादी कर सकता है। जब तक वह सम्मिलित कुटुम्ब का है तब तक उसको शादी करने का अधिकार नहीं है। वह अलग हो कर ही ऐसा कर सकता है। इस प्रकार से वहां शादी अलग से भी की जा सकती है, लेकिन सामान्य रिवाज यही है कि बड़ा भाई वहां पर शादी करता है और वह सब की स्त्री समझी जाती है तो जो कोई पुत्र उत्पन्न हुआ उसके लिये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वह किस पिता का पुत्र है इसलिये जो क्लाज है कि पितृहीन होने पर ही अधिकार होगा तो जितने पिता हैं सब नहीं रहेंगे तब वह पितृ-हीन होगा। इसलिये इसमें कोई संशय की बात नहीं है और श्री नारायण दत्त जी का जो संशय है वह पैदा नहीं होता। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कमला सिंह--मैं श्री नारायण दत्त जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये कि एक अवयस्क के साथ जिसका पिता मर गया हो, इस पर कुछ कहने के पहले मैं सदन का ध्यान जो आखिर का प्रतिबन्ध है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं कि "यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो तो यह अपवाद उन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त न हों।" सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही "के अनुसार अगर आप ध्यान दें" तो अगर माइनर शब्द लाया जाता है तो पिता मर गया हो तो यह शब्द निकाल दिये जाते हैं तो यह प्रतिबन्ध तो कवर कर लेगा और अगर नहीं निकालते हैं तो उसमें एतराज होगा जिसको मानने के लिये राजस्व मंत्री जी बाध्य होंगे। ऐसी परिस्थिति में मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा कि वह प्रतिबन्ध की ओर भी ध्यान दें और समझ सोच लें और उसके बाद अपना किसी किस्म का फैसला दें। अब तक एक पिता या ५ पिता के बारे में कहा गया, एक पिता हो या ५ पिता हों इसका कोई असर धारा पर नहीं पड़ता। जब हम कहते हैं कि वह "सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त न हों।" ऐसी हालत में मैं राजस्व मंत्री जी से फिर कहूंगा कि वह माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन को मान लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मने बड़े ध्यानपूर्वक अपने माननीय मित्रों के भाषणों को सुनने की चेष्टा की कि जिन्होंने मेरे संशोधन के विरोध में कुछ कहा लेकिन दरअसल में उन्होंने अगर प्रस्तुत धारा को देखा होता तो उनको ऐसी

शंका न होती। इसमें स्पष्ट लिखा है कि "केवल उस दशा को छोड़कर जब कि पट्टेदार निम्नलिखित में से कोई हो, उसमें आता है" अवयस्क जिसका पिता मर गया हो, तो यह एक वचन में है बहुवचन में नहीं है यानी जो पितृहीन हो गया हो लेकिन पित्रहीन होने पर भी जो मंशा है वह नहीं आती। अगर आप दस्तूरुलअमल को देखें तो उससे स्पष्ट हो जायगा कि वहां कभी-कभी ऐसा होता है कि वहां आदमियों का भी शेयर होने लगता है और वहां ऐसी-ऐसी अजीब प्रथायें हैं कि उनको अगर मैं बताऊं तो घंटा भर लगेगा। रिपोर्ट में दस्तूरुलअमल के बारे में पेज ९० में है कि--

"If, according to custom, four brothers have two or perhaps one wife between them, and four or five daughters : are born and one of the brothers marries again, the children are not shared between them, but remain with the women".

[अगर प्रथानुसार चार भाइयों की दो या शायद एक पत्नी हो और चार या पांच पुत्रियां पैदा होती हैं और एक भाई दुबारा शादी कर लेता है तो बच्चे उनमें नहीं बांटे जाते परन्तु वे औरत के पास रहते हैं।]

ऐसे कानून जहां के हैं वहां पितृहीन कैसे लागू होगा। एक पिता कहां लागू होगा। श्री लक्ष्मी रमण जी आचार्य को भी शायद कुछ गलतफहमी हो गयी कि माइनर में भी टाइटिल मिल जाता है। माइनर में किसी के दो-तीन पिता हों और जब कोई माइनर होगा तभी तो शिकमी उठावेगा और अगर टाइटिल न होगा तो वह जमीन उठावेगा ही कैसे उसको उठाने का अधिकार तो उसके पैरन्ट्स को होगा।

जो बात उन्होंने कही वह माइनरशिप में आ जाती है। इधर जैन साहब को गलत-फहमी हो गयी। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कुछ लोग वहां चले जाते हैं अगर वे बहु-विवाह नहीं करते तो यह चीज उनसे लागू नहीं हो सकती जो मैं कह रहा हूं। मेरा तो कहने का मतलब यह है कि वह माइनर जिसको काश्तकारी टाइटिल मिला हुआ है और काश्तकार के रूप में उसको उठाता है। लेकिन जो माइनर काश्तकार ही नहीं है तो फिर वह कहां से उठायेगा। इसलिये वहां की हालत को देखते हुए यह शब्दावली ठीक नहीं है "जिसका पिता मर गया हो" या तो यह होना चाहिये कि जिसके सब पिता मर गये हों या यह कि जैसा मौर्य जी ने कहा "पितृहीन" शब्द अगर रख दिया जाय तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। अगर मेरा नहीं तो माननीय मंत्री यदि मौर्य जी का संशोधन स्वीकार कर लेंगे तो मेरे ऊपर तो क्या उन लोगों के ऊपर जो माइनर हैं, बड़ा उपकार होगा। शान्ति प्रपन्न शर्मा जी जरा और बता दें कि वहां पर क्या हालत है। अतः मेरे संशोधन के मानने में यदि कोई आपत्ति हो तो मौर्य जी का ही संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि बहुत मोटी से मोटी बात भी समझ में नहीं आती और मैं और मेरे दूसरे साथी अपने आपको उन्हें समझाने में अपने आपको नाकाबिल पाते हैं। विधेयक में यह लिखा हुआ है कि "जिसका पिता मर गया हो" उसके बजाय आप चाहते हैं "सब पिता मर गये हों" जनरल क्लासेज ऐक्ट में यह आया है कि 'सिंगुलर इन्क्लूड्स प्लूरल' इसलिये जहां एक पिता है वहां उसका मतलब एक से होगा और जहां कई पिता हैं वहां उसका मतलब बहुत से पिताओं से होगा। लिहाजा आपकी जो शंका और भ्रम है वह सब निराधार है। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे माना जा रहा है कि सभी स्त्रियों के बहुत पति होते हैं। इधर अब वहां मोनोगेमी के हक में लोग बहुत होते जा रहे हैं। वहां के निवासियों में एक पत्नी का रिवाज होता जा रहा है। दूसरी बात यह है यह मान भी लिया कि वहां पुराना रिवाज पूरी ताकत से लागू है तो भी एक पति वाली पत्नी भी तो हो सकती है। मान लिया कि किसी का एक ही लड़का है तो उसकी जो पत्नी होगी वह एक पति वाली ही होगी और उसका जो लड़का होगा उसका एक ही पिता होगा। इसलिये यह कहना कि सभी

[श्री चरण सिंह]

स्त्रियों के कई-कई पति होते हैं, यह गलत है। इसलिये चाहे तो एक पिता हुआ या एक ग्रुप आफ परसन्स पिता हुए वह जब तक पितृहीन नहीं होगा जब तक कि वह पिता या उनमें से कोई पिता जिन्दा है। इसलिये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति को पिता मान लिया जाय या एक ग्रुप आफ परसन्स को इकाई मानकर पिता मान लिया जाय। उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मुझे जरा बहुगुना जी के यह कहने पर ताज्जुब हुआ। उनको यह अधिकार था कि वे कहते कि जो अच्छी चीज है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन यह कि माकूल बात कही जाय चाहे वह विरोधी भाइयों की तरफ से भी कही जाय तो मैं उसे स्वीकार करता हूं और यदि कोई नामाकूल बात हो, बिलकुल गैरमाकूल हो तब नामंजूरी की नौबत आती है। लेकिन उसमें ऐसी कोई अच्छी चीज है नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ (२) क शब्द "जिसका पिता मर गया हो" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजाफ्फर नगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि उपखंड (२) के अन्त में शब्द :--

"और यदि किसी रिकग्नाइज्ड संस्था का विद्यार्थी हो तो २५ वर्ष की आयु तक" बढ़ा दिये जायं। उसे भी एक माइनर का हक दिया जाय कि वह अपनी जमीन दूसरे को उठा सके। मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि ऐसे विद्यार्थी को, जो किसी रिकग्नाइज्ड संस्था में पढ़ते हों, उन्हें २५ वर्ष की आयु तक वे अधिकार हों जो कि एक माइनर का अधिकार है। १८ वर्ष की उम्र के बाद कोई माइनर नहीं रहता। मगर ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे कि कोई विद्यार्थी पढ़ता हुआ हो, और वह २५ वर्ष की आयु तक पढ़ता रहे तो उसको भी यह अधिकार होना चाहिये जो कि एक माइनर का अधिकार है।

इसके साथ में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की दफा १५७ के न भाग को आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं। "किसी स्वीकृत संस्था में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष की आयु का न हो" तो उसको अपनी जमीन के ऊपर हक दिया गया है अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है तो उसको भी और यदि कोई ऐसा पितृहीन है तो ऐसी दशा में उस शख्स को भी अधिकार है कि वह अपनी भूमि किसी दूसरे को उठा सके। तो जमींदारी उन्मूलन कानून और मौजूदा कानून में सामंजस्य उत्पन्न होना चाहिये और उसके साथ साथ ऐसे विद्यार्थियों को भी यह हक होना चाहिये कि वे अपनी भूमि किसी दूसरे को दे सकें और उससे लाभ उठा सकें। इसी के साथ साथ इससे सबसे बड़ा लाभ यह भी होगा कि वह प्रान्त के इस पिछड़े हुये भाग में जहां शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, शिक्षा बढ़ेगी। इसलिये अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो मैं समझता हूं कि वहां के शिक्षा प्रचार में भी बहुत कुछ सहूलियत मिल जायगी और उससे बहुत लाभ हो सकेगा। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार कर लें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय बलवन्त सिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और इसलिये विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि शायद मेरे विरोध करने से माननीय राजस्व मंत्री जी उसे मान लें और स्वीकार कर लें। क्योंकि जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य विरोध करते हैं तो वे समझते हैं कि जरूर इसमें कोई अच्छी चीज होगी या बुरी होगी, जो कुछ भी वे ठीक समझते हों। इसलिये मैं इसका यहां पर विरोध कर रहा हूं। मैं यह समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। १८ वर्ष जब किसी लड़के

को हो जाते हैं तो वह काफी समझदार हो जाता है और अपनी जमीन का इंतजाम वह खुद कर सकता है या नौकर रख करके करवा सकता है । २५ वर्ष तक के लिये रियायत दे देना ठीक नहीं है । जौनसार बावर में जहां तक शिक्षा का सवाल है वहां अब काफी शिक्षा जोरों से चल रही है और काफी ग्रेजुएट्स वहां हो गये हैं । वहां के काफी लोग सरकारी नौकरियों में भी आ गये हैं । वहां के लोग अब उतने पिछड़े हुए नहीं हैं जितना माननीय सदस्य समझते हैं । इससे शिक्षा में भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलने वाला है और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल फिजूल है और २५ वर्ष तक के लिये बढ़ा देने से कोई फायदा नहीं है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह संशोधन रखा गया है वह तो स्वीकार नहीं है लेकिन बात सही है उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है यानी किसी रिकगनाइज्ड संस्था का विद्यार्थी हो । लेकिन जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में जो शब्द रखे गये हैं ऐसा रख दिया जाय तो मुझ आपत्ति नहीं होगी । जमींदारी उन्मूलन की धारा १५१ के क्लाज (ङ) में है "किसी स्वीकृत संस्था (recognised institution) में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक आयु का न हो ।" इसको यदि इस रूप में रख दिया जाय, जैसा मैं बताता हूं तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

यह संशोधन इस प्रकार उपस्थित किया जाय--

खंड ४ के उपखंड (२) के बाद एक दूसरा उपखंड (२-क) बढ़ा दिया जाय जो इस प्रकार हो "(२-क) किसी स्वीकृत संस्था (recognised institution) में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक आयु का न हो ।"

श्री बलवन्त सिंह--माननीय राजस्व मंत्री की ओर से जिस रूप में यह संशोधन रखा गया है वह मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (२-क) बढ़ा दिया जाय--

"(२-क) किसी स्वीकृत संस्था (recognised institution) में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक आयु का न हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ के प्रतिबन्ध की अंतिम पंक्ति में शब्द "ग्रस्त" के बाद शब्द "न" बढ़ा दिया जाय, यह संशोधन पेश करता हूं ।

यह इसलिये जरूरी है कि यदि प्रतिबन्ध का क्लाज जो है उसको पढ़ें तो उसमें यह लिखा हुआ है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो तो यह अपवाद उन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त हों ।" ऐसे शब्द हैं । उसके लिये "न" शब्द जब तक नहीं आता तब तक इसका मतलब साफ नहीं निकलता । मैं समझता हूं कि यह छापेखाने की गलती है वरना यह बहुत आवश्यक है कि "न" रखा जाय । इसके बिना असली मतलब पूरा नहीं होता । म समझता हूं कि यह संशोधन माननीय राजस्व मंत्री जी स्वीकार करेंगे ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के प्रतिबन्ध की अंतिम पंक्ति में शब्द "ग्रस्त के बाद शब्द "न" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के वर्तमान प्रतिबन्ध के उपरान्त निम्नलिखित दो नये प्रतिबन्ध बढ़ा दिये जायं---

"किन्तु दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूतकाल में किसी काश्तकार ने ३ वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी काश्त की जमीन शिकमी लगानी या शिकमी बटाई पर उठाया हो, तो उक्त जमीन से यदि वह १० एकड़ से अधिक हो, उसका १० एकड़ से अधिक जमीन से स्वत्व समाप्त हो जायगा और शिकमी असली काश्तकार हो जायगा।

किन्तु तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि धारा ४ की उपधारा (१) से (६) तक में वर्णित व्यक्तियों के लिये १० एकड़ से ज्यादा जमीन के लिये धारा ४ में दी हुई रियायत लागू नहीं होगी।"

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक जो है उसका नाम "जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२" है। अगर यह केवल भौमिक विधेयक होता और रेकार्ड्स को तैयार करने के लिए होता तो हम इस पर आपत्ति नहीं करते। लेकिन धारायें ३ और ४ इसमें ऐसी धारायें हैं जिसमें सरकार का यह भी इरादा मालूम होता है कि कुछ भौमिक सुरक्षा भी उनको प्रदान की जाय। धारा ३ के बारे में कल काफी बहस हो चुकी है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आन प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं श्रीमान् के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि इसके पहले एक संशोधन यह स्वीकार कर लिया गया कि शिकमी का उठाना ही अवैध होगा यानी तीन वर्ष या किसी समय के लिये कोई शिकमी नहीं उठा सकेगा। तो अब माननीय रामनारायण जी का यह संशोधन ३ वर्ष की अवधि से अधिक के लिये उठाया जाय, यह बात यहां बैठती नहीं है और शिकमी उठाना बिल्कुल बन्द कर दिया गया तो ३० एकड़ वगैरह का भी प्रश्न नहीं उठता। आपने उसके आगे यह कहा है कि तीसरे प्रतिबन्ध में कि ३० एकड़ से ज्यादा भूमि के लिये धारा ४ में दी हुई रियायत लागू नहीं होगी तो उनके लिये तो आपने एक्सेप्शन रखा है जो उसमें नाम दिये गये हैं ६-७ क्लाजेज के। तो इसलिये यह आवश्यक है और एक बात जब तय हो गयी तो इससे मतलब नहीं निकलता कि ३ वर्ष से अधिक के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया जाय। इसलिये यह आउट आफ आर्डर है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि माननीय राजस्व मन्त्री के सभासचिव ने ऐसे संशोधन को ठीक से नहीं पढ़ा। जो इस सदन में पहले पास हो चुका है और माना जा चुका है वह भविष्य काल के लिये है, पर मेरा संशोधन तो भूतकाल में है। इसका आशय यह नहीं है कि आगे कोई शिकमी पर उठा सकेगा, बल्कि भूतकाल में शिकमी उठाया गया और उसके लिये मेरा संशोधन है, इसलिये इन आर्डर है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आपत्ति लागू नहीं होती। आप पेश कर सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण में यह कह रहा था कि इस विधेयक की धारायें ३ और ४ ऐसी हैं जो इसको भौमिक सुरक्षा बनाने का प्रयत्न कर रही हैं। धारा ३ की निस्सारता को हमारी तरफ से कल साबित की जा चुकी है लेकिन बहुमत की हठवादिता की वजह से कोई सुनवाई नहीं हुई। धारा ४ का सवाल है और उसमें लिखा है कि "कोई भी काश्तकार अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग को तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने से, ३ वर्ष के भीतर, नहीं उठायेगा, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि पट्टेदार निम्नलिखित में से कोई हो।" इस धारा को अगर गौर से पढ़ा जाय तो इसमें कोई भौमिक सुरक्षा प्रतीत नहीं होती। सिर्फ उसका एक नतीजा होगा जरूर कि वहां के किसान

जो कि कुछ साल तक शिकमी पर जमीन जोत करके अपने बालबच्चों और अपने परिवार के अन्य लोगों की परवरिश करत थे वह भविष्य में हर तीन साल के बाद जमीन बदल दिया करेंगे और उस जमीन से किसी को प्रेम नहीं रहेगा । हर किसान यह सोचेगा कि तीन साल तक शिकमी रहेंगे और फिर निकाल दिये जायेंगे इसलिये पहले अपनी जमीन जोतो और उसके बाद अगर थोड़ा सा समय मिले तो उसमें भी परिश्रम कर दो । तो इससे कोई भौमिक सुरक्षा वहां पहुंचती है, ऐसी बात नहीं है । अगर वाकई सरकार का मतलब यह है कि इसको भूमि सुरक्षा विधेयक बनाया जाय तो मेरा जो संशोधन है उससे वास्तव में पिछले जमाने से जो लोग शिकमी काश्त करते चले आरहे हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है । अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस सम्बन्ध में हमारी सरकार के पास कोई भी आंकड़े नहीं हैं कि शिकमी काश्त पर कितनी जमीन उठी हुई है । जैसा कि कायदे में है । हमारी विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में, मैंने आपके द्वारा राजस्व मन्त्री जी से कुछ आंकड़े मांगे थे और उसमें पहिला मेरा प्रश्न एक यह था कि शिकमी काश्तकारों की कब्जे की अधिक से अधिक और कम से कम अवधि और शिकमी काश्तकारों का रकबा तो उत्तर मिला है कि "कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।" तो हमारी सरकार का सबसे बड़ा दावा धारा ४ के द्वारा भौमिक सुरक्षा रखने का है और उसके सम्बन्ध में हमारी सरकार को कोई आंकड़े ही नहीं मालूम हैं और दूसरे आंकड़े जो हमारे पास कल आये हैं उसमें कई बार कई बातें कही गयीं ।

श्री चरण सिंह--मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपके कौन से सवाल के जवाब में हमने लिखा था । क्या आपने जौनसार बावर के बारे में सवाल पूछा था ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अच्छा तो होगा कि मैं वह पत्र ही पढ़ करके सुना दूं :

प्रेषक,

श्री राम स्वरूप महरा,
अन्डर सेक्रेटरी, राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश विधान सभा ।
दिनांक १४ अक्तूबर, १९५२ ई० ।

महोदय,

आपने जो जौनसार बावर अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक के सम्बन्ध में श्री रामनारायण त्रिपाठी का जो पत्र भेजा है उसके सम्बन्ध में मुझे राजस्व मन्त्री ने निम्नलिखित सूचना देने का आदेश दिया है :

(१) उक्त परगने में मध्यवर्तियों के सीर और खुदकाश्त का कब्जा--इस परगने में सीर और खुदकाश्त की प्रथा वैसी ही राज्य के अन्य भागों में है प्रचलित नहीं है । उस भूमि का रकबा जो जमीन्दारों के कब्जे में है और पट्टे पर नहीं उठी हुई है, ३४७३७ एकड़ है ।

(२) औसत लगान--कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(३) औसत मालगुजारी--इस समय कुल खती का रकबा ३९६१३ एकड़ है और कुल मालगुजारी २५९१० रुपया, इस प्रकार औसत लगान ०-१०-६ प्रति एकड़ हुआ ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

(४) शिकमी काश्तकारों का रकबा
(५) शिकमी काश्तकारों के कब्जे की की अधिक से अधिक और कम से कम अवधि } कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(६) कोल्टा और बाजगी जातियों के अधिकार के जमीन का रकबा ६५९५ एकड़।

तो अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों में मैं यह देखता हूं ३४६३६ एकड़ जमीन ऐसी है जो जमींदारों के कब्जे में है और पट्टे पर नहीं उठायी गयी है और ६५९५ एकड़ जमीन ऐसी है जो कोल्टा, बाजगियों के पास है। जो जमीन जमीन्दारों के पास है उसको वे या तो खुद जोतते हैं या शिकमी पर उठाते हैं। शिकमी काश्तकारों के पास कितनी जमीन है और कितने समय से उठी हुई है इसके कोई आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं। जैसे कि रिकार्ड्स आपरेशन किये जा रहे हैं उनके लिये यह आवश्यक है कि यह पता चले कि इतने साल से यह शिकमी है और इतने साल से इतना शिकमियों का रकबा निकलता है। और ३४७३७ एकड़ जमीन में से कितनी शिकमी जमीन है। तो जो मेरा संशोधन है वह सरकार की पूरी मदद करता है और मैं समझता हूं कि अगर यह संशोधन मान लिया जाय कि भूतकाल में जिन्होंने अपनी जमीन तीन साल से ज्यादा शिकमी पर उठायी है उनकी जमीन शिकमी काश्तकार को मिल जाय, इससे बहुत मदद मिलेगी। मैंने इस सम्बन्ध में खास रियायत की है क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई कानून बनता है तो लोग बहुत सी बातें कर लेते हैं। माननीय राजस्व मन्त्री जी को जमीन्दारी अबालिशन और भूमि व्यवस्था विधेयक के क्रान्तिकारी होने पर बड़ा गर्व है। उन्होंने उसमें यह रखा है कि अगर शिकमी पर किसी किसान ने उठाया हो और आठ एकड़ तक उसका रकबा हो तब वह बेदखल कर सकता है, अगर आठ एकड़ से ज्यादा रकबा हो तो ८ एकड़ से ज्यादा रकबा वाला जो शिकमी काश्तकार हो वह असामी या शिकमी बन जायेगा और वह असली काश्तकार नहीं रहेगा। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने पहले ही बताया था कि वहां जमीन जो है वह ऐसी जमीन है जो प्लेन्स की जमीन के बराबर नहीं है। तो मेरा संशोधन जो है वह जमीन्दारी अबालिशन और भूमि व्यवस्था कानून के अनुकूल भी है। अगर माननीय राजस्व मन्त्री जी सचमुच इसको भौमिक सुरक्षा विधेयक बनाना चाहते हैं तो उनको मेरे इस संशोधन को मान लेना चाहिए। दूसरा प्रतिबन्ध मैं बाद में लूंगा।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र माननीय मौर्य्य जी ने एक आपत्ति उठायी थी, उस आपत्ति को मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन उसके अलावा एक प्वाइन्ट और था जिसका जिक्र करना वे भूल गये थे और वह यह है कि आपका कहना यह है कि ३० एकड़ से ज्यादा वह हो तो उस पर से उनका स्वत्व खत्म हो जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--३० के बजाय १० मैंने किया है।

श्री चरण सिंह--अच्छा दस सही। "किन्तु दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूतकाल में किसी काश्तकार ने ३ वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी काश्त की जमीन शिकमी लगानी या शिकमी बटाई पर उठायी हो, तो उक्त जमीन से यदि वह १० एकड़ से अधिक हो, उसका १० एकड़ से अधिक जमीन से स्वत्व समाप्त हो जायगा और शिकमी असली काश्तकार हो जायगा।" यह जो आप उनके राइट्स कंफिस्केट करना चाहते हैं बिना कम्पन्सेशन दिये यह एक तरीके से बिल्कुल कांस्टीट्यूशन के विपरीत पड़ता है। लेकिन मैं इस कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट पर स्टैन्ड नहीं ले रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी बिटरनेस के साथ यह कहा, बड़ी कड़वाहट के साथ यह कहा कि सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं, इतनी निकम्मी है। लेकिन जब मैंने कहा कि आप पूरा पढ़कर सुनाइये तो आपने सुनाया और आपकी शिकायत केवल इतनी रह गयी है। आपको जो खत गया उसमें बतलाया गया। इसमें उन्होंने पूछा

कि सीर के काश्तकारों का रकबा क्या है और शिकमी काश्तकारों की कम से कम और अधिक से अधिक क्या अवधि है। इस पर यहां से लिखा गया है कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। बाकी सब सूचनायें आपको आना पाई दे दी गयीं। सिर्फ इन दो चीजों की इत्तिला नहीं दी जा सकी। सीर के काश्तकारों का रकबा कैसे बतलाया जा सकता है जबकि वहां पर यह सवाल है ही नहीं। दूसरी चीज आपने यह पूछी कि शिकमी काश्तकारों की ज्यादा से ज्यादा और कम से कम अवधि क्या है यानी बड़ी से बड़ी होल्डिंग्स क्या हैं और छोटी से छोटी होल्डिंग्स क्या है। इतनी सी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी मुझे मुखातिब करके कह रहे हैं।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य ने यह कहा कि शिकमी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा रकबा क्या है। जबकि सदन को मालूम है कि यहां पर कोई लैन्ड रिकार्ड नहीं था। यह सन् १९५० ई० से शुरू हुआ है। इसीलिये सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। दूसरे कितनी ही सूचना इकट्ठी क्यों न कर लें तब भी कोई न कोई बात रह ही जायेगी। सूचना जब हासिल करने की कोशिश की जाती है जबकि उससे कुछ फायदा हो। जब वहां पर बड़ी होल्डिंग्स हैं ही नहीं तब यह गैर-जरूरी बात थी और उससे कोई पब्लिक इन्ट्रेस्ट सर्व नहीं होता था। वैसे मैंने बतलाया था कि कुल रकबा काश्तकारों के पास ४८७६ एकड़ है और खाते ७८६० हैं तो १.६ एकड़ पर खाते का रकबा हुआ जो काश्तकार के पास है। इसमें ३० एकड़ और १० एकड़ की होल्डिंग कैसे हो सकती है क्योंकि सूचना नहीं है इसलिये कहा जा सकता है कि मुमकिन है कोई हो। लेकिन यह मुमकिनात में से ही है। मौके पर शायद ही कोई पाई जाय। अगर कोई एक आध होल्डिंग पाई भी गयी तो उसके लिये मेरे माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है वह गैर-जरूरी है और बिला वजह मेहनत करना है या किसी खास वजह से या प्रचार के दृष्टिकोण से लाया गया हो तो बात दूसरी है वर्ना यह सवाल उठता नहीं है। किसी के पास दस एकड़ जमीन नहीं होगी। यदि होगी भी तो एक आध के पास भले ही होगी। कुल जमीन ३९६१३ एकड़ है और खातों की तादाद २३८०४ है और खाते में १.६ एकड़ पड़ता है और एक खाते में कई कई आदमी हो सकते हैं। मैंने आपको पहिले ही बतला दिया है कि कुल रकबा ४८७६ एकड़ है और खाते ७८६० हैं। इसलिये यह केवल थ्योरिटिकल बात रह जाती है। मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि यह किसी भी तरह ठीक हो सकता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राम नारायण त्रिपाठी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। मुझे एक बात माननीय राजस्व मन्त्री के मुंह से सुनकर बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। मैं तो उनको आंकड़ों का खजाना समझता था लेकिन जिस वक्त उन्होंने यह बतलाया कि उस इलाके में कोई लैन्ड रिकार्ड नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यह बतलाया कि इस तरह के आंकड़े देना संभव नहीं था कि कितने लोगों के पास कितनी जमीन है बड़े से बड़े और छोटे से छोटे खाते कितने हैं। अगर ऐसे आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं तो सरकार कैसे मालगुजारी वसूल करती है। माननीय राजस्व मन्त्री इसे स्वीकार करेंगे कि सरकार मालगुजारी वसूल करती है तो वह किसी आधार पर वसूल करती है। यह जरूर है कि भेड़ों और बकरियों का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या इस बात की भी गुंजाइश नहीं है कि इसमें जमीन का भी अन्दाजा रक्खा जाता है और इसके हिसाब से हम मालगुजारी वसूल करते हैं।

राजस्व मन्त्री जी ने यह बात कही कि वहां मालगुजारी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो क्या कोई हिसाब मालगुजारी लगाने का सरकार के पास नहीं था, तो किस आधार पर यह बात कही गयी। यह सुनकर वाकई आश्चर्य होता है और यह कहना मुनासिब नहीं मालूम

[श्री गेंदा सिंह]

होता कि वहां पर ऐसे आंकड़े नहीं हैं कि जिनके आधार पर यह बतलाया जा सके कि कितने एकड़ के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे काश्तकार हैं। माननीय राम नारायण जी का संशोधन केवल इतना है कि १० एकड़ से ज्यादा जो जोतने वाले हैं और उन्होंने शिकमी दे रखी है और शिकमी को उठाये तीन बरस से ज्यादा हो गये हैं तो उन शिकमी काश्तकारों को मौरूसी हक दे दिया जाय। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो नई हो। इस सदन ने आज नहीं, सन् ३७ में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी उस वक्त जो टेनेन्सी ऐक्ट बना था तो उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जिसके पास ५० एकड़ से ज्यादा सीर है और जो २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी अदा करता है तो उसका शिकमी काश्तकार जो होगा उसको मौरूसी हक दे दिया जायगा। तो ऐसी हालत में यह दलील देना कि जौनसार बावर में १० एकड़ के ऊपर के जोतने वाले के शिकमी को यह अधिकार देने में कान्स्टीट्यूशनल झगड़ा पड़ जायगा। मैं नहीं समझता कि यह झगड़ा कैसे उठ जायगा।

जौनसार बावर के इलाके के सम्बन्ध में जो इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है हरी पुर ब्यास का जो इलाका है बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है। ३९ का टेनेन्सी ऐक्ट वहां लागू कर दिया जाय। बहुत पहिले से इस चीज की मांग है लेकिन हमारी सरकार इसके लिये तैयार नहीं है। अगर ऐसी हालत में जौनसार बावर को उस इलाके से जिस इलाके में दूसरी प्रथा जारी है उससे जोड़ना के मानी यह होंगे कि इसको एक मुसीबत में डालना होगा। यह कहूं तो अत्युक्ति होगी। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जैसा हमें बतलाया है कि वहां ५५ या ६० हजार की आबादी है और २० हजार एकड़ पर खेती है। यह खेती और आबादी का अनुपात हम अपने प्रदेश में नहीं पायेंगे। यह अनुपात ऐसा नहीं है जिसमें हम जमीन के बटवारे से बहुत घबड़ायें। हम तो जमीन के बटवारे की बात छोड़कर एक एक्सपेरीमेंट करने की बात कह रहे हैं जिससे अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान सरकार तो पूरे प्रदेश के कृषि कानून में कई प्रकार के परीक्षण कर रही है। बनारस में कोई दूसरा कानून है, रामपुर में कोई दूसरा कानून है और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में कोई दूसरा कानून है। तो मैं यह समझता हूं कि हर जगह रामपुर में कोई और अनुभव, बनारस में कोई और अनुभव हो सकता है और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में कोई और परीक्षण हो सकता है तो देहरादून जिले की एक तहसील में अगर इस तरह का परीक्षण कर लिया जाय कि जमीन वहां के लोगों को बांट कर देखा जाय कि इससे उत्पादन बढ़ता है या घटता है या किस तरह से उसका असर पड़ता है तो यह कोई बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है। केवल इतना प्रश्न है कि जिन लोगों के पास काफी जमीन है और जो स्वयं खेती नहीं करते हैं और दूसरे से खेती करवाते हैं और दूसरे की मेहनत पर मौज करते हैं तो ऐसे लोगों के पास जमीन नहीं रहना चाहिए और जो अन्न उत्पादन करते हैं, जो राष्ट्र का हित करते हैं और मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं उनको ही जमीन का मालिक बनाया जाय। मैं समझता हूं कि स्वत्व शब्द से कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है लेकिन माननीय राजस्व मन्त्री चाहेंगे तो इस पर उनसे समझौता हो सकता है बजाय इसके द्वारा शाद रखा जा सकता है अगर शिकमी को मौरूसी का हक देने का फैसला कर दिया जाय। यह संशोधन जो है उसकी बाबत माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान टेनेन्सी ऐक्ट ३९ की तरफ, जो उनका ही बनाया हुआ है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं और फिर उसके बाद जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इस वक्त लागू है और फिर उनके वक्तव्य की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसको उन्होंने बार बार हमारे सामने कहा है कि हम एक दो महीने में इसी कानून को वहां पर लागू कर देंगे। इसमें कोई वजह नहीं मालूम होती है कि इस कानून का एक टुकड़ा अगर इसी वक्त लागू कर दिया जाय। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसी गड़बड़ हो जाय जिससे पहिले से भी हालत बिगड़ें। मैं यह समझता हूं कि रामनारायण जी की भी बात को मान लिया जायगा और उससे हम यह समझेंगे कि कम से कम हमारी एक बात तो मान ली गयी जो बहुत मुनासिब बातों में से है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--अध्यक्ष महोदय, मेरे विरोधी दल के मित्रों ने जो विवाद आज भवन में उपस्थित किया उससे मैं केवल यह समझा कि भूमि वितरण के सिद्धान्त प्रतिपादन करने के लिये उन्होंने यह संशोधन इस सदन के सामने रखा है। भूमि वितरण का सिद्धान्त गलत है या सही, इसको मैं नहीं कहता और यह सदन इस सिद्धान्त को किस रूप में आज या भविष्य में स्वीकार करे यह तो एक अलग चीज है और इस संबंध में मेरे मित्रों का क्या रुख रहेगा यह भी एक अलग चीज है। लेकिन मैं तो उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि वह स्वयं अपने संशोधन को जो धारा ४ का संशोधित रूप है, उसके साथ में इसको रखकर पढ़ें तो इस धारा ४ की स्थिति कैसी बन जायगी। यह धारा ४ जो बिल की है वह इस प्रकार है कि "कोई भी काश्तकार अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग को तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने से तीन वर्ष के भीतर नहीं उठायेगा केवल उस दशा को छोड़कर जब कि पट्टेदार निम्नलिखित में से कोई हो"। तो इस स्थिति में या धारा ४ केवल कुछ स्थितियों को छोड़कर बाकी दशा में किसी प्रकार से वह शिकमी पर नहीं उठा सकता है और यह प्रतिबन्ध यह धारा लगाती है और कुछ व्यक्तियों को विशेष अधिकार देते हैं शिकमी पर उठाने के लिए। अब अगर हमारे मित्र श्री राम नारायण जी का यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो जो स्थिति इस धारा की होगी वह यह होगी कि जो प्रतिबंध इसमें हैं यानी एक या एक से अधिक कोई व्यक्ति खाते में हों तो उनके संबंध में दूसरी स्थिति हो या वही हो।

इसके अतिरिक्त यदि आप के प्रतिबन्ध को स्वीकार किया जाय तो वह प्रतिबन्ध यह हुआ कि यदि किसी ने पिछले ३ सालों से कोई भूमि शिकमी पर उठाई है तो अब उसको उसका दंड मिलेगा कि अगर उसकी दस एकड़ भूमि से अधिक है तो वह उससे निकल जायगी। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस धारा को पढ़ें और उसके बाद यदि वह इस प्रतिबन्ध को रखें तो वह समझेगें कि यह तो एक दूसरे के विरोध में हैं। उधर तो आप कहते हैं कि कोई शिकमी पर न उठा सकेगा और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अगर ३ साल पहले कभी उठाई होगी तो भी उसको यह दंड दिया जायगा। यह तो एक दूसरे के विरोधी बात है। जो पहले स्थिति थी कि ३ साल तक यदि शिकमी पर उठायेगा वह तो नहीं उठावेगा, ऐसी स्थिति में शायद यह संशोधन कुछ अर्थ रख सकता था, लेकिन इस तरह से तो यह केवल व्यर्थ ही नहीं बल्कि अनियमित भी है। अनियमित इसलिए है कि यह क़ानून के विरुद्ध है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप की रूलिंग हो चुकी है और फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह अनियमित है।

श्री अध्यक्ष--ऐसा तो वह कह सकते हैं कि यह क़ानून की धाराओं के विरुद्ध है या अनियमित है, वह तो मेरिट्स पर कह रहे हैं, उन्होंने रूलिंग को क्वेश्चन नहीं किया है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--मैं अध्यक्ष महोदय, आप का अनुगृहीत हूं। मेरा भी यही मतलब था और मैं किसी रूप में भी माननीय अध्यक्ष की रूलिंग की अवहेलना नहीं कर रहा था बल्कि मैं तो यह कह रहा था कि यह अनियमित है और क़ानून के विरुद्ध है। एक दूसरी बात मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं यद्यपि मंत्री महोदय ने भी इसका जिक्र किया था और मैं अपने माननीय मित्र राम नारायण जी का ध्यान संविधान की धारा ३१ की तरफ दिलाऊंगा जिसमें है कि "किसी भी प्रकार किसी सम्पत्ति का अपहरण नहीं किया जा सकता और वह केवल ऐसी स्थिति में किया जा सकता है जब कि उस सम्पत्ति के लिए प्रतिकर स्टेट गवर्नमेंट दे।" अगर यह स्वीकार किया जाता है तो परोक्ष रूप से अर्थ यह है कि आप दस एकड़ से ऊपर की भूमि का आप अपहरण करते हैं और उसे दूसरे लोगों में बांटते हैं। इस दृष्टि से मैं कहूंगा कि आप का यह संशोधन गलत है और अनियमित है। अब तीसरे

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

व्यावहारिक रूप मेरे मित्र देखेंगे कि किसी व्यक्ति के पास ५० एकड़ का खाता है और यदि आज की स्थिति को स्वीकार किया जाय तो वह व्यक्ति जो इन ६ प्रकार में से होगा। जैसे अविवाहिता स्त्री हो या पागल हो या अवयस्क हो आदि जो हैं। मान लें कि किसी का ५० एकड़ का खाता है और आप कहते हैं कि अगर किसी ने पिछले ३ साल से अपने खाते पर शिकमी कायम किया है इसलिए आप के पास केवल दस एकड़ भूमि रहेगी और आप ४० एकड़ दूसरे को दे देंगे यह आप उसको दंड देते हैं। अगर किसी ने भूमि को बढ़ाया है, इम्प्रूव किया है उसको आप केवल दस एकड़ ही देना चाहते हैं।

और उधर आप ४० एकड़ के एक दूसरे खाते को दूसरे आदमी के लिये पैदा कर देते हैं। मैं कहूंगा कि व्यावहारिक रूप से यह चीज बिलकुल गलत है। फिर आज की स्थिति में जब भूमि के वितरण की व्यवस्था आपके सामने आये तब अगर आप इस चीज को रखें तब तो सदन इस पर अच्छी प्रकार से विचार कर सकता है लेकिन इस धारा ४ के साथ में यह चीज नहीं रखी जा सकती। अगर यह धारा ४ के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह बिलकुल व्यर्थ और निरर्थक हो जायगी और बहुत ज्यादा झंझट की संभावना है। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र से कहूंगा कि धारा ४ के साथ में इस चीज को लाना ठीक नहीं है क्योंकि इस संशोधन में दूसरी चीज और धारा ४ में बिलकुल दूसरी चीज है।

इसके अतिरिक्त मैं नहीं समझ सका कि क़ानून बनाने के जो सिद्धान्त हैं उनके अनुसार यह संशोधन कैसे लाया जा सकता है। हमें देखना यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि वहां के रीति रिवाज के कारण वहाँ एक प्रकार के वर्ग की उत्पत्ति हुई है उसको समाप्त करके उन लोगों को सहूलियत दी जाय लेकिन आप उसके बजाय यहां पर दंड देने की व्यवस्था करते हैं। मैं नहीं समझ सका कि कैसे वहां दंड देने की व्यवस्था की जा सकती है, परोक्ष में नहीं तो अपरोक्ष रूप में आप दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी तीन वर्ष पहले किये हुए कार्य खत्म कर दिये जायेंगे। एक ओर तो आप इस प्रकार के व्यक्तियों को संरक्षण दे रहे हैं दूसरी ओर आप उन्हें दंड दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं और एक दूसरे का सामंजस्य और समन्वय नहीं है और जो तरीक़ा या सिद्धान्त क़ानून बनाने का है उसके विरुद्ध है। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्व मंत्री और साथ ही साथ माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी के भाषण बड़े ध्यान से सुने। उनमें दो तीन बातें कही गई। पहले मैं लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने जो कहा उसको लूंगा। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी भूमि वितरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रही है। पहले भी उन्होंने कई बार यह कहा कि मौसम बे मौसम सोशलिस्ट पार्टी भूमि वितरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन करती रहती है। अध्यक्ष महोदय आप इस बात से वाक़िफ़ हैं कि जहां तक यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ का सवाल है और जमींदारी एबालीशन ऐक्ट का सवाल है उसमें भूमि के वितरण के सिद्धान्त को न मान कर कम से कम यह मान लिया गया है कि भविष्य में होल्डिंग्स को सीमित किया जाय। अब सिर्फ फ़र्क़ इतना ही है कि हम यह चाहते हैं कि पिछले भी इसी प्रकार बटवारे हो जाने चाहिये और ३० एकड़ से ज्यादा भूमि किसी को न मिले और सरकार यह कहती है कि भविष्य में किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा न हो लेकिन कहती है कि भूतकाल में जो ३० एकड़ से भी ज्यादा जमीन है वह न्यायसंगत है। हमारी इस बात का क्या जवाब है यह तो सरकारी दल के लोग या सरकार ही जानें लेकिन जो बात हमारे सामने है वह यही है कि हम यह मानते हैं कि जो बात अब के लिये या भविष्य के लिये लागू हो सकती है वह भूत के लिये भी लागू होनी चाहिये और सरकार कहती है कि भूत के लिये लागू नहीं हो सकती। मेरी यह समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इन दो विरोधी बातों को एक साथ मानती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय लक्ष्मी रमण जी आचार्य यह कह सकते हैं कि आपने कपोल-कल्पना कह दिया, आप कोई धारा या सेक्शन की बात तो सुनाइये। तो मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १३ का थोड़ा सा अंश उद्धृत करना चाहता हूं।

धारा १३ (२) उसका क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक है, तो यह समझा जायगा कि उसमें से तीस एकड़ पर वह धारा १९ के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त प्रकार से मौरूसी का काश्तकार के रूप में क़ाबिज रहा है और शेष खाली भूमि समझी जायगी तथा ठेकेदार धारा २०९ के निदेशों के अनुसार उससे बेदखल हो सकेगा। फिर उसी धारा की उपधारा (ख) में आया है :—

"यदि वह उक्त उपधारा के खंड (ख) में आने वाली भूमि हो तो ३० एकड़ से अधिक, रखने के लिये।" फिर

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेकेदार इस प्रकार अनुज्ञात भूमि ठेके की अवधि के बाद रखने का अधिकारी न होगा और उस अतिरिक्त भूमि के जो उसे खंड (ख) के अधीन ३० एकड़ से ऊपर मिली हो, वह गांव सभा की ओर से असामी होगा और उसके निमित्त उस लगान का देनदार होगा जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दर के अनुसार हो।"

यह तो दफ़ा १३ हुई। उसके बाद दफ़ा १९६ में यह आया है :—

"यदि कोई भूमि धारा १३ की उपधारा (२) के खंड (ख) के उपखंड (२) के अधीन खाली हो जाय और ऐसी भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी ऐसे मध्यवर्ती के स्वामित्व में रही हो, जिसकी सीर में धारा १० के अधीन मौरूसी अधिकार उत्पन्न हो गए हों, तो गांव सभा ऐसे मध्यवर्ती की प्रार्थना पर प्रार्थी को ऐसी भूमि या उसका भाग सीरदार के रूप में उठा देगी, किन्तु प्रार्थी भूमि के इस प्रकार उठाए जाने के परिणामस्वरूप ऐसी भूमि का अधिकारी न होगा, जो उस भूमि से मिल कर, जो उसके पास हो, उत्तर प्रदेश में ५० एकड़ से अधिक हो जाय।"

तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैंने नहीं की हैं। मौसम बे मौसम मेरा यह प्रयत्न नहीं रहता कि मैं भूमि वितरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन करूं। यह तो माननीय राजस्व मंत्री जी का ही बनाया हुआ क़ानून है। इसके बाद मैं आपका ध्यान यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ६ और १६ की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। धारा १६ का यह अंश जिसके लिये माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा :—

"Every person who at the commenement of this Act is a tenant of sir holding from a sir-holder to whom the proviscons of the first proviso to clause (*a*) of section 6 apply shall, at such commencement, become a hereditary tenant of his holding if at such commencement such sir holder possesses fifty acres or more than fifty acres of sir which is not let, and which did not cease to be sir under any of the previous provisions of this Act."

[प्रत्येक व्यक्ति जो इस ऐक्ट के लागू होने के समय ऐसी सीर का असामी है जिसका क़ब्ज़ा उसे किसी ऐसे सीरदार से मिला हो जिस पर दफा ६ के फ़िक़रे (क) के पहले फिक़रे शर्तिया के आदेश लागू होते हैं, इस तरह लागू होने के समय, अपनी जोत का मौरूसी असामी हो जायगा, अगर इस तरह लागू होने के समय ऐसे सीरदार के क़ब्ज़े में पचास एकड़ या उससे अधिक ऐसी सीर है जो लगान पर उठाई नहीं गई है और जो इस ऐक्ट के उपर्युक्त आदेशों में से किसी आदेश के अधीन सीर हो रही हो।]

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

मैं समझता हूं कि जो मौजूदा क़ानून है उसमें ८ एकड़ वाली बात है लेकिन जल्दी में मुझे ढूढ़ने पर नहीं मिली। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी को तो मालूम ही होगा कि उन्होंने काश्तकारों के लिये ऐसा प्रतिबन्ध रखा है कि वे बेदखल हो सकते हैं लेकिन ८ एकड़ से कम है तभी। अगर ८ एकड़ से ज्यादा किसी काश्तकार के पास जमीन है और उसे वह सीर पर उठाये हुए है तो ८ एकड़ तक वह बेदखल कर सकता है। मसलन एक काश्तकार है जिसके पास १५ एकड़ जमीन है जिसे वह शिकमी पर उठाये हुए है तो वह ८ एकड़ से बेदखल कर सकता है और ७ एकड़ जमीन उसकी जब्त हो जायगी। जिसमें ५ गुना तो काश्तकार को मिलेगा और १० गुना सरकार को मिलेगा। वह धारा मुझे तो इस समय याद नहीं है लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी को अवश्य ही याद होगा। आपका कहना है कि भौमिक अभिलेख विधेयक के द्वारा रेकार्ड्स को लीगलाइज करने के लिये ही हम इसको लाये हैं तो हम लोग कभी इसका विरोध नहीं करते। हमलोग इसकी प्रशंसा ही करते कि आज तक जो रेकार्ड्स नेगलेक्टेड थे अब इसके द्वारा ठीक हो जायंगे कि किसके पास कितनी मैक्जिमम, मिनिमम होल्डिंग्स हैं। आप इसको जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक कहते हैं ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि इसमें सुरक्षा की कौन सी बात है यह मेरी समझ में नहीं आयी।

श्री लक्ष्मी रमण जी इसको ऐसा समझते हों, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति विद्वान होने का दावा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपने ढंग से सोचता है। लेकिन यदि आप इसको स्वीकार कर लें और यदि आप कम्पेनसेशन संविधान की धारा के अनुसार देना चाहते हैं, ऐसे में तो शुरू से ही किसी प्रकार का प्रतिकर देने के विरुद्ध रहा हूं, लेकिन यदि आप इसको ठीक समझते हैं तो कृपा करके हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लें। हम तो इस चीज को भी पाप समझते हैं कि प्रतिकर का नाम लें।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने वैधानिक आपत्ति नहीं उठायी। सिर्फ एक बहस की बात की। जो कुछ आपने कहा उसके लिये उन्होंने कहा कि अगर सदन इसको मानता है तो आप पेश कर सकते हैं। तो फिर उसका जवाब देने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उन्होंने बहस में कहा था उसी का जवाब दिया है अगर वह कोई कम्पेंसेशन लगाकर ऐसा संशोधन उपस्थित कर दे कि हमारा संशोधन उनको मंजूर हो जाय तो हमें कोई एतराज नहीं हो सकता है। अब इस में संविधान की धाराओं का जिक्र कर देना यह सरकार का हमेशा से एक हीला-हवाला रहा है। हमारा हमेशा से यह दावा रहा है कि आप इस बटवारे से बच नहीं सकते। सरकार की बनाई हुई प्लानिंग कमीशन ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से और कांग्रेस से कहा है कि होल्डिंग्ज की कोई लिमिट जरूर होनी चाहिये। जो भविष्यवाणी हमने दो-तीन-चार महीने पहले की थी और चाहे माननीय राजस्व मन्त्री जी को अप्रिय लगे लेकिन हमने कहा था और आज भी कहते हैं कि जमीन का बटवारा होगा और होकर रहेगा और आपकी प्लानिंग कमीशन ने भी वही रिकमेंड कर दिया है। तो ऐसी सूरत में कोई प्रयत्न यदि जनहित के लिये करने को कहना और उसके लिये प्रयत्न करना अन्याययुक्त नहीं होगा। मुझे आशा है कि इतनी बातें सुनने के बाद माननीय राजस्व मन्त्री अवश्य मेरे इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता केवल माननीय गेंदा सिंह जी की एक बात का जवाब देना है और वह यह है कि उन्होंने यह फरमाया कि हमारे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आम तौर पर जो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जमीन आती है वैसी ही प्रायः जौनसार बावर के इस इलाके में आती है। लेकिन यह बात नहीं है। हमारे यहां १३५५ फसली के आंकड़ों के अनुसार जो जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट की दूसरी जिल्द है उसमें पांचवें या सातवें टेबिल के अनुसार १ करोड़ २२ लाख आदमियों के नाम दर्ज थे खतौनी में और ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन

जेरे काश्त थी मय पट्टे शदीद के और बागात के। अब १ करोड़ २२ लाख आदमियों के अन्दर इतनी जमीन बंटी तो एक आदमी के हिस्से में कोई साढ़े तीन एकड़ पड़ी। यहां एक खानदान के हिस्से में हमारे सूबे में ६ एकड़ पड़ती है लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम खतौनी में दर्ज है लेकिन वहां साढ़े तीन एकड़ पड़ती है यानी ६ गुनी जमीन का फर्क है। इस पहाड़ी इलाक़े में और मैदानी इलाक़े में इतना फर्क है और किसी भी पहाड़ी इलाक़े में १० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं, इसी इलाक़े की क्या बात है। हां, बहस की खातिर माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी विचारधारा का प्रचार हो रहा है तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूं लेकिन जिन लोगों ने संशोधन के विरोध में जो बातें कही हैं मैं उनसे बिलकुल सहमत हूं और इसको स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के वर्त्तमान प्रतिबन्ध के उपरान्त निम्नलिखित दो नये प्रतिबन्ध बढ़ा दिये जायँ--

"किन्तु दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूतकाल में किसी काश्तकार ने ३ वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी काश्त की जमीन शिकमी लगानी या शिकमी बटाई पर उठाया हो, तो उक्त जमीन से यदि वह १० एकड़ से अधिक हो, उसका १० एकड़ से अधिक जमीन से स्वत्व समाप्त हो जायगा और शिकमी असली काश्तकार हो जायगा।

किन्तु तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि धारा ४ की उपधारा (१) से (६) तक में वर्णित व्यक्तियों के लिए १० एकड़ से ज्यादा जमीन के लिए धारा ४ में दी हुई रियायत लागू नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ४-क

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन ...

श्री देवकीनन्दन विभव--मुझे इस संशोधन के संबंध में एक वैधानिक आपत्ति है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--पहले मुझे संशोधन उपस्थित करने की अनुमति दी जाय। संशोधन इस प्रकार है --

"खंड ४ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ४-क बढ़ा दिया जाय--

"४-क--इस अधिनियम के लागू होने पर इस परगने में किसी भी काश्तकार परिवार के पास १० एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहेगी और इस धारा के फलस्वरूप जो जमीन उपलब्ध होगी वह भूमिहीन कोल्टा और बाजगियों में वितरित कर दी जायगी।"

श्री देवकीनन्दन विभव--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन के उपस्थित करने में कुछ वैधानिक आपत्ति है और वह दो कारण से है। एक तो यह कि मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के उपस्थित करने के जो उद्देश्य और कारण बतलाये गये हैं यानी "अतएव भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भौमिक अधिकारों से

[श्री देवकीनन्दन विभव]

सम्बद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है"। इसका क्षेत्र कभी भी भूमि वितरण करने का नहीं है। त्रिपाठी जी के संशोधन में स्पष्टतया यह कहा गया है कि वह भूमि वितरण करने से संबंध रखता है और जो ३० एकड़ भूमि से अधिक हो वह बांट दी जाय। वह बिल्कुल उसके आशय के प्रायः विपरीत है। दूसरा मेरा कारण जो मैं इसे अनियमित समझता हूं वह यह है कि भारतीय संविधान की धारा ३१ की उपधारा २ के अन्तर्गत यह स्पष्ट बतलाया गया है कि कोई प्रापर्टी से आप किसी भी व्यक्ति को बिना नियमित तरीके पर और बिना उसको मुआविजा दिये हुए वंचित नहीं कर सकते। आपका यह जो संशोधन है वह उन काश्तकारों को जो ३० एकड़ से अधिक भूमि रखते हैं भूमि से वंचित करता है बिना किसी मुआविजे के दिये हुए। इसलिये भूमि हीन कोल्टा लोगों से मेरी सहानुभूति होते हुए भी मुझे खेद है कि यह संशोधन अनियमित है, इसलिये उपस्थित नहीं किया जा सकता।

श्री रामनारायण (जिला बनारस)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सखेद विभव जी की आपत्ति के विरोध में बोलना पड़ रहा है। विभव जी की आपत्ति उद्देश्य और कारण पढ़ने के बाद भी होती है इस बात का मुझे और आश्चर्य है। अगर उद्देश्य और कारण को अच्छी तरह से पढ़ा जाय और उसका मनन किया जाय तो जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त ही यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है और माननीय रामनारायण जी का यह संशोधन है वह किसी मानों में भी जो जोतने वाले किसान हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर नहीं जाता। अब वह यह कह सकते हैं कि जो सीमाबद्ध किया जा रहा है, तो जोतने वाले किसान की सुरक्षा कैसे होगी और भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थिर कैसे किया जायगा। यह सारी बातें इस विधेयक के अन्दर आनी चाहिये। इसलिये मैं आप के जरिये माननीय विभव जी से और दूसरे भाई से जो केवल उद्देश्य और कारण की बात कह करके इस महत्वपूर्ण संशोधन को इस समय विचार में नहीं लेना चाहते उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बारीकी में न जा करके जो उद्देश्य और कारण में वर्णित है उसको देखें। मैं आपकी अनुमति से उद्देश्य और कारण उनकी सेवा में पुनः पढ़ देना चाहता हूं। अंतिम लाइन पढ़ी जाय तो उसमें स्पष्ट है, अगर ऊपर से पढ़ी जाय तो और स्पष्ट हो जायगा। अंतिम लाइन यह है:

"अतएव भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भौमिक अधिकारों क निमित्त भौमिक अधिकारों से संबद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।"

तो आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विभव जी से यह जानना चाहता हूं कि भौमिक अधिकारों से संबद्ध विधि के क्या मानी होत हैं? भूमि संबंधी जो अधिकार हैं उसकी विधि क्या होगी? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि भूमि संबंधी अधिकार १० एकड़ तक सीमित किये जायं और दस एकड़ के ऊपर जो जमीन है वह वहां की जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको बांट दी जाय, या जिन लोगों को वहां के रिवाज के मुताबिक जमीनों पर अधिकार नहीं मिले हैं उनको वे अधिकार दिये जायं। जो वहां खेत जोतने वाले हैं उनके भौमिक अधिकारों से संबद्ध विधि को स्थिर करने के लिये यह विधेयक आया हुआ है।

माननीय रामनारायण जी का जो संशोधन है वह स्पष्टरूप से यह कहता है कि इस अधिनियम के लागू होने पर इस परगने में किसी भी काश्तकार परिवार के पास १० एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहेगी और इस धारा के फलस्वरूप जो जमीन उपलब्ध होगी वह भूमिहीन कोल्टा और बाजगियों में वितरित कर दी जायगी। अब मैं समझता हूं कि काफी सफाई हो चुकी है और माननीय विभव जी अपनी आपत्ति को वापस लेने की कृपा करेंगे। अगर माननीय विभव जी की आपत्ति फिर भी रहती है तो मैं निहायत अदब के साथ आपके जरिये माननीय विभव जी से और उनके मत से समान मत रखने वाले जितने माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि उनको इस विधेयक में वर्णित उद्देश्य की बारीकी में नहीं जाना चाहिये। उनको स्पष्ट तरीके से हमारे संशोधन को ला करके उसको बहुमत के

आधार पर वोट करके गिरा देना चाहिये। इस प्रकार उनके मत से जिस व्यवस्था को, जिस परिपाटी को, जिस सामाजिक और आर्थिक ढांचे को वह चलाना चाहते हैं उस ढांचे की पुष्टि होती है और यथास्थिति बात कायम रहती है। यदि वे यथास्थितिवाद को हटाना चाहते हैं और हमारे इस मत से सहमत हैं कि जो वहां खेती करने वाले हैं उनके पास जमीन जाय तब तो इस उद्देश्य और कारण में इतनी गुंजायश है कि इस उद्देश्य और कारण के अन्दर रहते हुए हम माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का जो संशोधन है उस पर आज यहां विचार करें और उसे कबूल करें।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री विभव जी की आपत्ति का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मुझे अफसोस है कि जो तर्क माननीय राजनारायण जी ने दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने इस विधयक का जो उद्देश्य और कारण है उसके अंतिम वाक्य की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं उसको फिर से पढ़ना चाहता हूं और उन्हीं के तर्क से उनकी बातों के खंडन करने का प्रयत्न करूंगा, "अतएव भूमि जोतने वाले किसानों को सुरक्षा के निमित्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।" इसमें उन्होंने यह कहा कि भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित विधि को स्थिर करने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं इसलिये कि हमने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि दस एकड़ से अधिक भूमि वह है किसान से निकाल ली जायगी। अगर यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया होता तब तो वह तर्क जो हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने उपस्थित किया है समझ में आ सकता था। लेकिन अभी तक भवन ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। इसलिये यह तर्क जो श्री राजनारायण जी ने पेश किया है वह इर्रेलिवेंट हो जाता है। जो आपत्ति श्री विभव जी ने उठाई है वह नियमित है और मैं समझता हूं कि यह संशोधन फंडामेंटल राइट्स पर भी कुठाराघात करता है। इसलिये संविधान के नियम ३१ का जो उन्होंने हवाला दिया है उसके अनुसार भी यह आपत्ति उचित है और उनका प्वाइंट आफ आर्डर स्वीकृत होना चाहिए।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विभव जी की जो आपत्ति है उससे सहमत प्रदर्शित करते हुए माननीय श्री राज नारायण जी के तर्क के बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो आब्जेक्ट्स और स्टेटमेंट के आखरी हिस्से को पढ़कर जो कोशिश की है वह ठीक नहीं है। इससे जो सीमा में कमी और ज्यादती आयेगी कि ये १० एकड़ या ३० एकड़ तो यह भौमिक अधिकार के भीतर आता है। जहां तक अधिकार शब्द का अर्थ होता है वह राइट्स और टाइटिल का होता है। वह एरिया का नहीं होता है। जहां घटान और बढ़ाने की बात होती है तो वह रकबा के घटाने और बढ़ाने की बात होती है तो जो शब्द उन्होंने पढ़े हैं कि "भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा" तो जो इस समय काश्तकार हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करें तो इसमें कोई कतर-ब्योंत नहीं है। जब जमीन के बटवारे का सवाल आता है तब कतर-ब्योंत का सवाल आता है और तब यह प्रश्न पैदा होता है। इससे अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न रह जाता है। तो इस विधेयक का जो मंशा है उसकी सुरक्षा नहीं होती है बल्कि रक्षा छिन जाती है। उनका संशोधन इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के प्रतिकूल पड़ता है। इसलिये विभव जी ने जो आपत्ति उठाई है वह ठीक है। इसलिये मेरी समझ में यह संशोधन नहीं आना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर विधि कहा था हमारे माननीय मित्र देखेंगे कि इसके उद्देश्य और कारणों से केवल भौमिक अधिकार नहीं लिखे हुए हैं। बल्कि इसमें लिखा हुआ है कि भौमिक अधिकारों से संबंधित विधि तो इसके यह माने होते हैं कि भौमिक अधिकारों के संबंध में जितने नियम-उपनियम हैं वह इससे लागू होते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मुझे तो इस संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। यह जरूर है कि भूमि के वितरण की बात तो तब हो सकती है जब कि किसानों से जमीन ल

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

ली जाय और तब वह भूमि दूसरे किसानों में वितरित की जाय तो यह इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है कि किसी से भूमि ले ली जाय और यह कांस्टीट्यूशन के अन्दर भी नहीं आता है कि किसी की भूमि ले ली जाय और वितरित कर दी जाय। तो यह संशोधन इसकी सीमा के बाहर है। श्रीमान् जी ने एक रूलिंग भी दे दी है जब श्री गेंदा सिंह जी ने अपना प्रस्ताव रखा था। उसी तरह का संशोधन यह भी है। मैं नहीं समझता कि यह कैस इसके अंदर आता है।

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे फिर अपने मित्र मौर्य जी की बात से आश्चर्य हुआ। इसमें भूमि वितरण का क्या सवाल है। और वह भूमि वितरण के नाम से घबड़ाते क्यों हैं। भूमि वितरण के लिये मैं आपके सामने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट जो उसने रिआर्गनाइजेशन आफ एग्रिकल्चर के संबंध में प्रकाशित की है उसका हवाला दूं। तो उसमें खेती की सीलिंग मुकर्रर कर दी गयी है। बात तो यह है कि जिन लोगों को बेदखली करने का अधिकार दिया जा रहा है उनके अधिकारों को सीमित करना इसका अर्थ है। यह कानून कोई आज ही नहीं बना है। इस तरह का कानून इससे पहले ३९, में जब कि, ३५ का शासन विधान हिन्दुस्तान में लागू था उस समय जमींदारों की सीर खुदकाश्त को महदूद करने और उनके शिकमियों की सुरक्षा के लिये बनाया गया था। १९९३ का जो टेनेंसी ऐक्ट है उसमें दफा ६ और दफा १६ में बतलाया गया है कि किसी भी जमींदार के पास ५० एकड़ से ज्यादा सीर हो और जो ढाई सौ रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वाला है तो उसकी सीर जो शिकमी काश्त पर होगी उस शिकमी काश्तकार को मौरूसी हक मिल जायगा। तो वहां भूमि वितरण की बात नहीं थी। वह बिल्कुल बेदखली के अधिकार को सीमित करने की बात थी। वही बात यहां भी है। तो इसमें भूमि वितरण की चर्चा कैसे आ जाती है। भूमि वितरण की बात अपने वक्त पर आयेगी और इत्तिफाक से जो एक गैर सरकारी प्रस्ताव इस संबंध में आ चुका है उस पर उस दिन फैसला करना होगा। माननीय मौर्य जी को मैं बतला देना चाहता हूं कि इसमें भूमि वितरण की कोई बात नहीं है। कल माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस पर एक व्यवस्था भी दी है उसका मैं पूरा आदर करता हूं। हम कदापि उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। मैं नहीं समझता कि फिर भूमि वितरण की बात क्यों बार बार दोहराया जाता है। मैं बहुत सफाई के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि यह भूमि वितरण के लिये संशोधन नहीं है बल्कि बेदखली करने वालों के अधिकारों को सीमित करने का संशोधन है। इसी दृष्टि से इस पर विचार होना चाहिये।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। मैं माननीय उपाध्यक्ष का ध्यान नियम १९३ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुरूप आपको यह अधिकार दिया गया है। उसके शब्द ये हैं:--

"No discussion on any point of order shall be held unless the speaker thinks to fit to hear the views of the members thereon."

[वैधानिक प्रश्न पर चर्चा करने की अनुज्ञा न दी जायगी जब तक कि अध्यक्ष उस पर सदस्यों के विचार सुनना उचित न समझें।]

मैं समझता हूं कि काफी सदस्य इस पर अपना विचार प्रकट कर चुके हैं। अब राम नारायण जी इस पर अपनी तकरीर करना चाहते हैं तो यह कोई जवाब देने का मौका नहीं है आप इस पर निर्णय दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मूवर हूं। मेरा तो अधिकार है और लोग तो फिजूल बोले हैं।

सदन में दोनों तरफ से इस पर बहस हुई। माननीय गेंदा सिंह जी ने टेनेंसी ऐक्ट का हवाला दिया और साथ ही माननीय राजस्व मंत्री जी को यह भी बतला दिया था कि मौजूदा जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल की धारा १३ और १९६ में भी तकसीम की सीमा को बांध दिया गया है जो फिजूल जमीन होगी वह किसी के पास जायगी। इसलिये

यह संशोधन विधान का उल्लंघन करता है या भूमि वितरण के संबंध में है, ऐसी बात नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन बिलकुल इन आर्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं आज के कार्यक्रम में यह देख रहा हूं कि संशोधन संख्या २१ पर अभी एक प्रकार से एक सीमा काश्तकारों की काश्त की भूमि की हम मान चुके हैं। यह बात बिल्कुल विवाद से परे तो नहीं है कि बिना मुआविजा दिये हुए किसी काश्तकार की भूमि की हम बिल्कुल ही एक सीमा निर्धारित कर दें कि अगर उसके पास १ एकड़ से अधिक होगी तो वह छीन ली जायगी। यह प्रश्न जरूर विचारणीय है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि चूंकि अभी एक संशोधन में हम एक ऐसा सिद्धांत मान चुके हैं इसके लिये भी बहस मुबाहिसे का मौका दे देना उचित समझता हूं ताकि भवन भी इस विषय में अपना निश्चित मत दे सके । इसलिये मैं इस संशोधन को पेश करने की अनुमति देता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अभी २१ नवम्बर के संशोधन पर जब मैंने उसको पेश किया था तो इसी किस्म की बातें कही थीं। इसके संबंध में भी करीब-करीब वही दलीलें होंगी, जोकि पहले संशोधन पर मैं निवेदन कर चुका हूं। इसलिये मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि उन्हीं बातों को दोहराकर सदन का समय और बरबाद करूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् जी, जो बहुत से कारण अभी प्वाइंट आफ आर्डर के सिलसिले में उपस्थित किये गये उन्हीं को फिर से दोहराना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन मैं यह निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि अगर इस संशोधन को स्वीकार किया जाय तो बहुत सी उलझन जरूर पैदा हो जायगी।

पहली बात यह है कि कि उसमें यह साफ नहीं किया गया है कि जो जमीन उपलब्ध होगी वह जिसके द्वारा वितरित की जायगी। मौरूसी या गैरमौरूसी काश्तकारों के पास जो ३० एकड़ से ज्यादा की जमीन है वह जमींदार वितरित करेंगे या गवर्नमेंट करेगी या और कोई व्यक्ति होगा जो उसको वितरित करेगा। यह बात उससे साफ नहीं होती है। इसके अलावा अभी इस भवन में २१ नम्बर पर जो एक प्रस्ताव था, उसको अस्वीकार कर चुके हैं कि १० एकड़ से ज्यादा अगर शिकमी के पास है तो वह अधिक सब समाप्त हो जायगी और अगर अब उसको यह कहा जाता है कि १० एकड़ से ज्यादा पर स्वत्व समाप्त हो जायगा तो यह उसके प्रतिकूल पड़ता है और इससे दिक्कत पैदा हो जायगी। इसके अलावा यह भी बात है कि बिना किसी मुआविजे के हम किसी की जमीन को नहीं ले सकते हैं। अगर ली जायगी तो जो हमारा संविधान है उसको तब्दील करना पड़ेगा। यह सब दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से इस संशोधन को स्वीकार करने में कठिनाई है और आशा करता हूं कि भवन इसको स्वीकार नहीं करेगा।

श्री राजनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामनारायण त्रिपाठी जी द्वारा उपस्थित किये हुए संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी एक पर्चा मेरे हाथ में आया है, जिसके अनुसार जौनसार बावर में कितनी-कितनी जमीन किसके किसके पास है, इसका हिसाब है। यह पर्चा रामनारायण जी के पास राजस्व मंत्री जी के आदेशानुसार आया है। उस परचे को हम अच्छी तरह से देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर इस संशोधन को नहीं माना जाता है तो जिस उद्देश्य को लेकर यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है, वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। मैंने सरकारी पक्ष द्वारा उठाई हुई आपत्ति के समय यह कहा था कि इस विधेयक का उद्देश्य यही है कि भौमिक अधिकारों से संबंधित विधि को नियमित किया जाय। तो भूमि संबंधी अधिकार से, जो संबंधित बातें हैं उनकी क्या विधि हो, क्या व्यवस्था हो, उनके क्या नियम बनाये जायं यही इस बिल का उद्देश्य है। जब वहां का रकबा देखा जाता है जो जमींदारों के कब्जे में है और पट्टे पर नहीं उठाया गया है तो वह ३४,७३७ एकड़ है और औसत लगान की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। और कुल खेती का रकबा ३९,६१३ एकड़ है। अब मैं सदन के

[श्री राजनारायण]

सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वहां इस समय कुल खेती का रकबा ३९,६१३ एकड़ है और जमींदारों के कब्जे में जो जमीन है जो पट्टे पर नहीं है, वह ३४,७३७ एकड़ है तो अगर आप ३९,००० में से ३४ हजार एकड़ घटा देते हैं, तो ५,००० एकड़ जमीन ही बचती है जो जमींदारों के अतिरिक्त दूसरे लोगों के पास है। शिकमी काश्तकारों का रकबा क्या है और उनके कब्जे में अधिक से अधिक और कम से कम तादाद जमीन की क्या है इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है। कोलटा और बाजगियों के कब्जे में ६,५६५ एकड़ रकबा है। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि केवल ५ हजार एकड़ जमीन ही बचती है, जो जमींदारों के कब्जे से बाहर है। तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि कोलटा बाजगियों के हाथ में ६,५६५ एकड़ जमीन किस तरह से पहुंची।

मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास जो सूचना है वह गलत है और अगर उसको आधार मानें तो फिर किस तरह से उनके पास ६,५६५ एकड़ जमीन आती है। अगर सरकार दस एकड़ की सीमा को नहीं बांधती है तो कोलटा और बाजगी की आबादी के हिसाब से उनके पास जमीन कहां है ? जब बार-बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यह तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बार-बार अपने प्रोग्राम को दोहराया करती है। मैं अपने माननीय मंत्री जी को बतलाऊंगा कि जब यहां डेमोक्रेसी है और सरकार है और विरोधी दल है, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? सरकार अपनी पालिसी के अनुसार कानून बनाती है और हम भी जो हमारा कार्यक्रम और पालिसी है उसके अनुसार उसमें संशोधन लाते हैं, इस बात के कहने में हमें कोई हिचक नहीं है। हम तो आज हैरत में पड़ जाते हैं, जब कि हम देखते हैं कि एक कदम जो सरकार की ओर से उठाया जा चुका है, उस से भी वह पीछे जाने की कोशिश करती है। आप देखें कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, जो मैदानी इलाके में लागू है उसमें जमींदारों की जो सीर थी, उसमें प्रतिबन्ध लगाया गया था और वह प्रतिबन्ध पहले से है जब कि विधेयक को वैधानिकता प्राप्त नहीं हुई थी। टेनेंसी ऐक्ट में २५० रु० के ऊपर के जो मालगुजार जमींदार थे और उनकी सीर अगर ५० एकड़ से ज्यादा थी और उसको अगर कोई शिकमी पर जोत रहा था तो वह उसके हाथ से नहीं निकल सकती थी। तो क्या कारण था कि उस समय तो कांस्टीट्यूशन के विपरीत नहीं माना गया और अब कहा जाता है कि यह कांस्टीट्यूशन के विपरीत है। अब हमें सब बातें सफाई के साथ कहनी चाहिये, किसी शब्द जाल में हमें नहीं आना चाहिये, कांस्टीट्यूशन की दुहाई नहीं देनी चाहिये। ईमानदारी के साथ सरकार की ओर से अगर यह कह दिया जाय कि यह सरकार की इच्छा ही है कि इस तरह का कानून बनाया जाय ; तो फिर हमें इसमें कोई शिकायत नहीं होगी क्यों कि मैं समझता हूं कि जैसी जिसकी नीति होगी वह यथासंभव वैसा ही कार्यक्रम रखेगा और उसके अनुरूप ही कानून बनायेगा। मगर जब कांस्टीट्यूशन को सामने लाया जाता है और उद्देश्य और कारणों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको अपनी नीति का समर्थन दिलाने के लिये जब तोड़ा मरोड़ा जाता है तो उसमें हमें आपत्ति होती है। मैं माननीय राजस्व मंत्री को इत्मीनान दिलाता हूं कि मेरा यह संशोधन उद्देश्य और कारणों से बाहर नहीं जाता है या भारत के संविधान के बाहर नहीं जाता है।

हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने एक बहुत ही बुनियादी बात कही और वे अक्सर बुनियादी बातें कहा करते हैं। उन्होंने कहा "आखिर जब जमीन ले ली जायगी तो उसके बांटने की सहूलियत क्या होगी"। मैं निहायत अदब के साथ यह बताना चाहता हूं कि वह जमीन काश्तकार जोतता होगा तो वह बेदखल नहीं होगा वह उनके पास रह जायगी, लेकिन अगर माननीय द्वारिका प्रसाद जी की दृष्टि में इस बात की कमी हो तो इसमें एक क्लाज ऐसा जोड़ा जा सकता है कि "उस विधि से जिसको सरकार आगे निश्चित करे।" अब बताइये इसमें क्या दिक्कत होगी ? दिक्कत तो मनोवृत्ति की होती है। अगर माननीय राजस्व मंत्री जी इस संशोधन को मान लेते हैं, तो जो जमीन बचेगी उसके

बारे में हम और वे यहां बैठकर तय कर सकते हैं। उस दिक्कत को रफा कर सकते हैं। मगर यहां पर तो वह दिक्कत केवल कहने भर की नहीं है, वह बुनियादी दिक्कत है, वह दिक्कत नीति की दिक्कत है। इस सरकार की नीति ही नहीं है कि ब्राह्मणों और राजपूतों (जमींदारों, मौरूसी, गैरमौरूसी) की जमीन कम की जाय। जैसे कि आपने देखा कल दो संशोधन प्रस्तुत किये गये थे, मगर उसे भी सरकारी पक्ष ने नहीं माना था। यह सरकार तो यथास्थितिवाद बात को कायम करने के लिये अड़ी हुई है और आगे नहीं जाना चाहती है। मैं सूचना के लिये बता देना चाहता हूं कि जो रीति-रिवाज वहां चल रहे हैं वे ब्राह्मणवाद को कायम करते हैं। अभी-अभी हमारे राष्ट्रपति जी बनारस गये हुए थे। उनके सामने मैंने एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने अच्छी तरह से बताया था कि हमारे यहां की सरकार किस नीति पर चल रही है और हमारे सूबे को किस ढांचे में ढालना चाहती है, उन सब बातों का वर्णन मैंने उसमें किया था। माननीय राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान में बतलाया और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि आपकी सरकार और आप बैठकर जो फैसला सर्वसम्मति से करेंगे उसमें उन्हें तनिक भी आक्षेप करने की गुंजायश नहीं होगी। यहां पर सरकार की मनोवृत्ति स्पष्ट करने के लिये ही उसके सिलसिले में एक चर्चा और कर देना चाहता हूं, आशा है आप उसको भी अपने दिमाग में स्थान देंगे। काशी में हमें यह जानकर महान आश्चर्य हुआ कि गवर्नर महोदय और गृहमंत्री महोदय के प्रयत्न से वहां पर २०० ब्राह्मणों को बुलवाया गया और राष्ट्रपति ने उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा किया। क्या यह वर्णविहीन और वर्गविहीन समाज की रचना का द्योतक है, या यथास्थितिवाद को कायम करने की? यह मनोवृत्ति है, निश्चय यही यथास्थितिवाद को कायम करने की यह सरकार की मनोवृत्ति है, जो सरकार के कर्णधार हैं उनकी मनोवृत्ति है। इसलिये अब इस सदन से सदस्यों को तनिक भी शक करने की गुंजायश नहीं रहनी चाहिये। राष्ट्रपति काशी में जाता है और दो सौ ब्राह्मणों को बुलाता है और उनके चरणों को धोता है, यह क्या है? मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन पर आते हुए इसका जो उद्देश्य और कारण दिया हुआ है, अगर उनको देखा जाय तो हमारा संशोधन स्वीकार होना चाहिये और यदि यथास्थितिवाद, ब्राह्मणवाद को कायम रखना है तो बात ही दूसरी है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। इस बिल के डिस्कशन के साथ यह कहना कि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद काशी गये और उन्होंने ब्राह्मणों को बुला कर किस प्रकार उनका आदर-सत्कार किया, इससे यहां क्या संबंध है?

श्री उपाध्यक्ष--वास्तव में अगर इसका जिक्र नहीं होता तो अच्छा होता।

श्री राजनारायण--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय काटजू जी हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं आपके जरिये चूंकि उन्होंने मुझसे पूछा इसलिये मैं बतला देना चाहता हूं कि मैंने केवल मंशा को व्यक्त किया कि इस सरकार की मंशा क्या है और इसके कर्णधारों की मंशा क्या है। यह इस तरह की मनोवृत्ति को कायम करना है। यह घटना कोई काशी की ही घटना नहीं है, बल्कि सारे राष्ट्र की घटना है। क्या यह कोई मामूली बात है कि राष्ट्रपति जायं और दो सौ ब्राह्मणों को बुला कर उनके चरणों को धोवें?

श्री उपाध्यक्ष--इस प्रसंग पर इसके अप्रासंगिक होते हुए भी आप बहुत कुछ कह चुके हैं। अब आप अपने विषय पर आवें।

श्री राजनारायण--मैंने उनकी सूचना के लिये उनसे कह दिया। इस संशोधन के संबंध में बोलते हुए मैं पुनः आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन जो १० एकड़ जमीन निश्चित करने के लिये रखा गया है, यह बहुत ही मौजूं है, आवश्यक है और उचित है और इसी के साथ ही साथ चूंकि आगे भी इससे संबंधित संशोधन आने

[श्री राजनारायण]

वाले हैं, मैं चाहता हूं कि अगर हमारे माननीय राजस्व मंत्री और हमारे माननीय द्वारिका प्रसाद मौर्य, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और दूसरे सम्मानित सदस्य हमारी बातों को हृदयंगम कर सकें तो इस संशोधन को सहर्ष स्वीकार करेंगे और अगर वे इस संशोधन को अस्वीकार करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय बचाने के लिये हमारे माननीय सदस्य इधर उधर की बातें न करें, विधान संविधान की बातें न करें, उद्देश्य और कारणों की बातें न करें। केवल बातें यह करें कि सरकार की इस समय यह काम करने की मंशा है। अगर वे संविधान की बात करते हैं तो आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा पढ़ने की जरूरत होती है, अगर उद्देश्य और कारण की बात करते हैं तो उसे भी हमें पढ़ने की जरूरत होती है और यदि रीति-रस्म की बातें करते हैं, तो दस्तूरेअमल की पुस्तक पढ़नी पड़ती है, जैसे कि माननीय नारायणदत्त जी ने पढ़ा था, माननीय राजस्व मंत्री जी बराबर कहते हैं कि नारायण दत्त जी वहां की रीति-रिवाज संबंधी पुस्तिका को क्यों पढ़ते हैं? निश्चय ही जब बात आती है तो उसमें समय लगाने की जरूरत होती है। जहां पर कोई कुप्रथा को हटाने का संशोधन हमारी तरफ से आता है, तो उसके लिये भी सरकार की तरफ से इधर उधर की बातें कह दी जाती हैं। इसलिये मैं उदाहरण के लिये प्रसंगवश डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के बारे में कह दिया है कि राजेन्द्र प्रसाद का काशी में ब्राह्मणों का चरणामृत लेना, सत्ताधारी पार्टी की उसी मनोवृत्ति का द्योतक है, जिस मनोवृत्ति से प्रभावित होकर आज यह सरकार हमारे संशोधन का विरोध कर यथास्थिति वाद, ब्राह्मण वाद को कायम रखना चाहती है।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने नेता विरोधीदल की इस शिक्षा को मानते हुए कि हमें यहां इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिये, लेकिन उनके पथप्रदर्शन पर चलने में यदि आगे न जायें तो साथ-साथ चलने में कोई शिकायत भी न होनी चाहिये। जहां तक उन्होंने काशी की घटना का वर्णन किया, उन्हें शिकायत हो सकती है और शिकायत के क्या कारण हो सकते हैं, यह मैं नहीं कह सकता, वे स्वयं बतला सकते हैं। लेकिन एक बात कहना आवश्यक प्रतीत होता है, जहां तक कि इस संशोधन का संबंध है और वह यह है कि जिस मनोभावना का जिक्र किया गया कि सरकार की क्या मनोभावना है तो अगर उसी हिसाब से कहा जाय कि विरोधी पक्ष की ओर से यह संशोधन किस मनोभावना से रखा जा रहा है और क्या उसका तात्पर्य है और किधर वह इस प्रान्त को ले जाना चाहते हैं, तो यह बात दायरे के बाहर नहीं होगी। आपके संशोधनों या जो मौजूदा संशोधन है उसके भाषण पढ़ने के बाद मैं तो बड़े आदर के साथ यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे इसमें शंका होती है कि इसमें केवल राजनीतिक चालें हैं। इस सदन के अन्दर यह सब कहना और इस आशय से कहना कि बाहर के लोग सुनेंगे या किसी ऐसे अखबार में आ जायगी जो उनका बहुत ज्यादा प्रचार किया करता है कि विरोधी दल ने अमुक जातियों का साथ दिया और अमुक जातियों का विरोध किया तो मैं तो इसे जो आज का विरोधी दल यहां है यह मानते हुए कि वह कम्युनिस्ट टैकटिक्स को दबाने की बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन दरअसल में रास्ता वही अख्तियार करते हैं कि जो उनके बड़े भाई साहब करते हैं और वह रास्ता यह है कि ऐसे वर्गों को या ऐसे दलों को अपने हाथ में ले करके और ऐसे नाजुक स्थानों पर अंगुली रख करके राजनीतिक फायदा उठाया जाय तो इन भाषणों को सुनने के बाद जो जरा सी भी भारत की राजनीति का अध्ययन कर रहा है, वह निसंकोच इस फैसले पर आयेगा कि यह उनके बड़े भाई साहब का रास्ता है और इस रास्ते पर चलने से इस प्रान्त का ही नहीं बल्कि देश का कल्याण नहीं हो सकता। जब कि हमारी तरफ से कह दिया गया है कि यह मौजूदा बिल वहां के जमीनों को रिकार्ड करने के लिये है तो उसमें बुनियादी बातों को उठाकर यह ताना देते हुए कहना कि हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब बुनियादी बातों को कहने के आदी हैं तो अगर उसको कसौटी पर कसा जाय तो पता चलेगा कि कौन बुनियादी बातों को कहता है। यह बिल को रिकर्ड करने के लिये है और उसमें इन बातों की क्या आवश्यकता है।

एक बात मैं और कहता हूं और वह यह है कि वह संजीवनी बूटी, सब रोगों की एक दवा, जो मथुरा या और किसी जिले से निकला करती है हमारे पास तो है नहीं। वह विरोधी पक्ष के पास हो सकती है कि जब भी कोई बिल आये, कोई भी संशोधन आये तो उसमें भूमि वितरण की समस्या आ जाती है। गल्ले की कमी इसलिये है कि भूमि-वितरण नहीं है। देश में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं तेलंगाना हो रहे हैं वह इसलिये हो रहे हैं कि भूमि-वितरण नहीं हुआ है। यह भूमि-वितरण भी एक वैद्य जी की एक पुड़िया है जो हर मर्ज पर दे दीजिए और उसी को यहां पर लाया गया है। मैं निःसंकोच एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारे राजस्व मंत्री एक प्रकार से उन राजनीतिज्ञों में से नहीं हैं, जो रोगी को ऐसी दवा दें जिससे रोगी मर जाय। जिस प्रकार का जो मरीज होता है वैसी उसको दवा दी जाती है। जिस इलाके के लिये यह बिल प्रस्तुत किया गया है उसके लिये यह विधेयक उत्तम है पहले तो यह संशोधन ३० एकड़ के लिये रखा गया लेकिन जब किसी ने कहा कि वहां किसी के पास तीस एकड़ नहीं है तब सोचा गया कि बात तो गड़बड़ है। पकड़े जायेंगे सीधे और सरकार के पास आंकड़े भी हो सकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि यहां आंकड़े नहीं हैं। वहां की वस्तु स्थिति न जानने के कारण वह दस एकड़ में बांधना चाहते हैं। वहां ९० और ९५ फीसदी ऐसे हैं जिनके पास एक या डेढ़ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। वहां की वस्तु स्थिति यह भी है कि अगर इसको पूरे तौर पर मान लिया जाय कि वहां का वह वर्ग जिसे कोल्टा और बाजगी कहते हैं वह कहेगा ही नहीं कि इन जमीनों पर हमारा कब्जा है। इसलिये होशियारी यही है कि पहले जमीनें रेकार्ड कर ली जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बड़े अदब से विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि वह आसमान की दुनियां में रहना छोड़ दें और ख्वाबों में--

श्री राज नारायण--एक जानकारी चाहता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल--बाद में पूछ लीजिएगा, इकट्ठा ही।

तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना कर रहा था कि ख्वाब देखा करें लेकिन दिन में और असेम्बली में बैठ कर कृपा करके न देखें। इससे देश का नुकसान होगा। वास्तविकता की दुनियां में आ जायं। वास्तविक प्रश्न यह है कि जो हमारा यह बिल है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उससे फायदा होता है या नहीं। यह रेकार्डिंग इसलिये हो रही है कि खामोशी से नाम दर्ज हो जायं और अंत में जब इस विषय में कानून बनेगा तो कम से कम इतने आदमियों को जमीन मिल सकेगी जितने आदमियों का नाम रेकार्ड हो जायगा। अगर इस समय इस प्रकार की चीजें अभी उठा दी जायं तो सारे के सारे कोल्टा बाजगी इनकार कर देंगे कि न हमारी कोई जमीन है, न मैं काश्तकार हूं।

श्री राज नारायण--वहां कोई जमीन ब्राह्मण और राजपूत के अतिरिक्त दूसरे की भी है?

श्री रामनरेश शुक्ल--इसलिए बड़ी ही चतुरता से हमारे राजस्व मंत्री ने पहला कदम यह उठाया है कि रेकार्ड करवा लिया जाय, थोड़ी बहुत जिसके पास जितनी है बिला इस चीज को उठाये हुए कि कौन कितनी रख सकता है और जब यह रेकार्ड हो जायगा और एक आखिरी कानून बनेगा तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष से प्रार्थना करूंगा कि तब इस प्रकार के बुनियादी संशोधन रखें। तब चाहे राष्ट्रपति भी आ जायं, गवर्नर साहब भी आ जायं, प्रधान मंत्री भी आ जायं और कैसे पैर धोये गये या नहीं धोये गये यह झगड़ा तब निबटाया जाय। मैं यह कहूंगा कि वास्तविकता की दुनियां में आ जायं। इस तरह से समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--कब आयेगा वह बिल?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि इस संशोधन को, जो माननीय राजनारायण जी ने पेश किया है मुझे दुख है कि मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि यह बिल जो लाया गया है यह किसानों के हित के लिये लाया गया है। उन्होंने काश्तकारों के विरुद्ध अपना संशोधन पेश किया है। इसके अन्दर किसी जमींदार का अगर जिक्र किया गया होता तो मैं उसको बेलकम करता। हमारे बिल की जो अंतिम लाइन है, वह मैं पढ़ देना चाहता हूं। "अतएव भूमि जोतने वाले किसानों", "किसानों" शब्द को देखिए। किसी जमींदार के लिये नहीं लिखा है। हमारे मंत्री महोदय ने पिछले सेशन में वह कानून बना दिया है कि जिस खेत को कोई भी किसान जोतता हो और दस आदमी गांव वाले कह दें, मैजिस्ट्रेट के सामने तो वह उनकी हो जायगी। इससे अच्छा शायद कोई भी कानून कोई मिनिस्टर नहीं ला सकता था, जो ठाकुर चरण सिंह जी ने किया। अगर राजनारायण जी का संशोधन जमींदारों के विरुद्ध होता तो मैं उसे बेलकम करता। लेकिन यहां तो काश्तकार की गर्दन ही नापने के फेर में हैं। आप उन्हीं के वोट पर आये हैं' हम भी आये हैं। आप से कम दर्द हमारे दिल में उनके लिये नहीं है। हम वहां की भूमि-हीन दशा को सुधारना चाहते हैं। हमारे कानून को वहां प्रवेश होने दीजिए। रेकार्ड हो जाय और आप और हम चलकर वहां वालन्टियरिली सर्वे करें और यह देखा जाय कि सही रेकार्डिंग हो, गलत रिकार्डिंग न होने पाये। इस चीज की जरूरत है। सिर्फ सदन के अन्दर बैठ कर एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जाय, गलत गलत अमेंडमेंट पेश किये जायं और समय व्यर्थ किया जाय, यह बिल्कुल असामयिक बात है। मुझे दुख है कि हमारे माननीय राजनारायण जी ने उधर से डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का नाम लिया कि बनारस में उन्होंने क्या किया? मैं पूछता हूं कि इन्डियन कल्चर को भी कोई खत्म कर सकता है? हमारे देश में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग बसते हैं और जाति पांति का कोई प्रश्न भी नहीं है। उधर आप लाल टोपी लगाये बैठे हुए हैं, लेकिन कोई त्रिपाठी साहब हैं, कोई सिंह साहब हैं, कोई कुछ बने हुए हैं। उसको आपने पहिले क्यों नहीं अबालिश किया? और दूसरों को इल्जाम देते हैं। "पर उपदेश कुशल बहुतेरे"। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब के साथ इस संशोधन का विरोध करते हुए अन्त में यही कहूंगा कि अगर जमीन्दार का विरोध होता तो मुझसे ज्यादा इसको सपोर्ट करने वाला कोई हाउस के अन्दर नहीं मिलता। लेकिन दुःख है कि किसानों का विरोध किया गया जिनके ऊपर आप मबनी हैं।

श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। जब से इस संशोधन पर बहस चल रही है, मैं बहुत ही गौर से अपने सभी साथियों के भाषणों को सुनता रहा। एक-एक भाषण सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मालूम होता है कि सरकार के लोग और सरकारी बेन्चों पर बैठे हुए हमारे साथी आज हमारे साथी के संशोधन को मानें या न मानें, लेकिन सरकार की ऐसी नीति होती चली आई है कि हमारी पार्टी के जो भी सुझाव आते हैं, यहां चाहे न माने जायं, लेकिन चन्द दिनों के बाद जरूर माने जाते हैं। हमारे साथी भूमि-वितरण का जिक्र इसमें करते हैं, इसलिये संशोधन में तो कहा गया है कि जिसके पास इतनी से ज्यादा जमीन हो, वह ले ली जाय, वितरण का सवाल नहीं आता है, फिर भी माननीय द्वारका प्रसाद जी के द्वारा ये वितरण के शब्द सुने तो मैं स्तम्भित सा हुआ।

माननीय पंडित ब्रज विहारी मिश्र जी ने कहा कि सदन ने भूमि-वितरण की योजना स्वीकार नहीं की है, स्वीकार न करने से पहले कैसे इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है? मैं तो हैरान रहा कि सदन स्वीकार तो करता, जब कोई चीज आती। आसमान से कोई विधान

लागू नहीं होता है। सदन में कोई आदमी लाता है। चाहे वह सरकारी सदस्य हो या गैर सरकारी सदस्य हो। अगर गैरसरकारी सदस्य के द्वारा ही इस तरह का सदन में संशोधन लाया गया और स्वीकार किया गया होता, तो मैं समझता हूं कि सरकार की ताकत में, बल में कोई कमी नहीं आती। आचार्य विनोवा भावे आज घूम-घूम करके सारे प्रदेश में भूमि वितरण की समस्या को सुझाना चाहते हैं, जो सही माने में हमारे देश की सब से बड़ी समस्या है और मैं यह कह सकता हूं कि यदि भूमि-वितरण की समस्या हमारे देश में ठीक तरह से नहीं की गई तो हमारे देश की जो अन्न की समस्या है वह हल होने वाली नहीं है। हमारा देश, खास करके हमारा प्रदेश, कृषि प्रधान प्रदेश है और जहां के लिये यह ऐक्ट लाया गया है, वहां पर तो हमारे साथियों ने बतलाया है और स्वयं राजस्व मन्त्री जी ने बतलाया है कि अधिक जमीन ऐसे लोगों के कब्जे में है, जो अधिक मानों में खेतिहर नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की जो खेतिहरों और भूमि-वितरण की समस्या है, उसको आपको मानना चाहिए और जो संशोधन हमारे साथी माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने रखा है, उसको मानने में कोई कोर कसर नहीं करना चाहिए। हमारे माननीय राजस्व मन्त्री, इस सदन के माननीय मुख्य मन्त्री जी और इस देश के एक महान नेता आचार्य विनोवा भावे इस चीज को बार-बार कहते हैं।

आचार्य विनोवा भावे ने कई बार कहा है कि यदि भूमि-हीन लोगों को जमीन नहीं दी गई तो जमीन्दारी खत्म करने से कोई लाभ नहीं है। जो संशोधन हमारे साथी ने रखा है वह माननीय विनोवा भावे और दूसरे बाहर के कांग्रेसी नेता जो कहते हैं, उसका हल है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथी माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है उसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई हिचकने की बात नहीं है। यदि वे इस समय इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो यदि वे उन कुर्सियों पर विराजमान रहे तो उनको चन्द सालों में मानना पड़ेगा। इस प्रकार यह हो जायगा कि प्रजा सोशलस्टि पार्टी के लोगों ने एक संशोधन रखा और उसको कांग्रेस सरकार ने मान लिया। मैं पुनः आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं माननीय राम नरेश जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि इसमें शब्द "जमीन्दार" नहीं था उसकी ओर उन्होंने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। "जमीन्दार" शब्द से उनका मतलब यही था कि जमीन्दार और काश्तकार में फर्क किया गया है, लेकिन मेरा मतलब यहां "काश्तकार" से यही था कि जो जमीन जोतने वाले हैं। अगर वे मेरा साथ देना चाहते हैं और उनकी सरकार मेरा साथ देने के लिये तैयार है तो मैं "काश्तकार तथा जमीन्दार परिवार" उसमें जोड़ देता हूं और फिर मुझे आशा है कि वे उसे स्वीकार कर लेंगे।

अब रहा यह कि माननीय रामनरेश जी का ऐसा कथन है कि यह एक राजनीतिक चाल है जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग अक्सर चला करते हैं। यह आम बात वे अपनी दलीलों में दिया करते हैं। ऐसी राजनीतिक चाल आम बात नहीं है। आपका दल भी यह करता है और हम भी करते हैं, लेकिन हर बात को अगर आप राजनीतिक चाल समझें तो यह ठीक नहीं है। अगर वह ऐसा समझते हैं तो हमको मौका ही क्यों देते हैं। वह हमारी बात मान लें और फिर उनको भी कोल्टा और बाजगियों में कहने को हो जायगा कि उन्हीं ने पेश किया और हमने मान लिया। ऐसी हालत में तो पेश करने वाले से मानने वाले को ज्यादा क्रेडिट होती है, लेकिन माननीय राम नरेश जी बार बार मौका छोड़ देते हैं और यह हमारे लिये दुख की बात है।

अब रह गया जमीन के बटवारे का सवाल। हमारे पास जो आंकड़े माननीय राजस्व मन्त्री जी के पास से आये हैं, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोल्टा और बाजिगयों के पास ६,५९५ एकड़ जमीन है और ३४,७३७ एकड़ जमीन जमीन्दारों के पास है या काश्तकारों

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

के पास है । काश्तकार और जमीन्दार में इस परगने में ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि दस्तूरुल अमल के मुताबिक ब्राह्मण और क्षत्रियों के अलावा वहां कोई जमीन का मालिक नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न यह उपस्थित हो जाता है कि सरकार दल की तरफ से मालूम हुआ है कि वहां सयाना लोगों के लगभग ३९ ही परिवार हैं जो कि सारी जमीनों के मालिक हैं और तमाम पुलिस और पटवारी के अख्तियार उनके पास हैं। दूसरी बात हमारे सामने यह है कि शिकमी काश्तकारों का रकबा भी हमें मालूम नहीं है। इसलिये हमको शुबहा होता है कि यह ३४,७३७ एकड़ जमीन जो है वह बहुत थोड़े परिवारों के पास है। अगर हमारा संशोधन मान लिया जाता है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन के पास १० एकड़ से फाजिल जमीन होगी जो दूसरों को मिल सकती है। और हमारी शंका इसलिए और भी पुख्ता हो जाती है कि हमें यह बतलाया गया कि ५६,००० की आबादी है और लगभग ४०,००० एकड़ जमीन है तो इस हिसाब से पौन एकड़ फी आदमी आती है। यह भी बतलाया गया कि एक पत्नी है और उसके पांच पति होते हैं। अगर दो-दो बच्चे हुए तो १० बच्चे हुए तो इस तरह से कुल मिलाकर १६ आदमी एक खाते में हुए तो इस हिसाब से दस एकड़ जमीन एक खाते में हो जाती है तो यह कोई असंभव बात नहीं है। दस एकड़ से ज्यादा जमीन किसी परिवार के पास नहीं है, अगर ऐसा ही है तब भी वह कम से कम हमारा दिल खुश करने के लिये इसको मान लें।

अब रह गया यह कि माननीय राम नरेश शुक्ल ने यह सलाह दी कि हम ख्वाब न देखा करें। उन्होंने रात और दिन के ख्वाबों का भी जिक्र किया। लेकिन मैं तो ख्वाबों का देखना बहुत ही जरूरी समझता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, वह कौम संसार से मर चुकी होती है जो ख्वाब नहीं देखती है। अगर राष्ट्रीय कांग्रेस को यह ख्वाब नहीं होता कि अंग्रेजों को भारत से निकाला जाय तो न तो कांग्रेस ही बनती और न अंग्रेजों से ही आजादी की लड़ाई होती और हम वर्षों गुलाम बने रहते। एक आदमी ने ख्वाब देख लिया तो मजबूर होकर अंग्रेज आज भारत से निकल गये। इस प्रकार से हमारी पार्टी और हम एक पार्टी के ख्वाब होने चाहिए। अगर माननीय रामनरेश जी समझते हैं कि उनके पास कोई ख्वाब नहीं है तो उनको तथा उनके दल को मौका जनता को नहीं देना चाहिये। तो ख्वाब देखना हर एक दल के लिये आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। जिनके पास ख्वाब नहीं हैं वह मुर्दे के समान हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि व्यर्थ के विवाद में न पड़ कर इस संशोधन को इसके निर्दोष होने के कारण माननीय राजस्व मन्त्री जी अवश्य स्वीकार कर लें।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं क्योंकि काफी कांग्रेस बैन्चेज की तरफ से एक युक्तियुक्त जवाब पहले ही दिया जा चुका है। श्री रामसुन्दर जी ने यह कहा कि भूमि वितरण का इस संशोधन में जिक्र ही नहीं है। जब यह संशोधन पेश हुआ तो मैं हाजिर नहीं था। लेकिन इसमें जो यह कहा गया है कि इसमें भूमि वितरण का जिक्र नहीं है तो यह गलत है, क्योंकि संशोधन यह है कि "इस अधिनियम के लागू होने पर इस परगने में किसी काश्तकार परिवार के पास १० एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहेगी और इस धारा के फलस्वरूप जो जमीन उपलब्ध होगी वह भूमिहीन कोटा और बाजगियों में वितरित कर दी जायगी" तो भूमि वितरण का जिक्र तो इसमें है। इस संशोधन में दो बातें हैं एक तो यह कि १० एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास होगी, उससे ले ली जायेगी। अगर यहां पर यह बात होती कि जमीन ले ली जायगी और क्षेत्रपति को वापस कर दी जायगी, तब तो कोई कंस्टीट्यूशनल कठिनाई नहीं आती थी, लेकिन फिर आपका कहना है कि वह जमीन तकसीम कर दी जायगी, बाजगी और कोल्टाओं में और मालिकान बिना मुआविजे के तकसीम कर दी जायगी तो यहां पर कांस्टिट्यूशनल कठिनाई आती है। लेकिन मैं उसका

जिक्र करना नहीं चाहता हूं। हर बार जो भूमि वितरण की बात कही जाती है तो जैसे एक आदमी का ट्रम्प कार्ड होता है, उसी तरह से सोशलिस्ट भाई इसको पेश कर दिया करते हैं। भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में उनके पास केवल दो ही बातें रह गयी हैं, जिसको वह बारबार कहते हैं चाहे हरदोई में कांफ्रेस हों, चाहे यहां उनकी तकरीर हो, चाहे तुक बैठती हो या न बैठती हो, लेकिन भूमि वितरण की बात कहीं न कहीं से ले आते हैं, क्योंकि यह उनका बहुत ही प्रिय विषय है। इस पर वह काफी अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, अपने मन में यह मानकर कि हम बड़े प्रगतिशील हैं और दूसरी बेंचेज के लोग प्रतिक्रियावादी हैं। अच्छा है कि उनके पास कम से कम एक विषय तो ऐसा है कि जिस पर वह चाहे गलत तरीके से ही सही जोश में आ जाते हैं। हम लोग उनको प्रतिगामी दीखते हैं। लेकिन किसी बात को बारबार उठाने से कोई फायदा नहीं होता है। जमीन की बटवारे की बात उन देशों से ली गई, जहां पर कि बहुत बड़ी जमीन्दारी थी या बहुत बड़े-बड़े होल्डर थे। उनसे जमीन लेकर भूमिहीन लोगों को जिनके पास अलाभकर जोत थी या छोटी जोत थी, उनको तकसीम की गई। तो जहां तक इस उसूल का ताल्लुक है कि कुछ लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीन है या बहुत लोगों के पास जमीन बिलकुल न हो और चन्द थोड़े से आदमी जमीन को मोनोपलाईज करके बैठे रहें तो उनसे जमीन ली जाय। मैं इस उसूल को मानता हूं और बुरा नहीं समझता और न इधर के हमारे साथी उसको बुरा समझते हैं। विरोधी दल के सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस सिलसिले में काफी बहस हुई और हमारे नेता इसको आवश्यक समझेंगे कि यह बात देश के हित में है और भूमि का वितरण देश के हित में है तो जहां वह और बातों में नहीं हिचकिचायें हैं, इसमें भी कोई हिचक नहीं पैदा होगी, अगर यह आवश्यक हुआ कि भूमि वितरण हो, तो वह किया जायगा। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ही यह समस्या है, कुछ लोगों के पास भूमि बहुत ज्यादा है और उसके तकसीम करने से खाद्य समस्या या और आर्थिक समस्या बिना किसी कन्ट्रोल के हल हो जायेगी। मैं एक दो बार से अधिक उन आंकड़ों को बता चुका हूं और इस बात का इन्तजार भी किया है कि कोई सज्जन बतलायें कि मेरे यह आंकड़े कहां तक गलत हैं। मगर कोई ऐसी बात नहीं बतलाई गई। आप देखेंगे कि आज स्थिति क्या है। आज स्थिति यह है कि जिस आदमी के कब्जे में जितनी जमीन है, वह हमने उसको दे दी। काश्तकार की जमीन काश्तकार के पास और जमीन्दार की जमीन जो उसके कब्जे में थी वह उसके पास है। जमीन्दारों की संख्या जिनका खेतों पर कब्जा है, करीब १९,२० लाख के है: सीर ६५ लाख दर्ज है। तो खेवट में जितने नाम दर्ज हैं उसके मुताबिक फी आदमी साढ़े तीन एकड़ पड़ता है और फिर सीर पर भी जो काश्तकार थे उनमें जो ढाई सौ से ज्यादा के थे उनको भूमिधर करार दे दिया और ढाई सौ से कम जो सीर वाले थे, उनको अधिवासी करार दे दिया। तो इस तरह से सीर की तकसीम हो गई और जो जमीन काश्तकारों के पास थी यानी उनके शिकमियों के पास थी, उस पर भी उनको अधिकार दे दिया और इस तरह से काश्तकारों की जमीन भी तकसीम हो गयी। बाकी जमीन जो बची वह हमने गांव सभा को दे दी और गांव सभा को यह अधिकार दे दिया कि वह उस जमीन को तकसीम कर दे। जैसा कि जमीन्दारी अबालिशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट में जो हम संशोधन करने जा रहे हैं, वह इस सदन के सामने १,२ दिन पहिले बांटा जा चुका है। उसमें सभी लोगों ने देखा होगा कि उसमें हम एक संशोधन करने की बात सोच रहे हैं और वह महज एक अदलाव बदलाव की बात है, लेकिन जहां तक जमीन तकसीम करने का मामला है, दफा ९८ अमेंडेड कानून के मुताबिक भूमि वितरण हो सकता है। अब आखिर वह जमीन कौन सी बची जो तकसीम के लिये रह जाती है। कुल एक लाख १४ हजार ७०० खाते ऐसे हैं, जिनका २५ एकड़ से ज्यादा रकबा है, जिनमें से ९ हजार ऐसे हैं, जिनका रकबा ५० से ज्यादा है और १ लाख ५० हजार ऐसे हैं जिनका रकबा २५ से लेकर ५० तक है और इस १ लाख ५ हजार में १/५ को छोड़कर ज्यादातर २५ और ३० एकड़ के बीच के रकबे वाले खाते होंगे। १ लाख ५ हजार में से अगर एक चौथाई निकाल दें तो जो खाते बचेंगे

[श्री चरण सिंह]

वे ३० एकड़ से ज्यादा रकबे वाले होंगे। इसमें से वह जमीन फिर निकालनी पड़ेगी जो केवल काश्तकारों के खाते की है। इनमें बहुत से जमीन्दार ऐसे हैं जो भूमिधर बन गये हैं। इस तरह से ८ लाख एकड़ जमीन बचती है जो उनसे लेकर तकसीम की जा सकती है और साढ़े चार लाख एकड़ जमीन मजरुआ बचती है जिनमें बागात लगे हुए हैं। यह ८ लाख इसमें जोड़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि देश के हित का तकाजा अगर यह है कि यह ८ लाख उनसे ली जाय तो मुझे या मेरे किसी साथी को कांग्रेस पार्टी के यह हिचकिचाहट नहीं होगी कि ऐसा न किया जाय। लेकिन सोचना यह है कि क्या ऐसा करने से कोई इन्कलाब हो जायगा। क्या और जो बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं, उनमें उलझें। अभी जमीन्दारी अबालिशन किया है। कम्पेनसेशन का सवाल पूरे तरीके से हल नहीं हुआ है। न रिकार्ड्स तैयार हुए हैं। चीजें अभी सेटिल डाउन नहीं हुई हैं और एक चीज को और उठा लें जिससे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। फिर वही सवाल यहां भी उठेगा, मुआविजा उनको देना होगा। अब यह बात कि बिना मुआविजा दे दो यह हमारे संविधान के खिलाफ है। बहुत सी वजूहात से हमने यह जरूरी समझा कि जब किसी की जायदाद ली जाय तो उसको मुआविजा दिया जाय। जमीन्दारों को ही मुआविजा इस तरह से दिया जाय, कहां से इतनी बड़ी रकम आवे, यह सवाल पहिले से हमारे सामने है। जमीन्दार असंतुष्ट हैं कि उनको मुआविजा बहुत कम मिल रहा है! तो यह जमीन जिन लोगों के कब्जे में है जमीन्दारों से ली लो। जमीन उनके कब्जे में नहीं थी, केवल प्रोप्राइटरी राइट उनका था, लेकिन यहां तो जिनसे जमीन लेंगे उनके कब्जे में जमीन भी है और प्रोप्राइटरी राइट भी है। उनको मुआविजा काफी देना पड़ेगा। जमीन्दारों को जिस तरह से दिया वैसे नहीं दिया जा सकता। क्या मुआविजा गवर्नमेंट अपने पास से देगी या जिन लोगों को तकसीम की जायेगी वह देंगे। वह भूमि ही नहीं दे सकते, उनके पास है नहीं। मुआविजा भी बहुत ज्यादा होगा। क्या गवर्नमेंट दे सकती है? गवर्नमेंट तो रोजाना विकास के काम करती है और प्रगति के साथ करना चाहती है और कर रही है उसमें ही बजट में जितनी आय है और जितना व्यय हम कर रहे हैं, उसमें ही बड़ा अन्तर है। उस अन्तर को दूर करने के लिये और कमी को पूरा करने के लिये कई बिल्स पहिले ही सदन में आ चुके हैं। किस तरह से वह घाटा पूरा होगा इस पर सरकार विचार कर रही है। जब कभी कोई बिल आयेगा रुपये लेने के लिये तब मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी के भाई बड़ा भारी विरोध करेंगे। तो वह रुपया कहां से आयेगा? फिर आप यह भी कहेंगे कि मुआविजा न दिया जाय, तो आप पहिले कांस्टीट्यूशन को बदलवा लीजिए, तब यह बात सोची जा सकती है लेकिन जब मुआविजा देना है और वहां मुआविजे का रेट भी बहुत ज्यादा होगा, मौजूदा जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट से कहीं ज्यादा, और जिन लोगों को भूमिहीनों को वह भूमि देने की बात कहते हैं, वह उस मुआविजे को नहीं दे सकते, लिहाजा वह कहां से आयगा? गवर्नमेंट तो जनता से ही लावेगी और यह भी मैं जानता हूं कि आप तो घात लगाये बैठे हैं कि गवर्नमेंट कहीं टैक्स बढ़ाने या लगाने की बात लाये और हम विरोध करें। फिर यह मसला कैसे तय हो। जहां तक गवर्नमेंट की नीयत का सम्बन्ध है कि भूमिहीनों को जमीन मिले, उनके लिये बहुत जल्द जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट का अमेंडिंग बिल आ रहा है, उसमें जो क्रम अब तक दफा १९८ का था, उसको बदल कर भूमिहीन और खेतिहर मजदूर को एक तरह से पहला स्थान दिया जा रहा है।

आचार्य विनोबा भावे का बहुत अच्छा मकसद है और वे धन्य हैं कि एक बहुत ही उन्नत वातावरण पैदा कर रहे हैं और वह अपने योग्यता से और अपने आन्दोलन से जो कुछ कर रहे हैं, वह बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता की हैसियत से वह देश के लिये जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं और न उनके उद्देश्य से किसी को इनकार ही हो सकता है। हम भी उन्हीं के उद्देश्य को पूरा करने के लिये अपने जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट में संशोधन कर रहे हैं।

अभी वेस्ट लैन्ड संशोधन बिल भी आने वाला है और आपने उसके बारे में अखबार में पढ़ा होगा उसके बारे में इस वक्त मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता केवल इतना कहूंगा कि जहां तक गरीब लोगों के उठाने का सम्बन्ध है और जहां तक अपने गिरे भाइयों के आंसू पोंछने का सम्बन्ध है और जहां तक देश की तेजी के साथ दुनिया के तमाम प्रगतिशील और उन्नतिशील और समृद्धिशाली देशों की पंक्तियों में ले जाकर बिठा देने का सवाल है, आप के जरिये अपने दोस्तों को और उनके जरिये उनके समर्थकों को विशेषतः बतलाना चाहता हूं कि इस हाउस में या इसके बाहर इस पार्टी का कोई नेता मामूली सा वर्कर हो आप से या किसी भी और पार्टी से एक कदम भी पीछे नहीं है। केवल बात इतनी है कि हम प्रगति करना चाहते हैं, शांति के साथ-साथ धीमे-धीमे और इस तरह करना चाहते हैं कि हम जिन लोगों के स्वत्व लें उनके भी थोड़े बहुत आंसू पोछे जा सकें। जिनके पास जायदाद है चाहे भूमि के रूप में हो या और किसी प्रकार की हो, हम उनको किसी प्रकार भी उनको अपना बैरी नहीं मानते। वह भी पुरानी सोसाइटी और समाज के अंग हैं और उसका जो स्टैन्डर्ड रहा है और जो वेल्यूज रही हैं उसके मुताबिक उनकी जायदाद रही है। अब उन की वैल्यूज को हम चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग चाहते हैं कि जो मान्यतायें बुजुर्गों की रही हैं उनकी एक दम अवहेलना करना जैसे कि माननीय राज नारायण जी ने हमारे राष्ट्रपति के एक कार्य के बारे में संकेत किया, अगर्चे वह यहां बिलकुल गैरमुताल्लिक बात थी, उससे यहां कोई वास्ता नहीं थी लेकिन उससे उनकी भावना मालूम होती है केवल हमारे यहां एक मान्यता है कि जो विद्वान हैं उन का आदर सत्कार हमारे यहां होता है उस पर्टिक्युलर काम से हो सकता है किसी को मतभेद हो, लेकिन वह कार्यविशेष जिस मनोवृत्ति का सूचक है और जिस मनोभाव या संस्कृति का वह प्रतीक है उस संस्कृति को जाहिलाना समझना या प्रतिगामी समझना या पूंजीवाद का पोषक समझना और इसलिये उनसे पीठ मोड़ कर चला जाना और जिन लोगों के पास किसी तरह से पूंजी है चाहे वह किसी तरह से आई हो उनको बैरी समझना हमने तो सीखा नहीं है। और उस आदमी से हमने यह सीखा है जिसका नाम समाजवादी या विरोधीदल के सदस्य भी लेते रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मैं मोती बखेर रहा हूं लेकिन सब बेकार होगा, उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार यह जरूरी समझता हूं कि भूमि वितरण के सिलसिले में जो बार बार बात कही जाती है वह केवल किसी खास उद्देश्य से कही जाती है, यह किसी प्रकार भी नहीं कि उससे कोई प्रैक्टिकल लाभ किसी को होने वाला है।

एक बात आंकड़ों की बाबत भी कही गयी। राज नारायण जी ने जो कुछ कहा उसको मैं अच्छी तरह से सुन नहीं पाया लेकिन जहां तक समझ पाया उन्होंने यह कहा और मैं समझता हूं कि वे कुछ गुमराह हो गये। उसमें जो आंकड़े हैं उनमें जो १,९१३ एकड़ कोल्टा और बाजगी के पास बतायी गयी है वह केवल उन्हीं के पास है। ३५,३१५ एकड़ जमीन राजपूत और ब्राह्मणों के पास है और उनकी जमींदारी में है, ३०५ एकड़ जमीन और लोगों के पास है यानी ढोल और चमार आदि जाति के लोग हैं, उनके पास है। अतः ३९,९१३ में ३०५ जोड़ दिया जाता है तो ४२,९९८ हो जाता है। अतः उनके पास जो ४२,९९७ एकड़ की उनकी इनफारमेशन है वह उन सब जातियों के पास की जमीन के बारे में है। इसके अलावा २,६०२ एकड़ जमीन राजपूत और ब्राह्मणों के पास बहैसियत काश्तकार के है जिसके ऊपर उनका कब्जा है। इस तरीके से ६९०० एकड़ जमीन बैठती है। तो फिर अब बताइये गलती कहां हुई। मैं इसके लिये अगर कोई गलती हो तो बैठने के लिये तैयार हूं। अतः मेरी तरफ से जो आंकड़े दिये गये थे उनके समझने में मेरा ख्याल है माननीय मित्र की ओर से गलती हुई है। लेकिन आंकड़े बिलकुल सही हैं। उनके खाते वगैरह की हर एक तफसील मेरे पास है। अब देखना यह है कि ऐसी जमीन कितनी है जो १० एकड़ से ज्यादा है। अभी मैंने बताया कि जहां काश्तकारों के पास जो औसत आता है वह .६ का बैठता है तो फिर १० एकड़ से ज्यादा किसके पास होगी। आपने कहा कि फिर मेरा मन समझाने के लिये ही इसको मान लीजिए। मन तो बचपन में ही समझाया जाता है। यह जगह कोई खाला जी का घर थोड़े ही है। यहां तो किसी उद्देश्य को लेकर ही कोई काम

[श्री चरण सिंह]

किया जाता है। यहां तो सोचना होता है कि यहां पर एक चीज को मान लेते हैं तो उसके कांसीक्वेंसेज क्या होंगे। आज केवल १० एकड़ की ही बात नहीं है। आप उसमें भूमि के बटवारे की भी बात कहते हैं। अगर यहां यह मान लिया जाता है तो फिर यह कहा जायगा कि दूसरे हिस्से में यह क्यों नहीं बिना मुआविजे के मान लिया जाता है। इसलिये यह बात सिर्फ मन समझाने के लिये नहीं रखी जा सकती है, न मंजूर की जा सकती है। और बार-बार उलाहना दिया जाता है कि क्योंकि यह हमारी तरफ से रखा गया है, इसलिये मंजूर नहीं किया जा सकता, यह कोई दलील नहीं है और न अपने मन में इस तरह की बात रखनी चाहिये। क्योंकि किसी तरफ से कोई बात आती है और वह माकूल होती है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि दो तीन दिन अमेंडमेंट्स समाजवादी दल की तरफ से आये वे स्वीकार हुए। जो बात माकूल थी वह मान ली गयी।

कल का एक और सबूत माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से देना चाहता हूं कि कल जिस वक्त यह सदन उठ चुका तो माननीय गेंदा सिंह जी ने मुझसे कहा कि वास्तव में आप जमींदारी एबालिशन करना चाहते . . . . नहीं हैं वरना आप तीन साल तक के लिये हर आदमी को हर काश्तकार को जमीन शिकमी और पट्टे पर उठाने का क्यों अधिकार देने जा रहे हैं दफा ४ में ? मैंने उनसे कहा कि हमारी नीयत ऐसी है और गवर्नमेंट की पालिसी भी है कि उसे खत्म करें लेकिन जिस सिलसिले में आपने कहा है उस पर मैंने ठीक से विचार नहीं किया था। अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसे ठीक कर दिया जायगा। मैंने उस पर विचार किया तो मालूम हुआ कि उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी है और मैंने उनसे कहा कि बेशक आपकी बात ठीक है। और मेरे एक मित्र ने उस पर संशोधन पेश किया जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी बात नहीं है कि हम तीन साल तक जमींदारी एबालिशन नहीं करना चाहते हैं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह दूसरी बात है कि वे दूसरी पार्टी से वास्ता रखते हैं और हम एक दूसरी पार्टी से वास्ता रखते हैं, लेकिन जहां तक देश हित का संबंध है उसमें कोई दो रायें नहीं हैं और दो रायें होना नहीं चाहिये। केवल यह जो तफरका है वह गलतफहमी पर मबनी है। मैं केवल यही विश्वास दिला सकता हूं कि नीयत मेरी और मेरे साथियों की, मेरे लीडरों की और मेरी पार्टी की नेक है और उतनी नेक है जितनी कि मुमकिन हो सकती है। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ४-क बढ़ा दिया जाय---

"४-क---इस अधिनियम के लागू होने पर इस परगने में किसी भी काश्तकार परिवार के पास १० एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहेगी और इस धारा के फलस्वरूप जो जमीन उपलब्ध होगी वह भूमिहीन कोल्टा-बाजगियों में वितरित कर दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को शुरू करने के पहले एक बात है जिसको बदल देना चाहता हूं। इसमें जो प्रतिबन्ध है उसमें ३० एकड़ दिया हुआ है तो हम चाहते हैं कि ३० एकड़ की जगह सवा छः एकड़ पढ़ा जाय।

श्री शिव नारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कार्य सूची हमारे सामने मौजूद है उसमें ३० एकड़ दिया हुआ है। तो क्या यह तुरन्त चेंज किया जा सकता है ? उसके लिये कुछ समय तो चाहिये।

श्री कमला सिंह---इस सदन की परिपाटी है कि अगर रिजोल्यूशन नहीं भी आता है तब भी संशोधन को परिवर्तित किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि "खंड ४ के बाद निम्नलिखित खंड ४-क जोड़ दिया जाय :

"४–क––यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि में निदेशों के अनुकूल (otherwise than in accordance) और जहां भूमि किसी काश्तकार के खाते का भाग हो वहां ऐसे "काश्तकार" की सहमति के बिना कब्जा करने या अपना कब्जा रखे रहे वह व्यक्ति जैसी दशा हो बाद पर बेदखल हो सकगा और वह क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि काश्तकार ने तीन वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी काश्त की जमीन शिकमी लगानी या बटायी पर उठाया हो और यदि वह धारा ४ के अन्तर्गत न आता हो और उसके पास निज जोत में ६, १/४ एकड़ से अधिक भूमि हो तो उस ६, १/४ एकड़ से अधिक भूमि से उसका स्वत्व समाप्त हो जायगा और शिकमी "काश्तकार" हो जायेगा।"

इसके पहिले कि अमेंडमेंट के बारे में कुछ कहूं यह बतला देना चाहता हूं कि अभी तक जो धारायें पास हुई हैं उससे विषम परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और धारा ३ (३) के अन्तर्गत जो १३ नम्बर का संशोधन कल मंजूर हुआ था उसमें कोई भी काश्तकार बदखल हो जायगा। साथ ही साथ आज तक जितने ऐक्ट बने टेनेंसी ऐक्ट, १, २६ और ३९ का और जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में भी शुरू से आखिर तक सब में एजेक्टमेंट तीन कारण से हुए हैं। पहला एरियर्स आफ रेंट, लगान अगर बाकी हो, दूसरा यह कि काश्तकार डेट्रीमेंटल ऐक्ट कोई करें और तीसरा सब लीज अगर कानून के खिलाफ करता है तो उस वक्त भी उसकी बेदखली हो सकती है। सन् १९०१ के ऐक्ट में जो एजेक्टमेंट होंगे वह सेक्शन ५७ में दिये गये हैं। सेक्शन ५७ इस प्रकार है:

"A tenant, not being a permanent tenure-holder, shall be liable to ejectment from his holding on one or more of the following grounds, namely, ––

(*a*) on the ground that a decree against him or his predecessor in interest for arrears of rent in respect of that holding on account of any agricultural year remains unsatisfied at the expiry of that year;

(*b*) on the ground any act or omission detrimental to the land in that holding, or inconsistent with the purpose for which it was let;

(*c*) on the ground that he or any person holding from him has broken a condition, not inconsistent with the provisions of this Act, and on breach of which he is by special contract with his landholder liable to be ejected;

(*d*) on the ground that he has sub-let or otherwise transferred the whole or any portion of that holding in contravention of the provisions of this act;"

यह ग्राउंड उसमें दी हुई है और धारा ६३ के अन्दर बेदखली होती है। ६३ में यह दिया हुआ है:––

"when a landholder desires to eject a tenant on any other ground than that specified in clause (*a*) of section 57, he shall proceed by suit; but no suit for the ejectment of a non-occupancy tenant on the grounds specified in section 58 shall be instituted except between the thirtieth day of June and the first day of October."

इन सेक्शंस को पढ़ने से मेरा मंशा यह है कि जितने भी इजेक्टमेंट के सेक्शंस हैं सब में यह चीज दी हुई है कि किसके दावा करने पर काश्तकार या शिकमी बेदखल होगा। जो सेक्शन मैंने अभी पढ़ा है उसमें पहले यह दिया हुआ है "व्हेन ए लैन्ड होल्डर डेजायर्स टु इजेक्ट ए टिनेंट"।

[श्री कमला सिंह]

इससे यह साफ जाहिर है कि जब लैण्ड होल्डर दावा करेगा तभी काश्तकार बेदखल होगा। लेकिन जो हमारा अमेंडमेंट ३ का ३ आया हुआ है उसमें यह नहीं दिया हुआ है कि किसके बेदखल करने पर काश्तकार बेदखल होगा। उसके बाद जो सेक्शंस आये हुए हैं शुरू से आखिर तक मैंने देखा किसी भी अमेंडमेंट में ऐसी चीज नहीं आयी है जिससे मालूम हो कि वह काश्तकार किसके सूट पर बेदखल होगा। साथ ही साथ यह भी देखना है कि अगर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट वहां पर लागू होता तो भी हम समझ सकते थे कि ग्राम सभाओं के दावा करने पर वह बेदखल होगा लेकिन ऐसी हालत में जब कि एक से अधिक जमींदारान मौजूद हैं, तो यह एक सोचने की चीज है साथ ही साथ में तो यह कहूंगा कि जहां पर यह भी साफ नहीं है कि एक जमींदार के बेदखल करने पर काश्तकार बेदखल होगा या जितने जमींदार हैं उन सब के दावा करने पर बेदखल होगा। ऐसी परिस्थिति में जहां पर इस चीज का भी ठिकाना न हो वह जो हमने धारा ३ की ३ बनायी है किसी तरह से कार्यान्वित नहीं हो सकेगी। ऐसी हालत में विषम परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ हमें यह भी सोचना है कि आप एक काश्तकार को तो बेदखल करने जा रहे हैं, लेकिन उसको भी एक मौका देना चाहिये कि वह भी अपने सब टिनेंट को बेदखल कर दे। अभी जो धारा ४ हमने पास की है उसमें भी आप देखेंगे कि एक विषम प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ४ की २ और ३ को अगर हम पढ़ें तो उसमें दिया हुआ है "अवयस्क जिसका पिता मर गया हो", और "पागल या जड़" साथ ही साथ जो प्रतिबन्ध है उसमें दिया हुआ है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो तो यह अपवाद उन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त हों।"

"सभी व्यक्ति" जो दिया हुआ है इसके लिये एक उदाहरण मैं भवन के सामने रखता हूं। मान लीजिए कि कोई खाता है जिसके दो हिस्से हैं। एक लड़के के पास और एक बाप के पास। बाप जो है वह पागल है और लड़का नाबालिग है। चूंकि यह धारा ऐसे ही लोगों के लिये बनायी गयी है जिसमें कोई अक्षमता हो तो जो उदाहरण मैंने दिया उस दशा में क्या परिस्थिति होगी। माननीय मंत्री जी जिस समय जवाब दें तो इसको साफ करने की कृपा करें, क्योंकि प्रतिबन्ध में यह दिया हुआ है कि "वे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त हों।" अगर जैसा कि नारायणदत्त जी का संशोधन था तो उसमें माइनर लड़का और बाप दोनों होते थे तो वह चीज आ सकती थी। लेकिन ऐसी हालत में जब कि उसका बाप जिन्दा है उसके लिये कौन सी परिस्थिति होगी और उसकी रक्षा आप कैसे करेंगे? अभी मैं जिक्र कर रहा था कि अगर टनेंसी ऐक्ट में या इस विधान सभा ने जितने कानून अब तक बनाये हैं हर एक में काश्तकार को बेदखल करने की एक धारा बनायी है। लेकिन साथ ही साथ जो सबलेसी या ऐसे सबटेनेंट्स हैं जो किसी भूमि पर जबरदस्ती काबिज हैं उनके बेदखल करने के लिये भी धारायें बनायी गयी हैं। लेकिन यह जो हमारा मौजूदा कानून इस वक्त सदन के सामने मौजूद है उनके अन्दर कोई भी धारा नहीं जान पड़ती है। उसको भी पढ़ जाइये और जो धारा हमारे सामने विधेयक की रखी गयी है अगर उसको भी आप पढ़ जाइये तो कोई धारा नहीं मिलती जिससे उन काश्तकारों को या ऐसे काश्तकारों को जिनको पट्टे पर जमीन दी है अगर वह जबरदस्ती करना चाहे या भूमि को न छोड़ें तो उनको बेदखल करने के लिये हमारे पास क्या अधिकार होगा? मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी चीज है जिससे बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी सूरत में जबकि ऐसी चीज है तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हम एक ऐसी धारा को ले आवें जिससे वह काश्तकार जो जबरदस्ती किसी भूमि पर कब्जा जारी रखना चाहते हों या तीन वर्ष बाद पट्टे को भी जारी रखना चाहते हों वह बेदखल हो सकें या वह काश्तकार जिन्होंने ५ साल के लिये पट्टा लिया है और वह इल्लीगल हो और ३ साल के बाद अक्ल आवे कि उसको बेदखल कर लें तो हम उसको एक मौका दें सकें कि ३ साल तक बेदखल करके अपनी जमीन को सुरक्षित कर सकें। अगर ऐसा नहीं करते तो परेशानी होती है। अगर ५ साल का पट्टा लिख दिया तो बेदखल न कर सकें,

मैं नहीं समझता कि यह न्यायसंगत बात होगी। अब १९०१ के बाद १९२६ के कानून को लें तो उसमें भी जो ग्राउन्ड्स दिये गये हैं वह भी यही तीनों हैं जो यहां दिये गये हैं और उसमें भी शिकमी काश्तकारों के बेदखल करने के लिये सेक्शंस दिये गये हैं। इसी तरह से सन् १९३९ में भी १८० और १७५ दो धारायें थीं जिनके जरिये हम गासिब या ट्रेसपासर को एजेक्ट करते थे और १७५ धारा तो ऐसी थी जिसके जरिये एसे लोगों को भी जिनको कनसेंट से जमीन दी हुई है, एजक्ट किया जा सकता था। जब मैं यहां शुरू में बोल रहा था मैंने राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाया था और वह यह कि हम इस ऐक्ट को लागू होने के लिये ५ साल के लिये लिख चके हैं। इस ऐक्ट के लागू होने पर वह एक चीज है जो सोचने की है। मैं समझता हूं कि इन चीजों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। १७५ धारा जो थी वह ऐसे लोगों के लिये नहीं है जो ट्रेसपासर हों बल्कि जो कनसेंट से हों यानी ५ साल वाल जिनको २ साल पहले ५ साल का पट्टा दे दिया है। ऐसे लोगों के लिये भी हमारे पास एक धारा होनी चाहिये जिससे उनको बेदखल कर सकें। इसलिये यह जरूरी होता है कि मौजूदा अमेंडमेंट हमारा जो है वह मंजूर किया जाय।

अब इसके पहले कि मैं अपने संशोधन पर आऊं मैं एक और चीज इस सदन में बतला देना चाहता हूं कि जो हमारा जमींदारी अबालीशन ऐक्ट है उसके बारे में हमारे राजस्व मंत्री जी ने बतलाया है कि थोड़े दिनों के बाद हम इस परगने में लागू करने जा रहे हैं। इस ऐक्ट में भी उन शिकमी काश्तकारों के लिये जो ट्रेसपासर्स हैं उनके लिये उसमें भी वह धारा रखी गयी है और वह है धारा २०९। मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं—

"A person taking or retaining possession of land otherwise than in accordance with the provisions of the law for the time being in force, and

(*a*) where the land forms part of the holding of a bhumidhar, sirdar or asami without the consent of such bhumidhar, sirdar or asami.

(*b*) where the land does not form part of the holding of a bhumidhar, sirdar or asami without the consent of the Gaon Sabha.

shall be liable to ejectment on the suit of the bhmidhar, sirdar, asami or Gaon Sabha, as the case may be, and shall also be liable to pay damages."

[यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि के निदेशों के अनुकूल, और

(क) जहां भूमि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के खाते का भाग हो वहां ऐसे भूमिधर, सीरदार या असामी की सहमति बिना;

(ख) जहां भूमि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के खाते का भाग न हो, वहां गांव सभा की सहमति बिना, किसी भूमि पर कब्जा कर ले या अपना कब्जा रखे रहे तो वह भूमिधर, सीरदार, असामी गांव सभा के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।]

तो इस तरह से वह जमींदारी अबालीशन एक्ट जिसको आप थोड़े दिनों बाद इस परगने में लागू करने जा रहे हैं उसके मातहत यह चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे लोग जो बेकस हैं, या जिनके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वह खुद अपनी भूमि को जोत सकें, ऐसी हालत में हम उनको भी अख्तियार दें कि वह अपने शिकमी को या सबलेसीज को एजेक्ट कर सकें।

[श्री कमला सिंह]

ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि इस विधेयक के अन्दर भी ऐसी धारा रहे जिससे कि हम अपने शिकमियों को, लेसर को या ट्रेसंपासर को जिन के जरिये बेदखली होने जा रही है उनको भी हम पहले बेदखल करने की सूरत अख्तियार कर सकें।

श्री चरण सिंह--जरा संक्षिप्त करदें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री कमला सिंह--जरा यह भी डर होता है कि समझ में न आये और फिर यह कहने को हो जाय कि समझाते समझाते परेशान हो गये लेकिन नहीं समझे।

जो यह मेरा नयी धारा जोड़ने का संशोधन है उसमें यह दिया हुआ है यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि में निदेशों के अनुकूल (otherwise than in accordance) और जहां भूमि किसी काश्तकार के खाते का भाग हो वहां ऐसे काश्तकार की सहायता बिना कब्जा करने या अपना कब्जा रक्खे रहे वह व्यक्ति जैसी दशा हो बाद पर बेदखल हो सकेगा और वह क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा। अगर आप इसके अर्थ को देखें तो धारा २०९ जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की है उसमें भी यही चीज करीब करीब है। उसमें दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि के निदेशों के अनुकूल (otherwise than in accordance) तो जहां तक इसके अर्थ का ताल्लुक है यह करीब करीब वही है जो मेरे संशोधन में है। अगर आप यह कहें कि इन शब्दों में किसी तरह की कोई बुराई है तो मैं समझता हूं कि पहले धारा को यह कहना पड़ेगा कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की जो बातें हैं जिनको आप ने पास किया है और जिन को आप कार्यान्वित कर रहे हैं वे भी बुरी हैं। मैं समझता हूं कि मेरा जो संशोधन है उसमें भी करीब-करीब वही शब्द हैं जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में हैं और एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस पर छींटा डाल सकें। ऐसी हालत में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस चीज को किसी तरह न छोड़े बल्कि इसको जरूर अपना लें।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक चीज और है जो माननीय राजस्व मंत्री जी को खटकेगी। अभी इस सदन में यह कहा गया कि सोशलिस्ट पार्टी का प्रचार हो रहा है या अन्य पार्टियों का प्रचार हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन एक सिद्धांत की बात कहना चाहता हूं। सवा छः एकड़ के कहने में भी एक सिद्धांत की बात है और जो आपने एक ऐक्ट बनाया है उसका वह एक सिद्धांत है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा १९८ जिस को आप लागू करना चाहते हैं उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ दिया हुआ है:--

"धारा १९५ या १८७ के अधीन किसी व्यक्ति को सीरदार या असामी के रूप में भूमि उठाते समय गांव सभा धारा १९८ या २३७ के अधीन बने नियमों या न्यायालय की आज्ञा को बाधित न करते हुए निम्नलिखित तारतम्य का अनुसरण रखगी।"

इसी धारा की उपधारा (ख) में यह दिया हुआ है:

"ऐसे भूमिधर जिसे धारा १८ की उपधारा (२) या धारा १३७ लागू होती हो और जिसके पास उस मंडल में ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो।"

उसके बाद भी दिया हुआ है:

"उन भूमिधरों से भिन्न जिन्हें खंड (ख) लागू होता हो ऐसे खातेदार जिनके पास उस मंडल में ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो।"

साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है दूसरे प्रतिबन्ध में :--

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि उन दशाओं में जिन्हें खंड (ख) और खंड (ग) लागू होते हों ऐसे खातेदार को केवल उतनी ही भूमि मिलेगी जितनी उसके पास की कुल भूमि के क्षत्रफल को ६ १/४ एकड़ कर देने के लिये पर्याप्त हो।"

तो यह सिद्धान्त जो आपके प्रतिबंध (२) में दिया है कि हर आदमी के पास कोशिश करें कि सवा छः एकड़ जमीन हो, इस चीज को आप इसके मान लेने पर कार्यान्वित करते हों इतना ही नहीं बल्कि हमारे उपराजस्व मंत्री परेशान थे भूमि वितरण की व्यवस्था के बारे में कि किस तरह से होगा। सोशलिस्ट पार्टी भी बतला रही है। बड़ी कठिन समस्या है। मैं राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं कि आपने जो नियम और उद्देश्य जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में बनाये हैं वह चीज इसमें भी है। ऐसी सूरत में जब वही उद्देश्य जो जमींदारी अबालीशन में रखे हैं तो फिर वही चीज इसमें भी है इसलिये इसको मान लेना चाहिये।

इसके साथ ही साथ यह भी प्रतिबंध हो कि ऐसे लोग जो धारा ४ में आते हैं उनकी रक्षा करना है क्योंकि वह अपाहिज लोग हैं जिनके पास खेती करने का कोई साधन नहीं है। इसलिये उनको एक्जेम्प्ट करने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं बल्कि यह भी है कि सवा छै एकड़ से अधिक भूमि हो तो उसकी जमीन में कोई शिकमी या ट्रेसपासर हो तो वह उस भूमि का काश्तकार हो जायगा। इससे तीन चीजों का फायदा होता है। एक तो आप लिटीगेशन से बच जाते हैं। दूसरे यह कि हमारे जो और कानून हैं उनमें यह है कि लैंड होल्डर्स के सूट पर ही बेदखल किया जायगा। तो यह जो कमी हमारी वहां पर रह गई थी इसके जरिये से इसको भी हम दूर कर रहे हैं।

एक चीज जरूर खटकेगी वह यह है कि प्रतिबंध की लास्ट लाइन में यह है कि ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि से उसका स्वत्व समाप्त हो जायगा। इसके मुताल्लिक मैं समझता हूं कि अगर आप १९३९ का टेनेन्सी ऐक्ट पढ़ ....

श्री अध्यक्ष--जो बात श्री राम नारायण त्रिपाठी जी वगैरह कह चुके हैं उसी को आप दोहरा रहे हैं। वह पढ़ चुके हैं इसलिये अब इसका इशारा ही काफी है।

श्री कमला सिंह--सेक्शन का रिफरेन्स आया इसलिये मैं इसको बतला देना चाहता हूं। मैं पढ़ नहीं रहा हूं। इसमें भी है कि अगर ५० एकड़ जमीन किसी के पास हो और उसके बाद कोई शिकमी काबिज हो तो वह हेरिडिटेरी टेनेन्ट आटोमेटिकली हो जायगा। यह भी इसी सिद्धान्त की ताईद करता है। ऐसी सूरत में मैं आशा करता हूं कि हमारे राजस्व मंत्री इसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन का आशय यह है कि जो लोग बिना अधिकार के जमीन पर कब्जा रखे हैं वह ट्रेसपासर हो गये और उनकी बेदखली के लिये कोई धारा नहीं रखी गई है वह रखी जानी चाहिये। इतना मोटा सा संशोधन है। उसके लिये टेनेन्सी ऐक्ट, लैंड रिफार्म्स ऐक्ट और दुनिया भर की दलीलें और नजीरें और न जाने किन-किन चीजों पर मेरे मित्र ने व्याख्यान दे डाला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार कह चुका हूं कि इसका उद्देश्य मुख्यतः यह है कि जो वहां पर लैंड रिफार्म्स आपरेशन्स हो रहे हैं उनको कानूनी नौइयत दे दें दूसरे यह कि जो काश्तकार वहां पर बेदखल हो रहे हैं उनकी बेदखली को रोकना। इसका इससे अधिक उद्देश्य कुछ भी नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं और जितनी जल्दी मुमकिन होगा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जमींदारी एबालीशन एंड लैंड रिफार्म ऐक्ट आवश्यक संशोधनों के साथ लागू करने का इस सरकार का इरादा है। तो यह विधेयक यह दावा नहीं करता कि यह स्वयं कम्प्लीट है

[श्री चरण सिंह]

हर तरीके से। तो फिर क्यों टेनेन्सी ऐक्ट और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की दफाओं को उठा कर इसमें लाने की कोशिश की जाती है। जो आदमी गासिब है उसके खिलाफ सिविल ला और क्रिमिनल ला में यह अधिकार है कि वह आदमी बेदखल किया जा सकता है। जो जो रेगुलेशंस लागू हैं उनमें भी इसकी गुंजाइश है। पृष्ठ २६३ और ११४ में इसका जिक्र है। इसमें चेप्टर तीन के अन्दर रेगुलर सूट्स के उप-शीर्षक की नीचे क्लाज ४ में जो दिया गया है उससे वह आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है ....

"Suits brought by the same parties to oust tenants for any default at the end of any year or at the expiration of any lease on the ground that such tenants have no permanent right of occupancy."

लीज का टर्म खत्म होने के बाद कोई कब्जा रखता है तो उसके खिलाफ दावा बेदखली का हो सकता है। इसी तरह से प्रैक्टिस आफ रेगुलर सूट्स नम्बर ८ पर इस किस्म की नालिश का जिक्र है। फिर सारी दुनिया भर की चीजें इस विधेयक में ला कर बिल्कुल एक पूरा कोड बनाने का विचार इस सरकार का नहीं है और चीजें जैसी हैं वे यथापूर्व चलती रहेंगी। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी मोटी सी बार के होते हुए आज दूसरे दिन भी यह खत्म नहीं हो पाया और शायद कल तीसता दिन भी इसमें लगे। जो बात जहां से मिल जाय उस सबको हम यहां कह दें मानो फिर कभी मौका मिलेगा ही नहीं। ऐसी कोशिश होती है यह प्रतीत होता है। हर माननीय सदस्य को अधिकार है चाहे जितना समय ले लेकिन मैं समझता हूं अगर बुरा न माना जाय अगर मैं कहूं कि कोई न्याय की बात नहीं है और बिला वजह अगर बुरा न मानें तो मैं कहूंगा कि समय नष्ट करने के बराबर यह बात है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री कमला सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक समय खराब करने का जिक्र माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया अगर ऐसी चीज है तो मैं समझता हूं कि कोई अमेंडमट यहां मूव करने की जरूरत ही नहीं है और जैसा विधेयक लाया जाता है वैसा पास कर दिया जाया करे।

अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि नजीरें पेश की गईं। अभी कल इस सदन में बहस हो रही थी। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि गाजीपुर और देवरिया से वकील बुलाये जायं वह परामर्श दे वें तो मैं मान लूं। उसके लिये हमने लिखित धारा १७२ बतलाई कि इम्प्रूवमेंट प्राविजो में आ सकता है। इस विधान सभा ने जो पास किया है उसके अन्दर हमने दिखला दिया फिर भी वह चीज मांगी गई। खैर मुझे कुछ नहीं कहना है। हमारा तो यह उद्देश्य रहता है कि कोई भी कानून बन उसमें फिर अमेंडमेंट लाने की जरूरत न पड़े। इसी उद्देश्य से हम परिश्रम करते हैं और सदन के सामने चीज लाने की कोशिश करते हैं, चाहे गवर्नमेन्ट उसे माने या न माने। अभी तक जो धारायें बनी थीं उनमें अभी तक ऐसे काश्तकारों के लिये कोई धारा नहीं थी जिससे वह इजेक्ट कर सकें इसलिये यह जरूरत पड़ी कि हम इस धारा को ले आय। आपने बतलाया है कि सिविल ला, क्रिमिनल ला में रेवेन्यु कोर्ट्स को यह अधिकार दे दिया गया है। उसके अन्तर्गत किसी आदमी को बेदखल किया जा सकता है। मैं तो यह समझता हूं कि ऐसा कानून हम क्यों लाने की कोशिश करें जब कि हमारा कानून खुद ही मौजूद है। हमारे कानून के अन्दर ऐसे क्लाज बनाये जायं जिससे ऐसा आदमी जो सही रास्ते पर चल रहा है उसको भी बेदखल होन की सूरत पैदा हो। मैं तो चाहता

यह था कि बेदखली की सूरत ही न आये । हमारा जो यह संशोधन है उसके अन्दर उसकी बेदखली भी हो जाती है । अगर आप यह सोचना चाहते हैं कि कोई भी आदमी अगर उसने लगान नहीं दिया और अगर किसी तरह से कानून की मुखालफत करता है तो वह बेदखल हो तो जैसा कि आपने बदखली के लिये एक ग्राउन्ड क्लाज ३ में किया है उसको नहीं रखना चाहिये । मेरे संशोधन से वह हमारी सारी दिक्कत दूर हो जाती है जो सूरत आपको परेशान कर रही है। भूमि वितरण की समस्या जो आपको परेशान कर रही है वह सब इससे हल हो जाती है।

ऐसी सूरत में माननीय राजस्व मंत्री जी ने बतलाया कि वहां पर उसके लिये सिविल ला मौजूद है जिससे वह इजक्ट किया जा सकता है और क्रिमिनल ला मौजूद है । मैं तो यह निवेदन करता हूं कि हम उन दोनों ला को क्यों इस्तेमाल करें । हमारे पास तो हमारा यह कानून ही इतना कम्पीटेंट होना चाहिये जिससे उसकी जरूरत न पड़े । रेवेन्यू कोर्ट में जाकर हो जाय तो अच्छा है बजाय इसके कि सिविल कोर्ट में जायं । इन सब बातों को देखते हुये मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री चरण सिंह--मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मैंने यह कहा था सिविल ला और क्रिमिनल ला तो जनरल है लेकिन वहां पर जो रूल्स और रेगुलेशन्स इन्फोर्स हैं उनके अन्दर भी इसका प्राविजन दिया हुआ है लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है और दूसरी चीज आगे आने वाली है तो इसके अन्दर आपको लाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के बाद निम्नलिखित नया खंड ४-क जोड़ दिया जाय :--

"४-क--यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि में निदेशों के अनुकूल (otherwise than in accordance) और जहां भूमि किसी काश्तकार के खाते का भाग हो वहां ऐसे 'काश्तकार' की सहमति बिना कब्जा करने या अपना कब्जा रक्खे रहे वह व्यक्ति जसी भी दशा हो बाद पर बेदखल हो सकेगा और वह क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि काश्तकार ने तीन वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी काश्त की जमीन शिकमी लगानी या बटाई पर उठाया हो और यदि वह धारा ४ के अन्तर्गत न आता हो और उसके पास निज जोत में ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि हो तो उस ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि से उसका स्वत्व समाप्त हो जायेगा और शिकमी काश्तकार हो जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

अभिलेख सम्बन्धी कार्यवाहियां
Record Operations

५--राज्य सरकार धारा ६ में निर्दिष्ट अभिलेखों (record) को तैयार करने के लिये अथवा उनके सामान्य अथवा आंशिक पुनरीक्षण (revision) के लिये--

(क) एक अधिकारी (जिसे यहां आगे चलकर स्पेशल रिकर्ड आफिसर कहा गया है) नियुक्त कर सकती है जो परगना जौनसार बावर की अभिलेख सम्बन्धी कार्यवाहियों का इन्चार्ज होगा और अन्य ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकती है जो स्पेशल रिकर्ड आफिसर को सहायता देने के लिये आवश्यक हों,

(ख) इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है किन्तु इस प्रकार नहीं जिससे कि ऐसे किसी क्षत्र में समय विशेष पर प्रचलित किसी

[श्री अध्यक्ष]

विधायन (enactment) के व्यापार (operation) में रुकावट पड़े ।

(ग) अभिलेख सम्बन्धी कार्यवाहियों (record operation) से आनुषंगिक (incidental to) वे अधिकार और कर्त्तव्य निर्दिष्ट कर सकती है जिनका ऐसे अधिकारी प्रयोग या पालन करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ६

अभिलेख जो तैयार किये जायंगे

६—(१) परगना जौनसार-बावर के प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख (records) तैयार किये जायेंगे उनमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) नक्शा और फील्डबुक,

(ख) रजिस्टर,

(१) सभी स्वामियों का,

(२) उन सभी व्यक्तियों का जो भूमि पर खती करते हों या अन्य किसी प्रकार से उस पर काबिज (occupying) हों, तथा

(३) उन सभी व्यक्तियों का जिनके खाते की मालगुजारी माफ हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वत्व का प्रकार तथा सीमा निर्दिष्ट की गई हो,

(२) अभिलेख में निम्नलिखित ब्योरे भी निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(क) स्वामी द्वारा देय मालगुजारी,

(ख) काश्तकार द्वारा देय लगान,

(ग) प्रत्येक खातेदार (tenure holder) का प्रकार तथा वर्ग और

(घ) खाते से सम्बन्ध अन्य कोई शर्तें या ब्योरे जिन्हें राज्य सरकार अभिलिखित कराये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) (ख) के भाग (३) के बाद निम्नलिखित नया भाग (४) बढ़ा दिया जाय—

"(४) नवतोड़ भूमि संबंधी"

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने हमको कल बतलाया था कि सन् १९५० ई० से जौनसार बावर में रिकार्ड आपरेशन हो रहे हैं और वहां पर एक रिकार्ड आफिसर काम कर रहा है लेकिन शायद समय की कमी की वजह से उन्होंने यह नहीं बतलाया कि वहां पर नवतोड़ जमीन की स्थिति क्या है । यह बात स्पष्ट है कि कुमायूं में और पहाड़ों में जो नयाबाद इलाके हैं वहां जो कानून है वह जौनसार बावर में लागू नहीं होता । पहाड़ी जगहों में वहां के काश्तकारों के लिये नयाबाद जमीन का बड़ा महत्व है नयाबाद और नौतोड़ एक ही चीज है । जब परिवार बढ़ता है और जिनके पास जमीन कम होती है वह लगातार कोशिश करते हैं, मांग करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं कि पहाड़ में उनकी खेती के सिलसिले में अगर जमीन है या अगर गांव में जमीन कम है तो जंगलात में या ऐसी जगह जहां जमीन बंजर है वह चाहते हैं कि उनको जमीन मिले । यही नौआबाद या नौतोड़ की व्यवस्था रही है लेकिन वहां नयाबाद

का कोई कानून नहीं बना है और माननीय मंत्री जी ने जो ३ रेगुलेशन्स बताये उनमें नयाबाद जमीन के बारे में कोई बात नहीं है। नौतोड़ वहां कितने महत्व की चीज है यह इसी रिपोर्ट से मालूम पड़ता है। इसमें कहा गया है कि:

"Nautor corresponds with Nayabad in Kumaun. *i. e.* breaking up waste land bringing it under cultivation. Though it has given rise to a certain amount of litigation, this has not reached the voluminous dimensions which it has in Kumaun, mainly because land-hunger in Jaunsar- Bawar is at present not nearly so acute. As mentioned in Chapter II, the reason is probably that on account of the prevailing practice of polyandry the increase in population in Jaunsar-Bawar is far slower. The people are also more indolent. On the other hand, owing to the precipitous nature of the hillsides, far less land is available for breaking up. And with the infiltration of education and modern ideas, it is probable that the rate of increase in the population will be accelerated in future years, with correspondingly increased pressure on the land."

जब कि सन् ४० में कोल्टा बाजगियों के पास १००० एकड़ जमीन थी तो आज माननीय मंत्री के शब्दों में ज्यों ज्यों वहां शिक्षा का प्रसार होगा वहां जमीन पर दबाव बढ़ेगा वह बात कोई गलत साबित नही होती। आंकड़े यह साबित करते हैं कि जब जमीन चौगुनी बढ़ गयी तो आवश्यक है कि नौतोड़ जमीन का ठीक इंद्राज होना चाहिये और जो भी रिकार्ड अफसर वहां काम करते हों उनके पास एक नौतोड़ का रजिस्टर होना चाहिये। हमारे कमायूं में भी नयाबाद का रजिस्टर और नियम बिल्कुल अलग हैं। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह नयाबाद ऐक्ट का भी संशोधन करें उसमें बहुत सी खामियां हैं और जौनसार बावर में जहां पर नौतोड़ भूमि का कोई भी कानून या रेगुलेशन नहीं है वहां पर मंत्री जी इतना जरूर कर सकते हैं कि नौतोड़ रजिस्टर के द्वारा ऐसे सब काश्तकारों के अधिकारों को कि जिन्होंने पिछले सालों में नौतोड़ जमीनों को जोता है उनका उसमें कब्जा दर्ज किया जाय और सब कुछ लिखा जाय कि कितनी जमीन है किसका खाता है जो कुछ भी उसमें आगे चल कर शर्तें रखी हैं उनमें रखा है कि परगना जौनसार बावर के प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख तैयार किये जायेंगे उनमें यह होंगे कि नक्शा और फील्डबुक, रजिस्टर सभी स्वामियों का, उन सभी व्यक्तियों का जो भूमि पर खेती करते हों, या अन्य किसी प्रकार से उस पर काबिज हों और तीसरे उन सभी व्यक्तियों का जिनके खाते की मालगुजारी माफ हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वत्व का प्रकार तथा सीमा निर्दिष्ट की गयी हो। जिनकी मालगुजारी माफ है उनमें नयाबाद का रजिस्टर जरूर होना चाहिये क्यों,कि यह किसी खास दिन या महीने की वस्तु नहीं है। आज भी हो सकता है ४ साल के बाद भी हो सकता है और जब नयाबाद रजिस्टर रहेगा तो वह रजिस्टर केवल रिकार्ड अफसर की ही सहूलियत के लिये नहीं होगा बल्कि भविष्य में जहां भी नई जमीनें होंगी उन सबके इंद्राज के लिये और ठीक रिकार्ड के लिये कि कितनी जमीन जोती जा चुकी है और कितनी की और गुंजायश है और कितनी काम में आ रही है, वह एक बड़ा सर्टिफिकेट और एक इतिहास होगा जिससे मालूम होगा कि नौतोड़ जमीन की स्थिति क्या है। आज वहां पर नौतोड़ जमीन की हालत क्या है। किसी को भी किसी प्रकार से पता यह नहीं चलता कि नौतोड़ जमीन किसके पास है। इसमें लिखा है --

"Disputes as to who should be allowed to break up land in a particular place have not been very common in the past but are bound to increase. There are no village boundaries, only those of the Khats have been demarcated."

उसमें गावों की जमीन दर्ज नहीं है जिसको दर्ज कराना चाहिये और वहां के काश्तकारों का रजिस्टर होना चाहिये। इसलिये नौतोड़ भूमि संबंधी रजिस्टर खोलना अत्यावश्यक है, क्योंकि नेचुरल बाउन्डरीज के बारे में इसमें लिखा हुआ

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है कि कहीं तो पहाड़ की चोटी मान ली गयी है, कहीं पर नदी नाले प्राकृतिक सीमा मान लिये गये हैं, कहीं कोई बड़ा पेड़ खड़ा है तो वही मान लिया गया है, कहीं कोई बड़ा पत्थर है तो उसी को सीमा मान लिया गया है। दस्तूरुलअमल के पैरा ५ में यह लिखा हुआ है

"स्फीअर्स आफ इन्फलुएंस"

अब यहां पर यह जो स्फीअर आफ इन्फलुएंस शब्द हैं वह बड़ा वेग है। जिसके पास जोर है, जिसका असर है वही उस जमीन को नौतोड़ कर लेता है। वहां पर स्फीअर आफ इन्फ-लुएंस यही नयाबाद की परिभाषा है। कुमायूं में तो नदी, पहाड़, पत्थर को सीमा माना जाता है लेकिन यहां पर सिर्फ जिसका असर हो। जिसने जहां चाहा जोत लिया और जहां न चाहा न जोता। इसलिये यह नौतोड़ का रजिस्टर होना अत्यन्त आवश्यक है। नौतोड़ की जो परिभाषा की गयी है वह इस प्रकार है--

"If any person breaks up nautor hereafter without such permission, no demand of ownership will be recognized by the courts in his favour: and a fine will be levied in accordance with a scale to be laid down."

इस प्रकार वहां चरागाह भी सुरक्षित नहीं हैं यानी जो स्थान गोचर, भेड़ों और बकरियों के लिये है वह भी नौतोड़ बना लिया गया है। लेकिन जब रिकार्ड आफीसर वहां जायगा तो वह यह देखेगा कि नौतोड़ कहां होना चाहिये और कहां नहीं होना चाहिये। और सबके हितार्थ वह इंदराज करायेगा। इसलिये कोल्टा और बाजगियों की यह सबसे बड़ी मांग है। इसलिये चैप्टर ३ में कहा गया है कि--

"In Chapter III we have mentioned Koltas' insistent demand for land to cultivate. All our witnesses agree that Koltas Bajgis should be given the right of breaking up and owning nautor."

नौतोड़ के बारे में एक अलहदा परिच्छेद दिया गया है। यह बात तो वहां के ब्राह्मण और जमींदार काश्तकारों ने भी मानी है कि नौतोड़ जमीन कोल्टा और बाजगियों को मिलना चाहिये। इस बात को देखते हुए नौतोड़ का रजिस्टर बनाने की जरूरत है। वहां एक रजिस्टर फांडबन्दी के बारे में भी रखा जाता है उसमें सियाने के हल्के का ही रिकार्ड दर्ज होता है और उस फांडबन्दी का नौतोड़ से कोई संबंध नहीं है। अतः रिकार्ड आफीसर को इस बारे में एक रजिस्टर बनाने और उसमें इंदराज करने की आज्ञा देनी चाहिये। रिपोर्ट के पेज १३० की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पेज १३० पर नियम ९६ इस प्रकार है :--

"When such permission is granted it will be entered in a new nautor register to be introduced and the grantee will be deemed to be the proprietor of the land.

If any person breaks up nautor hereafter without such permission no demand of ownership will be recognized by the courts in his favour: and a fine will be levied in aacordance with a scale to be laid down."

तो जो अफसर आज्ञा देगा या जो अफसर जाकर फैसला करेगा अगर माननीय मंत्री जी ने वहां जमींदारी खत्म कर दी और जब वहां कानून बन गया तो नौतोड़ रजिस्टर को रखने से उनको आगे भी सहायता मिलेगी। यह बहुत ही निर्दोष संशोधन है और मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी ने मैं नहीं जानता कि माकूलियत का ठेका ले लिया है मैं समझता हूं कि हर एक को इस बात का अधिकार है जितना कि माननीय मंत्री जी को कि वह माकूल बातों को सोचें। मैं उनके अधिकार को लेना नहीं चाहता लेकिन मैं उनसे यह जरूर प्रार्थना करता

हूं कि अगर हमारा यह संशोधन उनकी माकूलियत की परिभाषा में आ जाय तो वे जरूर इस पर विचार करें और इसको स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, सारी माकूलियत का ठेका तो न मैंने लिया है और न कोई और ले सकता है। मैंने केवल इतना कहा था कि अगर कोई माकूल बात हो तो गवर्नमेंट उसे स्वीकार करने के लिये तैयार रहेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने माकूलियत का ठेका लिया है और आपने नामाकूलियत का ठेका लिया है। मेरे माननीय मित्र का कहना यह है कि नवतोड़ रजिस्टर बनाया जाय जिससे आगे चल कर आपको सहायता मिले। मैं समझता हूं कि यह सब गैर जरूरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि विधेयक की दफा ६ (१) को आप पढ़ें जिसमें यह सब दिया हुआ है :

६ (१) परगना जौनसार बावर के प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख (records) तैयार किये जायगे उनमें निम्नलिखित होंगे :

(क) नक्शा और फील्ड बुक,

(ख) रजिस्टर,

(१) सभी स्वामियों का,

(२) उन सभी व्यक्तियों का जो भूमि पर खती करते हों या अन्य किसी प्रकार से उस पर काबिज (occupying) हों,

तो जो लोग जिस जमीन पर काबिज हैं, खेती करते हैं या किसी प्रकार से काबिज हैं उनके तो रिकार्ड्स तैयार हो चुके हैं या जितने नवतोड़ वाले हैं उन सब का नाम आ चुका है। केवल एक मोटी सी बात जो सन् ४१,४२ की रिपोर्ट में है वह यह कि २८ हजार एकड़ जमीन जेरेकाश्त और मजरूआ है जिसमें से ११,६१३ एकड़ जमीन दस साल के अन्दर तोड़ी गयी है। उन सब का रिकार्ड्स आपरेशन हो चुका है और सब का इन्दराज और कब्जा सब मुकम्मिल हो चुका। तो चाहे वह नवतोड़ जमीन हो चाहे पुरानी तोड़ी हुई जमीन हो उन सबको इसके अन्दर रखने की क्या जरूरत है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। और जब यह जमींदारी एबालिशन ऐक्ट वहां लागू हो जाय और आप कहें कि न भी लागू हो तो मैं समझता हूं कि इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आगे जो जमीन तोड़ी जायेगी वह दर्ज होती रहेगी। वह नौतोड़ जमीन है या पुरानी तोड़ी गयी है इससे इस पर क्या असर पड़ा, इससे क्या फर्क पड़ा? वहां का जो आपरेशन है वह करीब करीब खत्म हो चुका है। केवल कुछ जाब्ते की चीज रह गयी है जो फाईनलाइज करने की है। और अब तक जितने काबिज हैं एक प्रकार से उन सबका इन्दराज हो चुका है। इसलिये नवतोड़ के लिये अलग से रजिस्टर वगैरह रखने की बात बिल्कुल गैर जरूरी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायण दत्त जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता था कि जौनसार बावर के सिलसिले में किसी किस्म का कानून आयेगा तो वह ज्यादातर जमीनों के सिलसिले में अगर न भी होती तब भी उनके यहां जो पुराने नियम थे उनको कुछ तब्दील करने की गरज से आता तो अच्छा मालूम होता और अगर किसी वक्त जमीन के सिलसिले में जौनसार बावर में कोई कानून आये तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो थी वह थी नवतोड़ और उस सम्बन्ध में कोई बात इस बिल में नहीं कही गयी है। जब हम कहते हैं हैं कि एक रजिस्टर बने और उस रजिस्टर में कि जितनी नवतोड़ जमीनें हैं उनका जिक्र हो तब माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि उसकी जरूरत क्या है। मैं कहता हूं कि अगर उसकी जरूरत नहीं है कि आप उसको दर्ज करें तो हर्ज ही क्या हो जायगा। उसमें सब चीजें आ जायेंगी। अगर किसी किस्म का झगड़ा जौनसार बावर में मिलता है तो वह इस नवतोड़ जमीन का झगड़ा है। कोल्टा मेहनत करता है, जमीन को खोदता है, पहाड़ी इलाके में खेत वगैरह बनाता है लेकिन यह सब करने के बाद जो वहां का जमींदार सयाना होता है कहता है जमीन मेरी है और उस पर उसका कब्जा हो जाता है। ऐसे भी झगड़े मैंने देखे हैं जैसे कि कमटी

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

की रिपोर्ट में जिक्र है जिसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। आज हमारी हुकूमत जो अपने को प्रोग्रेसिव बनती है उसको मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों के वक्त की जो कमेटी थी उसने भी यही कहा था :

"Accession to this demand of the Koltas involves a far-reaching break with the principle that is previously given in Nautor. Till now no one but a Zemindar could break up and own Nautor. We now propose to abandon the policy of this to him that khat shall be given and to allow all landless residents of that Khat, this opportunity of acquiring land and becoming Zamindars themselves."

श्री चरण सिंह—आपकी इजाजत से मैं यहां एक बात साफ करना चाहता था। उस कमेटी की रिपोर्ट है कि यहां के कोल्टाओं को नवतोड़ करने का अधिकार दिया जाय, इस पर सारा बिल है। उस पर उन्होंने एक चैप्टर लिखा है लेकिन यहां जो अमेन्डमेंट है वह तो यह है कि एक रजिस्टर तैयार किया जाय जिसमें नवतोड़ जमीन का जो कब्जा है या उस पर जो काबिज हैं वह दर्ज हो। उसका जवाब मैंने यह दिया कि होल्डिंग्स दर्ज हो चुकीं, क्योंकि क्लाज को जरा अंग्रेजी में मैं पढ़कर सुना दूं —

"The records to be prepared in respect of each village of the paragana of Jaunsar Bawar shall consist of—

(*a*) a map and a field book ;

(*b*) a register—

(*i*) of all the proprietors ;

(*ii*) of all persons cultivating or otherwise occupying land;"

यह रजिस्टर तैयार हो चुका या किसी प्रकार का कब्जा है वह दर्ज हो चुका अब तिवारी जी का अमेन्डमेंट यह है कि रजिस्टर तैयार हो चुका यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

श्री अध्यक्ष—यह बात वह अच्छी तरह से समझ चुके हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं जो माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा उसको अच्छी तरह से समझ चुका था तो भी हमने कहा था कि अगर उसको लिख दिया जाय तो हमको भी तसल्ली हो जाय कि वहां जिस जमीन पर जो काबिज है वह सब दर्ज हो। जिससे कुछ लगान वसूल होता है उस जमीन के अलावा ऐसी जमीन वहां पड़ी हुई है जिसको नवतोड़ कहते हैं उसका लगान होता है। जिस जमीन को कोल्टाज लोग मेहनत करके तोड़ते हैं और जिस जमीन का रिकर्ड है वह तो वही पुरानी वाली जमीन है। अब नई वाली जमीन जो होगी उसका क्या होगा। तो उसके लिये हम कहते हैं कि ऐसा एक रजिस्टर बना दिया जाय जिसमें यह दर्ज हो। फैसला तो उसी के लिये होगा जिस जमीन पर जो काबिज है लेकिन नवतोड़ जमीन का जो मालिक होगा वह किसकी जमीन खोदता है यह सब दर्ज होगा और आप भी समझते हैं कि नवतोड़ जमीन को लिख दिया जाय तब तो यह जरूरी है कि रजिस्टर बना दिया जाय इससे जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनको भी तसल्ली होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का विश्वास है कि वहां के सदस्य माननीय शान्ति प्रपन्न जी होते तो उनके दिमाग में भी यह बात है कि सिर्फ नवतोड़ के लिये यह कानून लाया गया। अगर नवतोड़ का फैसला हो जायगा तो जौनसार बावर की सारी जमीन का झगड़ा खत्म हो जायगा लेकिन जब हम नवतोड़ के रजिस्टर की बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं। यह कहा गया कि जब नयाबाद का कानून बनेगा जैसा कि कुमायूं में है, वैसा जौनसार बावर में भी जब होगा तो उस वक्त बहस हो सकती है। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नवतोड़ जमीन है तो उसका एक रजिस्टर अलग रख दिया जाय। इसमें क्या हर्ज है ? कुमायूं में जो नयाबाद होता है तो वर्षों तक लगान ही नहीं मिलता। हमें

मालूम हो जायगा कि यह जमीन नवतोड़ है उसका लगान कम होगा और जो जमीन पुरानी है उस पर ज्यादा लगान होगा। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि नौतोड़ का भी रजिस्टर बना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष --माननीय नारायण दत्त तिवारी, आप चाहते हैं कि नवतोड़ शब्द आ जाना चाहिए। यह मन्शा है आपकी ? यानी उसम इनक्ल्यूडेड तो है, लेकिन जरा गोल है। आप चाहते हैं कि साफ हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं समझा देता हूं।

सर्व प्रथम मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को न मानते हुए इस विषय के सिलसिले में उन्होंने रिपोर्ट का हवाला दिया जो उनकी बाईबिल है और मेरी भी बाईबिल है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में नवतोड़ के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है।

श्री चरण सिंह--मैंने तो इसको माना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--और नवतोड़ का मतलब शायद मन्त्री जी समझे नहीं। लेकिन नयाबाद जमीन वह नहीं है जो पीछे जमीन आबाद हो चुकी है, या आजकल आबाद है, नयाबाद वह जमीन है जो आगे आबाद होगी जिसके लिये अर्जियां आती हैं कि हमें नयाबाद के लिये जमीन दी जाय संभावित जमीन नयाबाद है। नयाबाद का मतलब पुराने खाते की जमीन या फाटबन्दी की जमीन या आजकल जोती जाने वाली जमीन नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ दिया हालांकि यहां की भाषा हिन्दी है। क्या वह हिन्दी में स्पष्ट नहीं था इसलिये अंग्रेजी में पढ़ा। तो अंग्रेजी में तो जो आपन पढ़ा उससे आपने साबित कर दिया कि पुराने खाते वाला या जो आजकल जमीन जोत रहा है, वह आयेगा लेकिन भविष्य में जो जुतने वाली जमीन है वह कहां से उसमें आजायेगी। हर पटवारी के पास हर गाव में नयाबाद का एक रजिस्टर होता है। कुमायूं में नयाबाद के कायदे कानून हैं और नयाबाद रजिस्टर है। तो यहां पर हम हर गांव का इतिहास बना रहे हैं। धारा ६ में फिर पढ़ दूं,

"६(१) परगना जौनसार बावर के प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख (records) तैयार किये जायेंगे उनमें निम्नलिखित होगे:"

गांवों के रिकार्ड्स अस्थायी नहीं हैं, थोड़े समय के लिये नहीं होंगे बल्कि यह तो परम्परा के लिये हैं। तो जो नवतोड़ जमीन का रजिस्टर हम रक्खेंगे, वह जब माननीय मन्त्री जी वहां के लिये जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू करेंगे, फारेस्ट पंचायत ऐक्ट लागू करेंग, वनों को रिजर्व करने का ऐक्ट लागू करेंगे, तो उन सब में सायर होगा, हर तरह से नवतोड़ रजिस्टर सरकार को मदद देगा और उसके बार में जो चैप्टर पांच में कहा है वह मैंने पढ़ा नहीं था अब मैं उसे पढ़ देना आवश्यक समझता हूं। पृष्ठ १४ पर माननीय मन्त्री जी देखने का कष्ट करें। उसका दूसरा पैराग्राफ है :

"The courts have no rules to guide them and merely follow previous case rulings and the general principle that the land belongs to the man who is found to have originally brought it under cultivation. In our opinion it is essenential that new cultivation should be reported and recorded from the start in order to avoid future litigation."

तो यह इतना स्पष्ट है। आप निर्णय किस तरह दते हैं। जिसने पहिले जोत ली उसको नवतोड़ मिली, जिसका सिलसिला हुआ उसको नहीं मिली। तो क्या रिकार्ड होगा जो भविष्य की जमीन है। फिर यह कोई रिकार्ड का सवाल ही नहीं कि रिकार्ड आफिसर वहां रिकार्ड करने गया, नवआबाद तो आगे आने वाली चीज है, रेकार्ड करने वाली चीज नहीं है। अगर भविष्य की चीज के लिये भी आप इसे ठीक न समझें तो मेरी समझ में नहीं आता कि नवतोड़ कहां रखी जायगी ? नया आबाद के सम्बन्ध में जो जमीन के इन्दराज होंगे वह कौन से रजिस्टर में होंगे। जो जोत रहे हैं वह नहीं, जो आगे आने वाली है वह कहां रिकार्ड होगी ?

श्री चरण सिंह--उसका भी रजिस्टर होगा जो आग आने वाली है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---यह तो साफ है। चाहे रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। मैं जो पन्ना खोलता हूं उसी में निकलता है। पेज १६ में तीसरा पैराग्राफ है --

"Any *bonafide* resident of the Khat may break up nautor land, after obtaining the written permission, the Sub-Divisional Officer will ordinarily consult the panchayats concerned and will consider the circumstances in each case."

[खाट का कोई वास्तविक बाशिंदा लिखित अनुमति लेने के बाद नवतोड़ भूमि तोड़ सकता है, सब-डिवीजनल आफिसर साधारण रूप से पंचायत के साथ परामर्श करेगा तथा हर मामले म परिस्थिति पर विचार करेगा।]

अब यह भविष्य की बात है कि कौन कौन रजिस्टर रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे। फांट बन्दोबस्त पहले स है। तीन रजिस्टर आप रख रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि क्या नाराजी विरोधी दल से हो गयी है कि जो संशोधन हम रखते हैं उसका फौरन विरोध। वह "लेसर" और लेसी वाला मामला जो माना वह उन्होंने एहसान नहीं किया। वह तो माकूल बात थी, इसलिये "लेसर" आपने मान लिया। उसमें क्या नई बात की।

श्री चरण सिंह--नामाकूल बात मानी जाय तभी एहसान हो ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो माकूल बात तो यह है कि आप इसको मान लें। क्योंकि आप कल को फिर वही करेंगे। इस समय चाहे न बनाएं लेकिन नवतोड़ रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, दफा यह है कि परगना जौनसार बावर के लिये प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख तैयार किये जायेंगे उनमें निम्नलिखित होंगे:-

आप कहते हैं कि "नवतोड़ सम्बन्धी" सवाल यह है कि जब सन् ३२ में किताब लिखी गयी थी जिस किताब को बार बार पढ़ कर सुनाया जाता है तब ऐसा था कि नवतोड़ वालों के अधिकार अलग होंगे और पुरानी तोड़ वालों के अधिकार और होंगे, तो उसका रजिस्टर तैयार कर लिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह दर्ज कहां होंगे ?

श्री चरण सिंह--दर्ज तो अलहदा यूं करने पड़ते हैं ताकि उनके अधिकारों में कोई अन्तर हो। जब हम अधिकारों में अन्तर करने नहीं जा रहे हैं तो अलहदा इन्दराज करने का या अलहदा रजिस्टर बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा १९८ में यह अख्तियार दिया गया है कि गांव सभा जमीन किसी आदमी को उठा सकती है जो आज कल्टीवेटेड नहीं है लेकिन कल्टीवियेबिल है। तो जब किसी को जमीन गांव सभा देगी तो वह जो पहिले से खसरा खतौनी है उसमें लिख ली जायेगी तो ऐसी हालत में नवतोड़ रजिस्टर की कोई जरूरत अलग बनाने की नहीं है। जो नवतोड़ किसी आदमी को मिलेगी उसमें उसको वही अख्तियार होंगे जो पुरानी तोड़ वालों को हैं। लिहाजा रजिस्टर की जरूरत किसी प्रकार की नहीं है। नयाबाद जो है वह गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फारेस्ट में जो जमीन तोड़ी जाय कुमायूं में उसके सिलसिले में कुछ कानून हैं। उससे यहां कोई मतलब नहीं और न यहां वैसे इन्दराज होंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--केवल सूचना के लिये वहां रजिस्टर क्यों रखा गया है ?

श्री चरण सिंह--नयाबाद गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फारेस्ट में जो जमीन है उनके अलग अधिकार हैं, अलग लायबिलिटीज हैं, हम कोई ऐसी चीज करने ही नहीं जा रहे हैं कि नवतोड़ और पुरानी तोड़ का कोई लेख हम करने जा रहे हों। चाहे पुरानी तोड़ जमीन हो चाहे नवतोड़ जमीन हो, सबको एक ही अधिकार देने जा रहे हैं। जो नवतोड़ जमीन

है उसका इन्दराज हमने कर लिया है। अब यह कहा जा रहा है कि नवतोड़ जमीन का रजिस्टर हो क्योंकि कुमायूं में नव आबाद जमीन का रजिस्टर है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब तो जमाना दस वर्ष आगे बढ़ गया सन् १९४२ से लेकर सन् १९५२ तक दस वर्ष तो जमाने के लिहाज से बढ़ गया। और विचारों के लिहाज से सैकड़ों वर्ष बढ़ गया। अब मैं इस बात को कैसे समझाऊं कि रजिस्टर वहां रखने की जरूरत नहीं है। वहां चाहे नवतोड़ जमीन हो चाहे पुरानी जमीन हो, किसी के अधिकार अलग नहीं हैं लिहाजा नवतोड़ भूमि के सम्बन्ध में रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है। मैं बैठने को तैयार हूं और माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि जब सब के अधिकार एक से हैं तो नवतोड़ भूमि के लिये रजिस्टर रखने में क्या लाभ है?

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी के इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। अभी अभी माननीय मन्त्री जी यहां आये थे और उन्होंने मुझसे यह कहा कि भाई सदन का बड़ा समय नष्ट हो रहा है और जमीन्दारी उन्मूलन का जो संशोधित कानून प्लेंस के लिये बनाऊंगा वही वहां लागू कर दूंगा। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या नवतोड़ जमीन का अलग रजिस्टर होगा? सरकार बराबर एक सिद्धांत की बात किया करती है कि नवतोड़ जमीन जो तोड़ेंगे उनको उस पर कब्जा दिलाया जायगा। अगर नवतोड़ जमीन का आप अलग रजिस्टर रखेंगे तो जो आप आगे जमीन्दारी उन्मूलन ऐक्ट का संशोधन करने जा रहे हैं, हो सकता है कि उसको आप जौनसार बावर में भी लागू करें, तो जब नवतोड़ जमीन का अलग रजिस्टर रहेगा तो जो जमीन तोड़ेगा उसका कब्जा साबित करने में आसानी होगी। इसलिये नवतोड़ जमीन का रजिस्टर रखना आपके लिये जरूरी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इसका कारण नहीं बताया कि नवतोड़ जमीन का रजिस्टर क्यों नहीं रखा जायगा।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर जमीन्दारी ऐक्ट, लागू करते समय हम ऐसा करें कि नवतोड़ वालों के वही अधिकार होंगे जो कि पुरानी तोड़ वालों के होंगे तब अलहदा रजिस्टर रखने की क्या जरूरत है। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि अलग रजिस्टर रखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बताने के बाद भी अगर मैं न समझा पाऊं तो यह मेरी बदकिस्मती के सिवा और क्या है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं एक सूचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--काफी हो चुका, अब मैं इजाजत नहीं दे सकता।

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) (ख) के भाग ३ के बाद निम्नलिखित नया भाग (४) बढ़ा दिया जाय--

"(४) नवतोड़ भूमि सम्बन्धी"

(प्रश्न उपस्थत किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) (घ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "सम्बन्ध" के स्थान पर शब्द "सम्बद्ध' रख दिया दिया जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) (घ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "संबंध" के स्थान पर "सम्बद्ध" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

इंदराज का प्रमाणीकरण और विवादों का निर्णय।

७—(१) अभिलेखों के सभी विवादहीन इंदराज स्वत्व रखने वाले पत्रों द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे और ऐसे इंदराजों से संबंध सभी विवाद कब्जे के आधार पर निर्णीत किये जायेंगे।

(२) यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकर्ड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकारी तौर से वह जांच करेगा कि कौन सा व्यक्ति संपत्ति का सबसे अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा।

(३) कब्जे के संबंध में इस धारा के अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश किसी भी व्यक्ति को किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त (having jurisdiction) दीवानी अथवा माल न्यायालय में संपत्ति से संबद्ध अपना अधिकार स्थापित करने से वंचित न कर सकेगा।

श्री जय राम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "संबंध" के स्थान पर शब्द "सम्बद्ध" रख दिया जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "संबंध" के स्थान पर शब्द "सम्बद्ध" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बैठक का कार्य—काल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब समय हो गया है—

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय आध घंटे और बढ़ा दिया जाय ताकि यह विधेयक, समाप्त हो जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—जो प्रस्ताव आया है उसका अगर कोई विरोध करता है तो मैं सदन की राय लिये लेता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आपने जब कह दिया है कि समय समाप्त हो गया तब यह प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—मैंने यह कहा कि अब समय समाप्त हो गया है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या ठीक ५ बजे भी कोई प्रस्ताव आ सकता है।

श्री अध्यक्ष—जब तक मैं डिक्लेयर न कर दूं तब तक आ सकता है।

प्रश्न यह है कि आज सदन का आध घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में—७५
विपक्ष में —१२

श्री शिवनाथ काटजू—मैं यह पूछना चाहता हूं कि तीस मिनट ५ बज कर ५ मिनट से बढ़ाये गये हैं या ५ बजे से?

श्री अध्यक्ष—५ बजे से। ५ बज कर ३० मिनट पर समय समाप्त हो जायगा। ५ बज कर ३५ मिनट के लिये दूसरा प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ (क्रमागत)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति के शब्द "विवाद" के बाद शब्द "की" बढ़ा दिया जाय।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य)--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति के शब्द "विवाद" के बाद शब्द "की" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ --

पक्ष में--६९
विपक्ष में --११)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ के शब्द "अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो" के स्थान पर शब्द "निश्चय न कर सके" रख दिये जायं।

यह संशोधन एक शाब्दिक संशोधन है और मैं समझता हूं कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मुझे स्वीकार है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय शुक्ल जी का ध्यान खंड ७ के उपखंड (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह है कि "यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रिकार्ड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है"। तो वह ऐसे आदमी को कब्जा दिलायेगा जिसको वह ठीक समझेगा। पहले तो वह विवाद की जांच करेगा और फिर सरकारी तौर पर जांच करेगा तब वह अपना फैसला देगा। यह तो संशोधन ऐसा है कि जो बिल्कुल असंगत मालूम होता है। जो पहले निश्चय नहीं कर सकता वह बाद को निर्णय कैसे देगा। निर्णय में तो कुछ डाउट भी हो सकता है लेकिन निश्चय तो फाइनल होता है। तो इससे तो और भी गड़बड़ पैदा हो जायगी। निर्णय करने में और निश्चय करने में जैसा कि मैंने बतलाया फर्क होता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि शुक्ल जी का यह संशोधन और भी कठिनाई पैदा कर देगा और इससे और भी गड़बड़ पैदा हो जायगी।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबन्की)--नारायण दत्त जी ने जो शंका उपस्थित की है वह भ्रांतिपूर्ण है। निर्णय और निश्चय में वही फर्क है जो कि डिसीजन और जजमेंट में होता है। पहले जब डिसीजन हो जाता है तभी जजमेंट होता है और मुझे तो इसमें कोई शंका नहीं मालूम होती है।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)-- मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ के शब्द "अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो" के स्थान पर शब्द "निश्चय न कर सके" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "सरकारी" के स्थान पर शब्द "सरसरी" रख दिया जाय।

यह एक शाब्दिक संशोधन है। इसे स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह एक प्रिंटिंग मिस्टेक है इसको मैं दुरुस्त कर दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं संशोधन में संशोधन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि "सरसरी तौर पर" डिलीट हो जाय क्योंकि सरसरी तौर पर कोई जांच नहीं होती।

श्री अध्यक्ष--अगर आपको आपत्ति है तो मैं आपका प्रस्ताव ले लूंगा।

श्री चरण सिंह--मुझे संशोधन स्वीकार है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द "सरसरी तौर से" निकाल दिये जायं।

मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। "यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकर्ड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकारी तौर से वह जांच करेगा कि कौन सा व्यक्ति संपत्ति का सब से अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा।"

तो यह जांच स्वत्वों की होगी और यह वह स्वत्व होंगे जो धारा ६ के अनुसार है....

श्री अध्यक्ष--आप डिलीट करने की बात कैसे कह सकते हैं। आप का अपोजीशन हो सकता था, वह आप कर चुके। अब मैं आपको इजाजत नहीं देता।

श्री चरण सिंह--संशोधन श्री भगवती प्रसाद जी का सही है और जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "सरकारी" के स्थान पर "सरसरी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ७ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ाना चाहता हूं--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है, तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर स्पेशल रिकार्ड अफसर उक्त काश्तकार को हर हालत में आवश्यक इंदराज कर कब्जा दिला देगा।"

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह खंड कोल्टा और बाजगियों को सबसे ज्यादा कब्जा दिलाने वाला है और कब्जा दिलाने में सबसे ज्यादा समर्थ है। चाहे वह खेतिहर हो, शिकमी हो, सेवा भाव से कर रहा हो, कर्जदारी से हो या और किसी रूप में काबिज हो अगर इस धारा में यह प्रतिबन्ध जोड़ दिया जायगा तो उसे हर प्रकार से अधिकार मिल सकता है। मान लीजिए स्पेशल रिकार्ड आफीसर किसी गांव में जाता है और इंदराज करना चाहता है और यह जानना चाहता है कि किसी व्यक्ति का किसी खेत पर कब्जा है या नहीं या यह कि कौन खेत जोतता है तो जैसा कि शांति प्रपन्न शर्मा जी ने कहा कि वहां पर सयानों का इतना ज्यादा असर है कि किसी भी कोल्टा या बाजगी की यह हिम्मत नहीं कि वह यह कह जाय कि वह जमीन जोतता है। वह अपने बयान में यह नहीं कहता कि इस जमीन पर मेरा कब्जा है। वह तो यही कहता है कि "हमारा कब्जा नहीं है"। इसलिये इन गरीबों की ऐसी हालत को देखते हुए और गांव में संघर्ष होने के डर से, या यह विचार कर कि गांव में आगे कब्जा न मिल सकेगा वे सयाने के खिलाफ कुछ नहीं कहते। इसलिये इन लोगों को रिलीफ देने के लिये यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार का प्रतिबन्ध यहां पर जोड़ दें। इस प्रतिबन्ध के यहां पर होने से क्या होगा? मान लिया जाय कि किसी गांव में स्पेशल रिकार्ड आफीसर आता है और वहां पर मालूम होता है कि इस खेत पर कोल्टा का कब्जा है। मगर सयाना इस पर एतराज करता है और कहता है कि इस खेत पर इसका कब्जा नहीं है मेरा कब्जा है, लेकिन असलियत यह है कि कोल्टा १०-१२ साल से उसको जोत रहा है, उसका कब्जा है, बाद में उसको बेदखल कर दिया गया है, या उसे इसी साल बेदखल

किया गया है या एक दो साल पहिले बेदखल किया गया है। तो वह स्पेशल रिकार्ड आफीसर उस सयाने की बात नामंजूर कर सकता है। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि "किसी भी विवाद के होते हुए" जमींदार, उसकी बड़ी जाति के होने के कारण अगर वह किसी अधिकार को चैलेंज करता है, किसी काश्तकार के अधिकारों को चैलेंज करता है, किसी मौरूसी काश्तकार या गैरमौरूसी काश्तकार के अधिकारों को चैलेंज करता है, तो स्पेशल रिकार्ड आफीसर बिना किसी अधिक विवाद के किये हुए यह देख कर कि वह कोल्टा काबिज है उसका इंदराज उसी समय करा देगा और उसको कब्जा दिला देगा। मैं इस प्रतिबन्ध की चौथी लाइन के शब्द "हर हालत में" पर विशेष जोर देता हूं। यह प्रतिबन्ध ४९ में जो सरकार की ओर से रेग्युलेशन हुआ है उसके अनुसार भी है। क्योंकि उसमें यह दिया हुआ है कि जौनसार बावर का कोई भी भूमि जोतने वाला काश्तकार जो पिछले तीन साल से जौनसार परगना में भूमि जोत रहा है उसको खेत से बेदखल नहीं किया जायगा। यह माननीय मंत्री जी की सूचना के अनुसार मैं कह रहा हूं। ऐसा रेग्युलेशन जारी हो चुका है। अतः यह प्रतिबन्ध उस रेग्युलेशन के अनुसार है। अब चूंकि यह रेग्युलेशन इस ऐक्ट के द्वारा खत्म हो जायगा। अतः मैं चाहता हूं कि पिछले तीन सालों से जो जौनसार बावर में खेती कर रहे थे और जिनको इस रेग्युलेशन के अनुसार रिलीफ मिला हुआ था वह रिलीफ इस विधेयक के द्वारा कायम रहे। यानी जो ३ साल पहिले से काबिज है वह बेदखल न किया जाय और उसका नाम इंदराज कर दिया जाय। यही मेरे इस संशोधन की मंशा है।

इस खंड २ में यह लिखा हुआ है कि अगर वह निश्चय न कर पाये कि किस व्यक्ति का कब्जा है तो वह सरसरी तौर पर उसकी जांच करेगा। श्रीमन्, इसीलिये मुझे इस 'सरसरी तौर' पर एतराज था लेकिन अब चूंकि यह हो चुका है इसलिये मैं इसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता। उस से मुझे डर है कि कहीं इस सरसरी तौर पर देखने में यह न हो जाय कि सयानों का वहां पर जो असर है उसकी वजह से फैसला उनके ही हक में हो जाय। अब जब कि यह 'सरसरी तौर पर' जांच की जायगी और उस जांच में यह निश्चय किया जायगा कि कौन व्यक्ति संपत्ति का सबसे अधिक हकदार है, तो 'सब से अधिक' में सयाना कहेगा कि मैं पट्टा देने वाला हूं और यह पट्टा लेने वाला है, वह कहेगा कि मैं भूमि जोतता हूं, और सन् ४९ के रेग्युलेशन के मुताबिक मैं बेदखल नहीं हुआ हूं, खेत पर मेरा अधिकार है, २ गांव वाले भी कहते हैं कि इसी का अधिकार है। अतः खंड २ में जो यह बात आई है कि "कौन सबसे अधिक हकदार है" यह चीज हमें पीछे ले जाने वाली है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि जो व्यक्ति कानून के अनुसार हकदार हो सकता है वही व्यक्ति भूमि जोतने वाला नहीं हो सकता। 'सबसे अधिक अधिकार' और 'भूमि जोतने वाला' इन दोनों संज्ञाओं में फर्क है और दस्तूरुलअमल के अनुसार संपत्ति पर सब अधिकार जमींदार को है, कोल्टा को नहीं है। इसलिये उन गरीबों को भूमि देने का हमें इस विधयक के अनुसार अधिकार नहीं है। इस विधेयक के अनुसार माननीय मंत्री जी भी यही चाहते हैं कि उन लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और भूमि जोतने वालों के नाम दर्ज कर दिये जायं लेकिन इस 'संपत्ति का सबसे अधिक अधिकारी हो' इससे एक विवाद खड़ा हो जायगा और उसके बाद जो जांच होगी वह सरसरी होगी इससे यह डर पैदा होता है कि बजाय इसके कि वह भूमि भूमि जोतने वाले के पास जाय कहीं सयाने या जमींदार के पास न चली जाय और उसके नाम का दुबारा इंदराज न हो जाय। इसी डर को खत्म करने के लिये और इस सदन की मंशा को देखते हुए कि जौनसार बावर के लोगों को सुविधा प्रदान की जाय, मैं यह संशोधन लाया हूं। इन कारणों से यह आवश्यक है कि यह प्रतिबन्ध इसमें जोड़ा जाय और रिकार्ड आफीसर के लिये यह पाबन्दी कर दी जाय कि वह उनका कब्जा करा दे।

मेरा कहना यही है कि जमीन पर उन्हीं के नाम इंदराज हों जो कि जमीन के जोतने वाले हैं। जैसा कि रेगुलेशन ५० में दिया हुआ है, मालूम होता है कि आपने उसकी भावना को नहीं समझा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी बातें न कहूं ?

श्री अध्यक्ष—मैं रिपीटीशन नहीं पसन्द करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इसीलिये तो मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूं। नहीं तो मैं रिपोर्ट पढ़ कर सारी बातें बतला देता। मैं रिपीटिशन नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--सावधान। आप बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं। बार बार भावनाओं का जिक्र कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं अभी खत्म कर रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रेगुलेशन ५० के अनुसार माननीय मंत्री जी अपनी भावनायें जारी रखें और इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अब दो संशोधन हो चुके हैं तो धारा ७ का उपखंड (२) अब इस प्रकार हो जाता है :--

"यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकार्ड आफिसर निश्चय न कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरसरी तौर पर यह जांच करेगा कि कौन सा व्यक्ति संपत्ति का सब से अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा।" यानी अगर किसी के कब्जे में है तो उसको तो रेकर्ड कर दिया लेकिन आपका जो संशोधन है वह तो कब्जा दिलाने का है। आपका संशोधन है :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है, तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर स्पेशल रेकर्ड आफिसर उक्त काश्तकार को हर हालत में आवश्यक इंदराज कर कब्जा दिला देगा।"

अगर वह खेती करता चला आ रहा है तो बावजूद किसी के दिलाने के उसका कब्जा तो उस पर है ही। अगर उसके कब्जे में है तो उसका नाम इंदराज हो ही जायगा। फिर कब्जा दिलाने का सवाल नहीं है। लेकिन अगर कब्जा डिस्प्यूटेड है तो उसके लिये वह सरसरी तौर पर समरी इंक्वायरी करेगा कि किसका कब्जा है और टाइटिल किसका है और फिर वह अधिकारी देखेगा कि इस पर किसका अधिकार होना चाहिये। जब उसका इंदराज है तो फिर उसे कब्जा दिलायेगा। हमारे विधेयक में यह चीज तो लिखी हुई है, फिर इसकी क्या आवश्यकता है। मेरे मित्र का कहना है कि सरसरी तौर पर इंक्वायरी होती ही नहीं है। मैं कहता हूं कि महाराज सरसरी तौर पर इंक्वायरी ऐसे मामलों में होती है। असिस्टेंट कलेक्टर या जो इसके लिये मुकर्रर होता है वह इसकी इंक्वायरी करता है। रिमेंनिंग रेंट वगैरह के लिये सरसरी तौर पर इंक्वायरी होती है और उसका फैसला वहीं पर होता है। टाइटिल का जो केस होता है उसका फैसला सिविल कोर्ट में होता है। श्रीमन्, मैं सिर्फ आधा मिनट ही लूंगा। पहली बात यह है कि अगर कब्जा है तो उसका इंदराज कर दिया जायगा। अगर कब्जा डिस्प्यूटेड है तो उसकी समरी इंक्वायरी की जायगी और अगर उसका इंदराज है और कब्जा है तो फिर यह संशोधन बिल्कुल बेकार है।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
४ दिसम्बर, १९५२।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

क्रम संख्या	ब्लाक का नाम		क्षेत्रफल एकड़ों में
१	हिम्मतपुर	...	७५६·८
२	गुलजारपुर	..	१३७·६
३	जोगीपुरा	...	१८२५·६
४	बरहनी	...	७५८·४
५	दादूपुरा	...	२८०·०
६	धिमड़ी	...	६१०·०
७	लम्बाचौर के उत्तर पूर्व में "डी" क्लास फारेस्ट	..	१३६·६
८	गोला रौखाड़	...	१९·२
९	खनिया	...	२,५७०·०
१०	कोटपड़ा	...	९९०·४
११	बाराकोली	...	५००·०
	योग	...	८,५८५·६

विधान सभा सचिवालय प्रदेश उत्तर

पी० एस० यू० पी०—६४ एल० ए०—१९५२—८३०